लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६०

९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक सभा—ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रशासनिक सुधार

+

†*५६८. श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
० द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बा० चं० कामले :
श्री दामानी :

क्या **प्रधान मंत्री** कार्य दक्षता और मितव्ययिता बढ़ाने के लिए नियमों और विनियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). बातचीत अभी तक जारी है । ये उलझे हुए मामले हैं, इसलिये इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले कुछ समय अवश्य लगेगा । इस दौरान में कई विचारों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है । उदाहरणार्थ, व्यापार तथा उद्योग द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये निदेश समिति की नियुक्ति नियमों तथा अधिनियमों को सरल बनाना और प्रशासन के कुछ

†मूल अंग्रेजी में

1500(Ai) LSD—1

चुने हुए क्षेत्रों के कार्य का अध्ययन करने के सम्बन्ध में स्वयं मंत्रालयों के कुछ प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा विशेष पुनर्गठन यूनिट द्वारा कार्य किया जा रहा है। इमारतों तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को भी कम करने के सम्बन्ध में कार्य किया जा चुका है जो कि योजना में परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के दलों को सौंपी गयी थीं। इस सम्बन्ध में रिपोर्टें संसद्-सदस्यों को संभरित की जा चुकी है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या संगठन तथा रीति विभाग ने उन प्रशासनिक सुधारों के संबंध में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की है?

†**श्री सादत अली खां** : जी, हां। संगठन तथा रीति विभाग ने प्रशासनिक सुधारों के लिये कई कार्यवाहियां की हैं जिनमें प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को सरल बनाने और लागत को कम करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियां सम्मिलित हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या प्रधान मंत्री ने भी एच० एम० पटेल द्वारा लिखित "भारत में प्रशासनिक कार्य दक्षता सम्बन्धी समस्या" नामक पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि "यह स्पष्ट है कि दक्ष-प्रशासन में यह आशा की जाती है कि सभी प्रकार के व्यक्ति जिनमें असैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं निर्धारित सीमा तक नैतिकता अवश्य होनी चाहिये।" तो क्या इसका यह तात्पर्य है कि हमारे असैनिक कर्मचारियों में नैतिकता का अभाव है; और यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वे इस सम्बन्ध में कब से विशेषज्ञ बने हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने उक्त पुस्तक या पुस्तिका नहीं देखी है, इसलिये इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : यह कहा गया है कि उस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है; क्या सरकार को विभिन्न मंत्रालयों से इस बारे में कोई विशिष्ट योजना प्राप्त हुई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संगठन तथा रीति विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों से यह कहा गया है कि वे इन समस्याओं पर विचार करें। इसके अतिरिक्त वह विभाग स्वयं भी किसी विशेष मंत्रालय के सम्बन्ध में विचार करता है। इस विभाग के विशेषज्ञ कई महीनों तक एक एक मंत्रालय पर विचार करते रहते हैं? इस प्रकार से वे बारी बारी सभी पर विचार करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय पर पर्याप्त समय लगता है और विचार करते समय मंत्रालय विशेष के प्रतिनिधि भी उसके साथ बैठते हैं और उस मंत्रालय की सहमति से ही निर्णय किये जाते हैं।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी** : अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के सम्बन्ध में क्या सुधार हुआ है? क्या अब भी उन पर पहले के समान ही देर लग रही है या उसके लिये कोई सरल उपाय निकाला गया है?

†**श्री सादत अली खां** : नियम और विनियमों को सरल बनाया जा रहा है और फाइलों को शीघ्रता से निपटाने के सम्बन्ध में उपाय खोजे जा रहे हैं। संभवतः माननीय सदस्य को ज्ञात है कि भारत सरकार के विभिन्न संगठनों और मंत्रालयों में लगभग चार सौ नियम तथा विनियम प्रचलित हैं। उन सभी पर विचार करना तथा इन्हें सरल बनाना पड़ेगा और वह कार्य किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : क्या इन सुधारों में उस चर्चा का भी जिक्र है जो प्रधान मंत्री महोदय कई दफा मुल्क में कर चुके हैं कि आज के जमाने में चपरासियों की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या उधर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है और चपरासियों की संख्या कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरी बात है। उसका यहां प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : चपरासी की चर्चा मैं ने की है। यह तो पुरानी प्रथा है। उसका काम को किसी न किसी को करना ही होगा, उस प्रथा से नहीं तो दूसरे ढंग से।

लाला अंचित राम : क्या इन सुधारों में यह सुधार भी शामिल है कि जो चिट्ठियां पब्लिक से मिनिस्ट्रीज़ को आती हैं उनका जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जाहिर है कि यह मुनासिब बात है कि उनका जल्दी जवाब दिया जाए और उसको करना चाहिए।

लाला अंचित राम : क्या जवाब जल्दी दिए जाते हैं? और कितनी चिट्ठियां ऐसी रह जाती हैं जिनके जवाब नहीं दिए जाते?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तफसील तो मैं, अगर आप दूसरा सवाल दें तो, दरियाफ्त कर सकता हूं। इस आम सवाल का क्या जवाब दिया जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री में किस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया।

†**श्री जय पाल सिंह :** क्या मंत्रालयों को प्राप्त गुमनाम पत्रों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है? क्या उनके बारे में कुछ भी ध्यान न देने का विचार है या कि उनके सम्बन्ध में कुछ किया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, हां, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्योंकि मंत्रालयों को अनेकों गुमनाम पत्र प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ पत्र अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उच्च पदाधिकारियों को लिखे गये हों। इससे अत्यधिक तनाव पैदा हो गया है और विभाग का कार्य बहुत बढ़ गया है। क्या इन पत्रों को निपटाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित की गयी है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इन गुमनाम पत्रों के सम्बन्ध में जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई विशेष नियम नहीं है। परन्तु सामान्य रीति यह है कि यदि कोई ऐसा गुमनाम पत्र हो जिसमें कोई ऐसे तथ्य हों कि उनके बारे में जांच की जा सकती हो, तो उसकी जांच अवश्य की जाती है। परन्तु उसमें कोई अनिश्चित सी बातें कही गयी हों तो उनके बारे में जांच नहीं की जाती है।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने के कार्य में अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही को भी सरल बनाने का कार्य सम्मिलित है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मेरा ख्याल है कि फिलहाल उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। परन्तु उस पर भी विचार किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी** : क्या सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्यों के दुहरेपन की समस्या के सम्बन्ध में भी जांच करने के सम्बन्ध में विचार रखती है ; और यदि हां, तो यह समस्या कैसे सुलझायी जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कार्य में कुछ अंश तक ही दुहरापन आ ही जाता है । परन्तु जब भी ऐसी समस्या आयेगी, उसी समय उस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : गत सूत्र में माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में यह बताया था कि कार्य अध्ययन के सम्पूर्ण उपाय का मुख्य उद्देश्य यही है कि लालफीताशाही और अनावश्यक बातों को समाप्त किया जा सके । लालफीताशाही की समाप्ति की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसी को समाप्त करने के लिये तो हम कह रहे हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : लालफीताशाही का कारण यह है कि मंत्रालयों में बहुत से सचिव और उप-सचिव हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस के निवारण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति, मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । माननीय सदस्य केवल यही पूछ सकते हैं कि "क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ।" गत बार यह जानकारी दी गयी थी कि सरकार कार्यदक्षता बढ़ाने के लिये उपाय सोच रही है । जहां तक बनाये गये नियमों तथा विनियमों के व्योरों का सम्बन्ध है मैं उनके बारे में अगणित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता । अब अगला प्रश्न ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

+

*५६९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री हाल्दर :
श्री हेम बरूआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष व्यापार के लिये कितने भारतीय तिब्बत गये ;

(ख) उत्तरी सीमा के प्रत्येक दर्रे से कितने-कितने व्यक्ति गये ;

(ग) उन्हे वहां किन-किन कठिनाइयों व असुविधाओं का सामना करना पड़ा ; और

(घ) उन कठिनाइयों और असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (घ). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

इस वर्ष जो भारतीय व्यापार करने के लिये तिब्बत गये, उनकी संख्या २८७९ थी ।

(२) विभिन्न सरहदी दर्रों से होकर तिब्बत जाने वाले व्यापारियों की संख्या के बारे में सूचना न तो सुलभ है और न इस समय इकट्ठी ही की जा सकती है ।

(३) भारतीय व्यापारी १९५४ के भारत-चीन करार की व्यवस्थाओं के अनुसार परम्परागत व्यापार नहीं कर सके क्योंकि उनके रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां डाल दी गईं, जैसे : व्यापारियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध, वस्तु-विनिमय व्यापार (बार्टर) पर प्रतिबन्ध, आम तौर पर भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध, विनिमय-सुविधाओं का अभाव, नये करों और शुल्कों का लगाया जाना, आदि ।

(४) स्थानीय अधिकारियों तथा चीनी सरकार के पास भी अनेक विरोध-पत्र भेजे गये हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला ।

श्री भक्त दर्शन : जब से तिब्बत के सम्बन्ध में १९५४ का करार हुआ है, तभी से व्यापारियों की शिकायतें चली आ रही हैं । यह जो चौथा श्वेत-पत्र प्रकाशित हुआ है, इस में भी बताया गया है कि १७ सितम्बर, १९५९ को एक विरोध-पत्र भेजा गया, उसका जवाब नहीं मिला, १७ मई, १९६० को एक विरोध-पत्र भेजा गया, उसका जवाब नहीं मिला और अब ९ नवम्बर, को भी एक विस्तृत नोट भेजा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विरोध-पत्रों के उत्तर तक नहीं मिलते, तो क्या भारत सरकार इस बारे में कोई ऐसा कदम उठाने का विचार कर रही है, जिससे व्यापारियों की दिक्कतें दूर हो सकें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जाहिर है कि भारत की हुकूमत और चीन की हुकूमत का सम्बन्ध पिछले दो वर्ष से ढीला है और एक दूसरे से बहुत सहयोग नहीं होता । उसका सबसे बड़ा नमूना तिब्बत में देखा गया है और अभी जो व्हाइट-पेपर निकला है, उस से भी जाहिर होता है और वह है ही । इस में सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि इस बात की तरफ हमेशा उनका ध्यान दिलाया जाये कि वहां पर ये दिक्कतें पेश आती हैं, कोशिश की जाय और कोशिशें अक्सर कामयाब भी हुई है । मसलन बहुत काफी कोशिश के बाद वहां जो काश्मीरी मुस्लिम थे, उन में से कई सौ वहां से आ पाये हैं । बाकी तो कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि, जैसा कि एक सदस्य ने कहा, वहां से अपने दफ्तरों, मिशन्ज, को हटा दें । और कोई वजह हो, तो वह किया जाये, लेकिन उस से हमारे जो लोग वहां हैं, उन की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : प्रत्येक वर्ष हमारे व्यापारियों की कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और जब वे भारत लौटते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी अन्तर पड़ता चला जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि बार्डर के जिलों के लिये स्पेशल सहायता दी जा रही है, लेकिन क्या इन व्यापारियों को रीहैबिलिटेट करने के लिये, उनको जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने के लिये, कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है । क्या राज्य सरकारों ने इस बारे में कोई स्कीमें बनाई हैं और भारत सरकार कोई विशेष सहायता दे रही है ?

श्री जवाहरलाल नहरू : यह सवाल अब तक नहीं उठा था और मैं नहीं जानता कि खास क्यों उठे, क्योंकि इन व्यापारियों ने इस से पहले जरा जरूरत से ज्यादा कमाया था वहां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत के तिब्बत के व्यापारियों में विनिमय का माध्यम क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बात भी बदलती सी रही है । वहां के एक्सचेंज रेगुलेशन्ज भी बदलते रहे हैं--कभी चीनी रहा, कभी कुछ और । मैं यकायक तफसील में इसका जवाब नहीं दे सकता । अगर माननीय सदस्य चाहें, तो सवाल रख दें ।

†**श्री सादत अली खां** : विनिमय सम्बन्धी सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। स्थानीय मुद्रा के बदले में रुपयों के ड्राफ्ट केवल तभी दिये जाते हैं जब कि व्यापारी लिख कर यह आश्वासन देते हैं कि वे चीनियों द्वारा मांगी गयी सैनिक महत्व की वस्तुओं का ही तिब्बत में आयात करेंगे। इस प्रकार से व्यापारी भारत को अपनी सामान्य लाभराशि अथवा पूंजीगतराशि को भी भारत वापिस नहीं ला सकते।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस समय भारतीय व्यापारी वर्तमान अनिश्चित स्थिति में वहां पर नहीं ठहरना चाहते और शीघ्रातिशीघ्र वापिस आ जाने के लिये इच्छक हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन व्यक्तियों को वापिस लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनके वापिस आने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और कोई कठिनाई नहीं है। वे जब भी चाहें वापिस आ सकते हैं। उन्हें वापिस लाने के सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता है । मेरा अनुमान है कि कुछ समय पहले वहां पर कुल १० या २० भारतीय पुराने व्यापारी थे। फिर जब व्यापार में लाभ की वृद्धि होने लगी तो उससे भारतीय व्यापारियों ने भी वहां अधिक संख्या में जा कर बसना प्रारम्भ कर दिया। जब मैं वहां से गुजरा था तो केवल एक स्थान पर अर्थात् यातुंग में, १०० से अधिक भारतीय लोगों की दुकानें थीं और मेरा अनुमान है कि उन में से ७५ प्रतिशत लोग गत दो तीन वर्षों में ही वहां जा कर बसे थे। परन्तु जब वहां गड़बड़ प्रारम्भ हुई तो बहुत से लोग वापिस आ गये। केवल कुछ लोग ही वहां पर ठहरे हैं। संभव है वे भी शीघ्र ही वापिस आ जायें। हम उन्हें वापिस आने के लिये सुविधायें देते हैं। यहां प्रश्न केवल उनके वापिस आने का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि वे अपने साथ अपनी वस्तुएं वापिस कैसे ला सकते हैं। उसी के बारे में तो प्रश्न है। वैसे इसके लिये भी हम उन्हें यथासंभव सहायता देते हैं।

श्री जयपाल सिंह : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी बताया है कि सम्बन्ध दो बरसों से ढीला हो गया है। क्या यह बात सही नहीं है कि उधर का सम्बन्ध बहुत कड़ा है और ढिलाई हमारी ओर से है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। यह बात सही नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : १९५४ के चीनी-भारतीय करार में चीन और भारत के सम्पूर्ण सम्बन्धों और विशेषतया तिब्बत के बारे में सम्बन्धों को निर्धारित कर दिया गया था। क्योंकि अब चीन उस करार का पालन नहीं कर रहा है तो क्या हमारे हित में यही बेहतर नहीं है कि उस करार को पूर्णतया समाप्त ही कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी यही राय है कि चीनी प्राधिकारियों द्वारा उस करार का बहुत से अवसरों पर पालन नहीं किया जा रहा है। जहां तक उस करार को समाप्त कर देने का सम्बन्ध है, मैं समझा नहीं कि उसे समाप्त कर देने से क्या लाभ होगा। मेरा ख्याल है कि इस समय उस करार को समाप्त करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा।

†**श्री रंगा** : जहां तक भारतीय हितों का सम्बन्ध है, क्या इस करार से हमें कोई लाभ हो सकता है। करार में तिब्बत के सम्बन्ध में गारंटी दी हुई थी, परन्तु उसका स्वायत्त शासन समाप्त हो गया है। उसमें भारतीय व्यापारियों के लिये भी गारंटी थी, परन्तु उन्हें भी वापिस आना पड़ रहा है। तो फिर इस करार में और क्या गारंटी हो सकती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न यह है कि तिब्बत में हमें अपनी कोई एजेन्सी रखनी चाहिये या नहीं। यदि वह करार समाप्त कर दिया गया तो उस स्थिति में हमें अपने सभी मिशन और एजेन्सियां बन्द करनी पड़ेंगी। इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। परन्तु मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में करार को बनाये रखने में ही लाभ है।

†**श्री खाडिलकर** : इतनी अधिक कठिनाइयां होने के बावजूद भी इस समय भारत और तिब्बत के बीच कितना व्यापार चल रहा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : व्यापार बहुत कम हो गया है, परन्तु फिर भी कुछ मात्रा में अभी भी व्यापार चल ही रहा है।

†**श्री सादत अली खां**: मैं आयात और निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े बता सकता हूं। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, १९५८ में १८६ लाख रुपयों का, १९५९ में ११० लाख रुपयों का, और जनवरी से सितम्बर, १९६० तक २०.८ लाख रुपयों की वस्तुओं का आयात किया गया था। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, १९५८ में १७७ लाख रुपयों का, १९५९ में ८८ लाख रुपयों का और जनवरी से सितम्बर, १९६० तक १०.८ लाख रुपयों की वस्तुओं का निर्यात किया गया।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या तिब्बत में तीन नगरों में भारतीय व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देने के बदले में भारत के तीन नगरों में तिब्बती लोगों को व्यापार के लिये जो अनुमति दी गयी है, उसके अन्तर्गत गैर तिब्बती चीनी राष्ट्रजन भी व्यापार कर सकते हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे सुविधायें तो केवल सीमा सुविधायें थीं। अब वे भी समाप्त कर दी गयी हैं।

†**श्री कालिका सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या १९५४ के करार के अधीन तिब्बती लोगों को जो सुविधायें दी गयी थीं, उनसे गैर तिब्बती चीनी राष्ट्रजन भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस समय इसका उतर नहीं दे सकता। परन्तु ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष २८७९ भारतीय तिब्बत गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस अविधि में कितने व्यक्ति वहां गये थे? क्या इस वर्ष कोई वृद्धि हुई है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि वे अधिकांश यात्री थे।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में यह बताया गया है कि "इस वर्ष व्यापार के लिये २८७९ भारतीय राष्ट्रजन तिब्बत गये थे।"

मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष वहां कितने भारतीय गये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि वे सभी लोग केवल व्यापार के लिये नहीं गये थे, उनमें यात्री भी सम्मिलित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या माननीय प्रधान मंत्री के पास गत वर्ष के सम्बन्ध में आंकड़े हैं। कदाचित ये आंकड़े उनके पास नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं।

†**श्री बाजपेयी** : सीमांत दरों से होकर तिब्बत जाने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं? तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि इन दर्रों पर हमारे सैनिक या अन्य कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जानकारी तो उपलब्ध है। परन्तु यह तो सीमान्त क्षेत्रों से व्यक्तियों के आने जाने का प्रश्न है। संभव है कि कुछ एक व्यक्तियों के जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त न हो सकी हो। वैसे नियमित दर्रों में से होकर जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी तो उपलब्ध है। परन्तु वहां के लोगों की एक रीति सी है कि वे नियमित दर्रों के अतिरिक्त अन्य मार्गों से आते जाते रहते हैं। अतः संभव है कि इस प्रकार के भी कई मामले हों, परन्तु मोटे तौर पर इस सम्बन्ध में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि तिब्बत स्थित हमारे भारतीय व्यापारियों से यह कह दिया गया है कि जो तिब्बत से अब तक वापिस आ गये हैं, वे अपनी पूंजी आदि को व्यापार से अलग कर लें। क्या यह भी सच है कि वहां पर भारतीय व्यापारियों पर भूत-लक्षी तिथि से आयकर बिक्री कर, भूमि किराया, सम्पत्ति किराया आदि लगाये गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का निश्चित रूप से तो उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु यह सच है कि उन पर कई नये कर लगा दिये गये हैं और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु इन करों के सम्बन्ध में मैं कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि १९५४ से १९५७ तक भारतीय व्यापारियों पर कोई भी कर नहीं लगाया गया था, और ये कर अभी हाल ही में लगाये गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो न्यूनाधिक रूप से सच ही है, वह अवधि उनके लिये एक स्वर्ण अवसर थी जिस में उन्होंने अत्यधिक रुपया कमाया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, इस श्वेत पत्र में स्वीकार किया गया है कि विशेष कर पश्चिमी तिब्बत में जो भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे उनके कई लाख रुपयों का सामान पिछले साल वहां रुक गया था और इस साल भी वही स्थिति रही है तो क्या गवर्नमेंट विचार कर रही है कि चीन सरकार से गवर्नमेंटल लेविल पर उस रुपये को वसूल कर भारतीय व्यापारियों को दिलवाया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य गवर्नमेंट लेविल की बात करते हैं यानी गवर्नमेंट वसूल करे चीनी सरकार से तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इस वक्त चीनी सरकार के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उन पर तो अमल हो नहीं रहा है और वे चाहते हैं कि हम चीनी सरकार से नये एग्रीमेंट्स करें उन से पैसा लेने के।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यापारियों के आने जाने का जो यह सिलसिला जारी है तो इसमें उधर से कुछ ऐसे व्यापारी भी आये हैं जोकि गुप्तचर का कार्य करते हुए पकड़े गये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : व्यापारी तो मुझे नहीं मालूम लेकिन कभी कभी आदमी पकड़े गये हैं। वे व्यापारी के रूप में आये थे या किसी और रूप में यह मैं नहीं कह सकता।

श्री प्र० गं० देव : भारत और तिब्बत में १९६० में कितनी कीमत की वस्तुओं का निर्यात किया गया था ?

†**श्री सहादत अली खां :** सितम्बर तक १०.८ लाख रुपयों की वस्तुओं का निर्यात किया गया था।

लंका में भारतीय

\+

†*५७०. **श्री हेम बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिये कोई बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो वह बातचीत इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की समस्या के सम्बन्ध में लंका सरकार ने भारत सरकार से कोई नयी बातचीत शुरू नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि लंका के वित्त मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि किसी भी विदेशी वीसा प्राप्त व्यक्ति पर ४०० रुपये वार्षिक शुल्क लगाया जाये गा और बड़े या छोटे व्यापार के पंजीयन पर १००० रुपये वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। यदि हां, तो क्या लंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों पर यह एक अत्यधिक भार होगा ? क्या इन सुझावों से मैत्रीपूर्ण ढंग से प्रधान मंत्रियों में होने वाली बातचीत में अमैत्री-भाव उत्पन्न नहीं हो जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न एक दो दिन पहले सभा में पूछा गया था और इसका उत्तर भी दे दिया गया था ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या दोनों प्रधान मंत्रियों के निकट भविष्य में मिलने और उन प्रश्नों पर विचार करने की कोई आशा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : फिलहाल तो ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दू' नामक समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि लंका की प्रधान मंत्री ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह भारतीय उद्भव के ८ लाख व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली गत १० वर्ष पुरानी समस्या को हल करने के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या लंका स्थित हमारे उच्चायोग के द्वारा इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि 'हिन्दू' अखबार में क्या छपा है। मैंने उसे नहीं पढ़ा है । परन्तु यह सर्व ज्ञात है कि लंका की प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि वह बातचीत करने के लिये सहर्ष तैयार हैं। वास्तव में इस बात चीत से हमें भी खुशी होगी। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इधर से भेजा गया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : एक ओर तो हम पुरानी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। और दूसरी ओर नयी समस्यायें पैदा हो रही हैं। क्या हमारी सरकार को ज्ञात है कि लंका सरकार ने अब ये हिदायतें जारी की हैं कि अवैध रूप से आप्रवासियों को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाये ? इस सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि इस आदेश में संशोधन किया जा सके ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती ?

†**श्री कमलनयन बजाज** : वहां पर भारतीय उद्भव के कुल कितने व्यक्ति हैं और उनमें से कितनों ने लंका की राष्ट्रीयता के लिये प्रस्ताव किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : वहां पर लगभग ७००,००० ऐसे व्यक्ति हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन में से कितने व्यक्तियों ने लंका की राष्ट्रीयता के लिये प्रस्ताव किया है ?

†**श्री जहवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं। यदि प्रश्न की सूचना फिर दी जाये तो मैं उस का उत्तर भी फिर दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि लंका आते हुए कुछ एक अवैध आप्रवासियों को गिरफ्तार कर के बड़ा तंग किया गया था और इस सम्बन्ध में उच्चायोग को भी सूचित कर दिया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये बातें तो दोनों ओर चलती रहती हैं। यदि अत्याधिक संख्या में अवैध प्रवासी वहां जाते हैं, तो उससे वहां के निवासी भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के प्रति बुरे भाव उत्पन्न होते हैं। यह सच है, परन्तु फिर भी निश्चित उत्तर देने के लिये मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

\+

*†५७१. श्री स० मो० मनर्जी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री तंगामणि :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की राय क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां। २८ नवम्बर, १९६० को।

(ख) और (ग). इस के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय के साथ ही इन्हें भी शीघ्र ही घोषित कर दिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि रिपोर्ट इसी मास में प्रस्तुत की गयी है, तो इस सम्बन्ध में निर्णय घोषित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसे शीघ्र ही घोषित कर दिया जायेगा, संभवतः कुछ सप्ताह लगेंगे।

†**श्री कमलनयन बजाज** : क्या वह रिपोर्ट सर्वसम्मति से तैयार की गयी हैं और इसे स्वीकार कर लेने से चीनी के मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा।

†**श्री आबिद अली** : वह रिपोर्ट हमारे पास अभी परसों शाम को ही तो पहुंची है। अभी उसे पढ़ा भी नहीं गया है। परन्तु मेरा अनुमान है कि वह सर्वसम्मति से ही तैयार की गयी थी। शेष बातों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अभी कुछ समय के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सिंह भाई वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट उन के पास आई है उस को वैसा का वैसा ही अमल में लाने का विचार है क्योंकि उन्हों ने अपना यह रिऐक्शन जाहिर किया है कि अगर यूनैनिमस रिपोर्ट होगी तो गवर्नमेंट को उसे वैसा का वैसा अमल में लाने में ऐतराज नहीं होगा ?

श्री आबिद अली : जो ट्राइब्युनल के एवार्ड आते हैं उन को इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ऐक्ट के लिहाज से एक महीने का वक्त दिया गया है, ताकि उस पर सोच विचार किया जाय और उस के बाद उसे कंसीडर किया जाय। मैं ने यह अर्ज किया है कि यह रिपोर्ट यूनैनिमस है, ऐसा मुझे मालूम होता है, अभी उसे अच्छी तरह देखा नहीं गया है। आखिर कुछ वक्त तो जरूर चाहिये ताकि जो रिकमेंडेशन्स आई हैं उन के बारे में विचार किया जाय। मैं ने अर्ज किया है कि हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के फैसले का ऐलान कर दिया जाय ।

†**श्री का० ना० पांडे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिल मालिकों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के कारण अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिश की कार्यान्विति एक साल के लिये देर से गयी है, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा सके ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां, इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक होगा, वह अवश्य किया जायेगा। अन्तरिम सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या बोर्ड ने इस बात पर विचार किया है कि बहुत से मौसमी मजदूर तथा स्थायी मजदूर काम कर रहे हैं और क्या इन की मजूरी के दर निर्धारित कर दिये गये हैं?

†**श्री आबिद अली :** इस रिपोर्ट पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। क्या वह व्यवस्था औद्योगिक समिति के समान होगा या किसी और के समान होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बारे में और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि रिपोर्ट पर अभी तक विचार नहीं किया गया है . . .

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस की सिफारिशें देश की सभी मिलों पर लागू होंगी या कि कुछ एक यूनिटों को इस से छट दे दी जायेगी ?

†**श्री अबिद अली :** यह १७१ फैक्टरियों और १,८८,००० व्यक्तियों पर लागू होंगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या ये सिफारिशें भूतलक्षी तिथि से लागू होंगी अथवा इस के लिये कोई तिथि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री अबिद अली :** हो सकता है कि मजूरी बोर्ड . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। वास्तव में मजूरी बोर्ड को कुछ काम सौंपा गया था और उस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट अभी परसों ही सरकार को प्राप्त हुई है और माननीय सदस्य उस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के बारे में पूछने लगे हैं। ऐसी बातें कैसे चल सकती हैं। आखिर कुछ तो अनुशासन रखना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब क्योंकि इस प्रश्न में बहुत से सदस्य रुचि ले रहे हैं, अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सत्र के समाप्त होने से पहले ही वह रिपोर्ट शीघ्र ही सभा पटल पर रख दें।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** जी, हां। रीति यह है कि किसी भी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही उसे सभा पटल पर रखा जाता है। अतः उस पर भी विचार करने के बाद इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, परन्तु इस सत्र की समाप्ति से पूर्व उसे सभा पटल पर रख दिया जाये।

†**श्री नन्दा :** जी हां, ऐसा ही होगा।

यूरेनियम

+

†*५७३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में यूरेनियम अयस्क के निक्षेप अनुमानित मात्रा से अधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में पूरे पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह अतिरिक्त यूरेनियम किस काम में लाया जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख) यह प्रश्न १५ सितम्बर, १९६० के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार पर आधारित दिखाई देता है, जिस में यह कहा गया था कि भारत में यूरेनियम अयस्क के निक्षेप पहले के अनुमानों से अधिक समझे जाते हैं। सुराखों की वस्तुस्थिति यह है कि अणु शक्ति विभाग का आणविक खनिज बिहार और राजस्थान में प्रयोगात्मक सुराखों की खुदाई और भूमिगत विकास कार्य कर रहा है। सुराखों से, जिन से इस समय विदित सीमाओं से परे भूमि में अयस्कों के विस्तार का पता चलता है, यह प्रतीत होता है कि समय समय जिन निक्षेपों का अनुमान लगाया गया है उन से अधिक निक्षेप विद्यमान हैं। तथापि इन छोटी वृद्धियों से भारत के यूरेनियम अयस्क या अनुमानित निक्षेपों में कोई अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

(ग) जितना यूरेनियम उपलब्ध होगा उस सब का प्रयोग शान्तिपूर्ण उपायों के लिये आणविक शक्ति के विकास कार्यक्रम के लिये किया जायेगा।

†**श्री दामानी :** कुछ समय पूर्व राजस्थान में यूरेनियम के कुछ निक्षेप पाये गये थे। तब से क्या प्रगति हुई है। और उन निक्षेपों का क्या लाभ उठाया गया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** यह कहना गलत है कि वे बड़ी मात्रा में हैं। मामले की अभी जांच हो रही है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यहां पई गई मात्रा को ध्यान में रखते हुए १८ लाख रुपये की लागत का २६५०० किलोग्राम यूरेनियम खरीदना जरूरी होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यूरेनियम अब हमारे काम के लिये और अगले वर्ष के लिये जरूरी होगा और अत: इसे खरीदना पड़ेगा यदि हमारे पास काफी माल होगा तो यह नहीं खरीदा जायेगा। यह स्पष्ट है कि भविष्य में यदि हमारे पास पर्याप्त संभरण होगा तो वह कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या बिहार में खोज और खुदाई के कार्यक्रम बिहार के हजारी बाग जिले में चल रहे हैं जहां यह पहले किया जा रहा था या यह कुछ दूसरे जिलों में भी हो रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: केवल राज्यों के नाम दिये गये हैं, परन्तु मैं साधारण तौर पर कह सकता हूं कि यह समूचे स्थान पर किया जा रहा है जहां इस के संकेत मिलते हैं, तब वह गहरी जांच करते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र को यूरेनियम अयस्क का क्षेत्र घोषित किया गया है। भूतकाल में किसी भी परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण करने के बारे में हमारा जो अनुभव रहा है, उस की दृष्टि में, पुनर्वास बहुत अधिक देर बाद हुआ है। क्या इस विशिष्ट मामले में क्योंकि कभी न कभी इन खनिजों को निकाला जायेगा, क्या वह भूमि अधिग्रहण करते समय वहां से विस्थापित किये जाने वाले लोगों को बसाने के लिये भी विचार करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से न तो अधिग्रहण का प्रश्न उत्पन्न होता है और न ही पुनर्वास का. . . (**अन्तर्बाधायें**) शान्ति शान्ति। प्रश्न यह है कि क्या भारत में यूरेनियम अयस्क के निक्षेप अनुमानित मात्रा से बढ़ गये हैं और इस मामले के पूरे तथ्य तथा अग्रेतर उपयोग के बारे में पूछा गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : अधिग्रहण का प्रश्न उन क्षेत्रों के बारे में उठेगा जहां से खनिज निकाले जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : समूचा देश इस में आता है। मुझे खेद है। माननीय सदस्य को दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये या पृथक प्रश्न पूछना चाहिये।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

\+

†*५७४. **श्री रा० चं० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री आचार :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच भुगतान करार के अधीन कुछ और वस्तुओं की सूचियां एक दूसरे को दी हैं;

(ख) कौन कौन सी वस्तुयें हाल में शामिल की गयी हैं; और

(ग) क्या और भी किन्हीं प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४१**]

(ग) पाकिस्तान सरकार ने हमें पाकिस्तान को रुपये में भुगतान के आधार पर रेलवे सामान, इस्पात के ढांचे और नालीदार सीमेंट की चादरें भेजने के प्रश्न पर विचार करने को कहा है। दोनों सरकारें इस बात से सहमत हैं कि जब कभी आवश्यकता हो, पारस्परिक सहमति से रुपयों में भुगतान के आधार पर अन्य वस्तुओं का भी विनिमय किया जाये।

†**श्री रा० चं० माझी** : इस वर्ष में ये जो वस्तुयें पाकिस्तान को भेजी जायेंगी या भारत में मंगवाई जायेंगी, उन की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**श्री सतीश चंद्र** : एक वर्ष के लिये ४.१० करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है ...

†**कुछ माननीय सदस्य** खड़े हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उन में से किसी को अवसर प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे सदस्य उठ कर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं उन्हें कैसे बुला सकता हूं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान में भारतीय राब की बड़ी अच्छी मांग है और अब भी है, क्या सरकार इसे पाकिस्तान को भेजे जाने वाले माल की सूची में शामिल करेगी ?

†**श्री सतीश चंद्र** : सीमित भुगतान व्यवस्था अर्थात् 'स्वतः संतुलनकारी लेखा' में राब नहीं है—परन्तु यदि राब का निर्यात संभव होगा तो सरकार बाधक नहीं होगी। पाकिस्तान में ग्राहक ढूंढ़ना यहां के निर्यातक का काम है।

†**श्री आचार** : क्या कोयला की मात्रा कम हुई है या बढ़ी है, यदि हां, तो कितनी और कितने मूल्य की ?

†**श्री सतीश चंद्र** : कोयला भी सीमित उत्पादन व्यवस्था में नहीं आता। इस वर्ष के पहले छः महीनों में कोयला निर्यात के आंकड़े थे १,३९,००,००० जब कि समूचे वर्ष में १९५९ में २,३२,००,००० थे।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय व्यापारी भारतीय राब का निर्यात करने तथा पाकिस्तानी व्यापारी इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, किन्तु पाकिस्तान सरकार ने एक कठिनाई पैदा कर रखी है, क्या भारत सरकार उस कठिदाई को दूर करवाने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री सतीश चंद्र** : प्रतिनिधिमंडल अभी पाकिस्तान में बातचीत कर के लौटा है। यदि हमें इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो हम वहां की सरकार से बात करेंगे। यदि कुछ सौदे संभव हैं तो हम अब भी इस मामले को उन के साथ उठा सकते हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि परिवहन की रुकावट से पाकिस्तान को कोयला नहीं भेजा जा सका, यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस रुकावट को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चंद्र** : कोयले के परिवहन की व्यवस्था कोयला अयुक्त रेलवे बोर्ड के परामर्श से करता है। हम निर्धारित मात्रा में कोयला भेजने का प्रयत्न करते हैं। अभी मैं ने जो आंकड़े बताये हैं उन से पता चलेगा कि पहले छः महीनों में जिन के आंकड़े दिये गये हैं, कोयला का परिवहन पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर था।

सेठ गोविंद दास : क्या यह बात सही है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सन् १९४८–४९ में जो ब्यापार कि १८१ करोड़ तक का था वह सन् १९५९ में घट कर ११ करोड़ रह गया, और क्या जो बीच में एक बात चलती थी कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आम बाजार स्थापित किया जाए, इस पर भी कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री सतीश चंद्र : सन् १९४८–४९ के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जूट हमारे यहां पाकिस्तान से आता था, जो हम बाद में स्वयं उगाने लगे हैं और उसकी हमें अब जरूरत नहीं है। इसलिये उतने बड़े पैमाने पर आयात ब्यापार नहीं चल सकता जहां ८० लाख बेल जूट आता था वह बन्द हो गया।

सेठ गोविंद दास : निर्यात के बारे में भी यही हुआ है।

श्री सतीश चन्द्र : जी हां। निर्यात् के बारे में भी यही हुआ है, जो चीजें पहले हम पाकिस्तान को भेजते थे वे पाकिस्तान में पैदा होने लगीं। सन् १९४८ की बात तो बहुत पुरानी है। लेकिन सन् १९५८ में हमारा निर्यात ७ करोड़ १७ लाख का था। सन् १९५९ में हमारा निर्मात ६ करोड़ २९ लाख का था। और आयात सन् १९५८ में ६ करोड़ २८ लाख था और सन् १९५९ में वह ५ करोड़ ४६ लाख था तो इस हिसाब से बैलेंस आफ पेमेंट पोजीशन करीब करीब एक सी ही रही।

सेठ गोविंद दास : कामन मारकेट के बारे में भी मैंने पूछा था।

श्री सतीश चन्द्र : उसके बारे में बहुत से देशों से मोटे तौर पर बातचीत चल रही है लेकिन अभी कोई खास प्रोपोजल सामने नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : आज के अखबारों में लिखा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ब्यापार में कुछ और मदें जोड़ दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर ये चीजें तै की जाती हैं कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान से आएंगी या पाकिस्तान को जाएंगी। और वे आइटम्स क्या हैं।

श्री सतीश चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि मार्च में यह तै हुआ था . . .

अध्यक्ष महोदय : कितने आइटम्स हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : वह तो लम्बी लिस्ट है, आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह एक एक आइटम की चर्चा यहां कैसे हो सकती है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मने कहा है कि कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं—यह आज के समाचार पत्र में था और बाद में कुछ और चीजें भी शामिल की जाएंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह करार सम्बन्धी चर्चा है ? क्या हम करार के बारे में चर्चा करके एक प्रश्न पर पूरा प्रश्न काल खर्च करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : आधार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत अधिक ब्यौरे में पड़ रहे हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं केवल आधार जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह करार है। कोई दूसरे आधार का प्रश्न नहीं है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

कोयला क्षेत्रों को पानी पहुंचाना

†५७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों को संरक्षित पानी पहुंचाने के लिये सरकार ने इस बीच कोई योजना अंतिम रूप से तैयार की है ;

(ख) यदि नहीं, तो वह संभवतः कब तैयार की जायेगी ; और

(ग) यह योजना तैयार करने में रूकावट के क्या कारण हैं ?

†**योजना, श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे तीसरी योजना में अपनी जल संभरण योजनाओं में कोयला खानों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दें और बड़े कोयला क्षेत्रों में संविहित जल बोर्ड स्थापित करें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमें कुछ उत्तर प्राप्त हुये हैं और अभी कुछ उत्तर आने हैं। श्रम मंत्री ने हाल में उन्हें अपने उत्तर भेजने के लिये पुनः अनुस्मारक भेजे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस सम्बन्ध में कोयला खान श्रम कल्याण संघ कोई अंशदान देगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी हां ; कोयला खानों के विकास क्षेत्रों में जल संभरण के व्यय का अंश कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से दिया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कितना आवंटन होगा ?

†**श्री ला० ना० मिश्र** : कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार ने झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिये जल की आवश्यकता का अनुमान लगाया है क्योंकि इस समय वहां कोयला खनिकों को प्रति व्यक्ति दो गैलन भी जल नहीं मिलता ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह स्पष्ट है कि कोयला क्षेत्रों में जल की कमी है, विशेषकर निवास की बस्तियों में। निस्सन्देह रानीगंज और झरिया के लिये कुछ बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। अभी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कुछ बड़ी योजनाओं का जिक्र किया है । इन के पूर्ण हो जाने पर प्रत्येक कोयला खनिक को कितना जल मिल जाएगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रति व्यक्ति कितना जल दिया जायेगा यह कहना तो कठिन है । यदि रानीगंज जल संभरण योजना पूरी हो गई तो उस क्षेत्र में पर्याप्त जल होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह झरिया के बारे में जानना चाहते हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं पिछले सप्ताह उस क्षेत्र में था और मैंने वहां के प्राधिकारियों से इस योजना के बारे में चर्चा की थी । वे ब्यौरा भेज रहे हैं और हम उन की जांच करेंगे ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

\+

†*५७६. **श्री मुरारका :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीर्घकालीन जापानी करार के अधीन हमने कुल कितना लौह अयस्क निर्यात किया है ;

(ख) क्या यह हमारे निर्यात लक्ष्य के अनुसार है ;

(ग) निकट भविष्य में उसे बढ़ाने की क्या संभावना है; और

(घ) निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क में से कितना भारतीय जहाज ले जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जून, १९६० तक के तीन वर्षों में ४६.६३ लाख टन ।

(ख) माल देने की अनुसूची के अनुसार निर्यात किया जाता है ।

(ग) १९६०-६१ में २५ लाख टन की संभावना है जब कि १९५९-६० में १९.४२ लाख टन था ।

(घ) जापान वालों ने १९५९-६० में १० प्रतिशत निर्यातकों के भारतीय जहाजों का उपयोग करना स्वीकार किया था । १९६०-६१ के बारे में बातचीत चल रही है ।

†**श्री मुरारका** : जापान वालों ने इस लोह अयस्क खान के विकास तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिये जैसा कि करार में तय किया गया था, कुल कितनी राशि खर्च की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : करार १९६४ से लागू होगा । रूरकेला-विज़ाग परियोजना के अन्तर्गत विज़ाग पत्तन पर एक अतिरिक्त लंगर स्थान की व्यवस्था करने और नई रेलवे लाइनें डालने व

---

†मूल अंग्रेजी में

खानों के विकास के लिये २५ करोड़ रुपये की जरूरत है। उस में जापानियों ने हमें एक आवेदन पत्र भेजा है और हमें इस परियोजना पर विदेशी मुद्रा के व्यय को पूरा करने के लिये अमरीका से कुछ ऋण मिले हैं।

†**श्री मुरारका** : १९६४ से हमारे निर्यात की अनुमति करार के अन्तर्गत होगी। क्या जापानी फर्म को इन खानों का विकास करने तथा परिवहन सुविधाओं के लिये व्यय करने के लिये किसी राशि की अनुमति दी गई थी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हमें अपना धन खर्च करना होता है; हमने जापानियों से धन नहीं मांगा है। किन्तु इस परियोजना पर जो विदेशी मूद्रा खर्च होगी वह जापानी सहायता से होगी। जापान तथा हमारी ओर से दिये गये संयुक्त प्रार्थना पत्र पर अमरीका से प्राप्त होने वाले ऋण से हम विदेशी मुद्रा का व्यय पूरा करेंगे।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तीन बड़े बड़े कारखाने यहां हमारे देश में खुल गये हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि आयरन ओर का बाहर भेजना बंद कर दिया जाय ?

श्री सतीश चन्द्र : हिन्दुस्तान में इतना अच्छा और इतना ज्यादा कच्चा लोहा मौजूद है कि हम इससे भी ज्यादा तादाद में उसको बाहर भेज सकते हैं और भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी उत्पादन बढ़े उसके लिये भी वह काफी है और बाहर भी हम भेज सकते हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि हम माल भेजने के लिये माल डिब्बों की कमी के कारण निर्यात लक्ष्य में पिछड़ गये हैं और क्या रेलवे मंत्रालय के साथ कोई बात की गई है ताकि वे लोगों के लिये काफी माल डिब्बों की व्यवस्था कर सके ताकि वे निकटतम पत्तन तक अयस्क ले जा सके ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सम्पूर्ण पत्तन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। यदि अधिक माल डिब्बे उपलब्ध भी किये जाते हैं, तो माल पत्तनों पर जमा हो जाएगा और वह नहीं उठेगा। हम उन देशों को जहां इस की मांग है, लौह अयस्क भेजने के लिये अधिकतम पत्तन क्षमता का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान के साथ जो समझौता हुआ है तो जापान के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जहां कि हमारा यह आयरन ओर जाता है और जापान को जो हमारा आयरन ओर जाता है उसकी कीमत फी टन रुपये आने पैसे में हमें बतलाइये ?

श्री सतीश चन्द्र : जापान के अलावा हमारा आयरन ओर जेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, यूगोस्लाविया और इटली को भी जाता है लेकिन अगर सन् १९६०–६१ में कुल विदेशों को ३५-३६ लाख टन कच्चा लोहा जायेगा तो उस में से २५ लाख टन अकेले जापान को जायेगा और बाकी और जगहों पर जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान से हम को एक टन आयरन ओर की क्या कीमत मिलती है, वह रुपये पैसे में बतलाइये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र: जो कच्चा लोहा इस साल जा रहा है उसकी कीमत ६५–६५ ग्रेड के लिये ८५ शिलिंग फी टन है जहाज पर लदा हुआ। अब जिस में सौदा होता है वह मैं बतला रहा हूं। एक शिलिंग छः पेंस का एक रुपया होता है और आप हिसाब लगा सकते हैं। अलग अलग ग्रेड के अलग अलग दाम हैं जो कि ६० शिलिंग से ८५ शिलिंग तक उनमें फर्क होता है और उसके लिहाज से यह जाता है।

श्री विभूति मिश्र : कौन सा देश हमको ज्यादा कीमत देता है ?

श्री सतीश चन्द्र : जो बाजार भाव होता है उसके हिसाब से वह कीमत उसकी हर साल तय होती है।

श्री नाथ पाई : जापानियों ने गोआ में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क खनन का विकास किया है, जो बहुत बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है। क्या कभी जापान द्वारा गोआ से इन आयातों को कम करने के प्रश्न पर विचार किया गया है, क्योंकि जापान को हमारा निर्यात धीरे-धीरे बढ़ गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह सर्वथा जापानी सरकार द्वारा विचार का मामला है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम जापान को केवल १५ लाख टन लौह अयस्क निर्यात कर रहे हैं। १९६४ से यह बढ़ कर लगभग ४० लाख टन और १९६६ से लगभग ६० टन हो जायेगा। यह विचार करना जापान का काम है कि वे गोआ से आयात जारी रखें या न रखें।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** जब जहाजों के द्वारा इन चीजों के आयात और निर्यात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा ५०-५० है, तो सरकार ने १० प्रतिशत क्यों स्वीकार किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** दुर्भाग्य से तथ्य यह है कि १० प्रतिशत जो जापान ने स्वीकार किया है, भारतीय जहाजों द्वारा नहीं ले जाया गया क्योंकि भारतीय जहाज उपलब्ध नहीं हैं। पूर्वी पक्ष में भारतीय जहाज केवल विशाखापटनम, मद्रास और कलकत्ता पत्तनों से तथा कुछ कर्मकनाडा से चलते हैं। जापानी जहाज बहुत से दूसरे छोटे पत्तनों पर अयस्क उठाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय जहाज समवायों को वापिसी पर जापान से लाने के लिये काफी माल नहीं मिलता। व्यावहारिक कठिनाइयां रही हैं। भारतीय जहाज १० प्रतिशत भी नहीं उठा सकते।

†**श्री कमलनयन बजाज :** क्या जापानियों ने लौह अयस्क के लिये किसी विशिष्ट भारतीय खान को अधिमान दिया है और यदि यह तथ्य है तो क्या हमने उस अधिमान का पूर्णतया लाभ उठाया है और उसके लिये बेहतर दाम मांगे हैं ? वह खान कौन सी है ?

†**श्री सतीशचन्द्र :** जैसा कि मैं ने कहा है, जापानी हमारे साथ रूरकेला के समीप किरिबूरु में और मध्य प्रदेश में बलाडिला परियोजना में भाग लेने को तैयार हैं। उन के साथ दीर्घ-कालीन करार किये गये हैं और जब इन खानों का विकास होगा, वे इन से लौह अयस्क लेंगे।

†**श्री मुरारका :** जापानी फर्म के साथ इस दीर्घ-कालीन करार में मूल्य में जापानियों के लिये विशेष छूट दी गई है। अन्य विदेशी क्रेताओं के मुकाबले में वह वास्तविक छूट क्या है जो जापानियों को दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** सर्वथा छूट कोई नहीं है । प्रति वर्ष मूल्य निर्धारित किया जाता है । अब जनवरी से दिसम्बर, अगले वर्ष के लिये मूल्य के बारे में बातचीत करने के हेतु प्रतिनिधिमंडल जापान में है । हमने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारित किये हैं ।

†**श्री मुरारका :** मैं माननीय मंत्री का ध्यान प्राक्कलन समिति के अपने ८०वें प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस ने छूट के प्रश्न पर आलोचना की है और कहा है . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तर्क की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री मुरारका :** प्राक्कलन समिति ने कहा है कि खंड में छट का उपबंध है और यह भारतीय हितों के प्रतिकूल है । उसने सिफारिश की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये । परन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि छूट का कोई प्रश्न नहीं है । तो मेरा इलाज क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस समय मूल्य बातचीत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार तय किये जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रतिवेदन कितना पुराना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सम्भवत: माननीय सदस्य योजना के अन्तर्गत भावी संविदा का उल्लेख कर रहे हैं जिस के लिये जापान ने हमें भारी खर्च जुटाने के लिये कहा है जिस में विदेशी मुद्रा का व्यय भी है । मेरा उत्तर वर्तमान स्थिति के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री का ध्यान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया है, जहां निश्चित बात कही गई है कि छूट दी जाती है । सरकार को इस के बारे में क्या कहना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यहां छूट नहीं दी जाती । उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि १९६४ से लागू होने वाले दीर्घ-कालीन करार में छूट दी जायेगी ।

†**श्री मुरारका :** मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस की जांच करेंगे और प्रश्न पुन: किसी दूसरे रूप में आ सकता है ।

†**श्री दामानी :** जापानी जहाज क्या भाड़ा दर लेते हैं और अन्य देशों में लौह अयस्क आयात करने के लिये दूसरे नौवहन समवाय द्वारा ली जाने वाली भाड़ा दरों की तुलना में ये दरें कैसी हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं । हम जहाज तक ले जाते हैं और वे उसे ले जाते हैं । भाड़ा वे देते हैं, हम नहीं । मूल्य, जैसा कि मैंने कहा है, नौतल पर्यन्त निश्शुल्क के आधार पर तय किये जाते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या जापान को कच्चा लोहा भेजने की संभाव्यता जानी गई है और क्या हम इस समय कुछ माल उनको भेज रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** अभी तक हमारे पास कच्चे लोहे की कमी रही है । अभी बहुत हाल ही में हमारे पास कुछ फालतू कच्चा लोहा हुआ है जो हमेशा नहीं रहेगा क्योंकि ज्योंही इस्पात संयंत्र और खुली भट्ठियां उत्पादन आरम्भ करेंगी हमें अपने लिये ही लोहे और इस्पात की आवश्यकता होगी । हम संभवतः थोड़ा माल बचा सकें, परन्तु जापान को तो बड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता है जो हम नहीं दे सकते ।

†**श्री आचार :** क्या जापान द्वारा तथा कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा दिये गये मूल्यों में कुछ अन्तर है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** एक खास मौके पर विशिष्ट अवधि में संभरण के बारे में मूल्यों सम्बन्धी बातचीत की जाती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित होती है । मेरे पास इस समय सारा ब्यौरा नहीं है, और न ही सभा में यह बताना उचित होगा कि प्रत्येक देश के साथ प्रत्येक सौदे के लिये राजकीय व्यापार निगम के मूल्य क्या होते हैं । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को ध्यान में रखते हुए बातचीत की है ।

†**श्री कालिका सिंह :** इस बात की दृष्टि से कि भारत विदेशों को १० लाख टन से अधिक कच्चा लोहा और इस्पात भेज रहा है, क्या सरकार जापान के साथ कोई करार करेगी कि वह इस्पात के बारे में हमारे विदेशी बाजारों में हम से प्रतियोगिता न करे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हम तो इस्पात मंगवाते हैं, भेजते नहीं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बड़े आकार के टायरों का चोर बाजार

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या १—श्री खाडिलकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बम्बई मोटर परिवहन संचालक संघ तथा अन्य राज्यों के ऐसे ही संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन में बड़े आकार के टायरों का बड़े पैमाने पर चोर-बाजार होने की शिकायतें की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात की पक्की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि वास्तविक संचालकों को बड़े आकार के टायरों की सप्लाई होती रहे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(एक) उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये गये हैं । १९५९ में उत्पादन बढ़ कर ११·४० लाख हो गया है, जबकि १९५६ में ६·४२ लाख टायरों का उत्पादन हुआ था । चालू वर्ष के पहले ९ महीनों में १० लाख से अधिक टायरों का उत्पादन हुआ है और अनुमान है कि यह १३ से १४ लाख तक हो जायेगा । इस प्रकार पिछले ४ वर्षों में उत्पादन दुगुना हो गया है । वास्तव में १९६० में अब तक

---

†मूल अंग्रेजी में

१३,७०,००० टायरों का उत्पादन हो चुका है। मौजूदा कारखानों का विस्तार करके और नये कारखाने खोल कर अगले दो वर्षों में उत्पादन क्षमता को १० लाख टायरों से बढ़ा कर २९.४ लाख करने के लाइसेंस दिये जा चुके हैं। १९६१, १९६२ और १९६३ में उत्पादन में क्रमशः १५०,०००, २५०,००० और ३००,००० की और वृद्धि होगी। इस लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अलावा जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, १४.४ लाख टायरों की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

(दो) राज्य व्यापार निगम की मार्फत विदेशों से, विशेषतः पूर्व यूरोप के देशों से, १,२०,००० टायरों के आयात की व्यवस्था की गयी है। इसमें से ५०,००० टायरों के लिए आर्डर दिया जा चुका है और शेष आर्डर देने के कार्य को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(तीन) देशी टायर निर्माताओं के सहयोग से, कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा टायरों के व्यापार में किये जा रहे कदाचार को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। इस मामले के बारे में व्यापारियों तथा निर्माताओं के साथ कई बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है।

†**श्री खाडिलकर** : पिछले अगस्त में माननीय मंत्री महोदय ने राज्य सभा में उत्तर देते हुए कहा था कि उनका अनुमान यह है कि बड़े आकार के टायरों के उत्पादन और मांग में केवल ५०,००० का अन्तर है। किन्तु जो आंकड़े उन्होंने अब दिये हैं, उनसे यह लगता है कि यह अन्तर ५ लाख टायरों का है। वह जानते हैं कि ये सब कदम उठाने के बावजूद चोर-बाजार हो रहा है। इस सिलसिले में चोर-बाजार को कम करने के लिए क्या वह बड़े आकार के टायरों के वितरण में कारों और स्कटरों के नियंत्रग के समान किसी प्रकार का नियंत्रण करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य को शायद कुछ गलतफहमी है। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि ५ लाख टायरों का अन्तर है। पिछले तीन चार महीनों की मांग के आधार पर हमारा अनुमान है कि प्रतिवर्ष १ लाख टायरों की कमी है। जैसाकि मैंने पहले बताया है, हम १,२०,००० टायरों के आयात का प्रबन्ध कर रहे हैं जिस में ५०,००० टायरों का आर्डर दिया जा चुका है। यह सच है कि टायरों की कमी है किन्तु इतनी अधिक तेजी से प्रगति कर रहे परिवहन उद्योग में ऐसी कठिनाइयां पैदा होना स्वाभाविक है। सभा इस बात को समझ सकती है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण जिस का हमें सब ओर से सामना करना पड़ रहा है, इस उद्योग को भी कुछ कष्ट झेलने पड़ेंगे।

†**श्री खाडिलकर** : नियंत्रण के बारे में आपका क्या विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण करने का विचार नहीं है क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में इतने अधिक संचालकों और निजी कारों के मालिकों की इतनी अधिक संख्या है कि किसी प्रकार के नियंत्रण को लागू करना आसान बात नहीं है। प्रत्येक प्रयोक्ता को दिये जाने वाले प्रत्येक टायर के लिये लाइसेंस देना, उसे विनियमित तथा राशन करना सरल काम नहीं है।

†**श्री खाडिलकर** : मौजूदा प्रणाली के अनुसार भारतीय निर्माता और व्यापारी मोटरगाड़ियों के फ्लीट के मालिकों को टायर देते हैं। क्या यह सुविधा नई बनने वाली सहकारी समितियों को भी प्रदान की जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : सहकारी समितियां भी इतनी अधिक मांग कर रही हैं जो खरीद में सामान्य वृद्धि से भी अधिक है । यदि यह मांग सामान्य, सन्तोषजनक और युक्तियुक्त हो, तो हम सहकारी समितियों को माल का आवंटन करेंगे ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस बात को देखते हुए कि राज्य व्यापार निगम की वितरण-प्रणाली से ग़ैर-सरकारी संचालकों को राहत नहीं पहुंची, क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम द्वारा अपनाई गई वर्तमान वितरण-नीति का पुनरीक्षण करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात उन वस्तुओं के बारे में ठीक हो सकती है जिन के वितरण की पक्की व्यवस्था न हो । किन्तु माननीय सदस्य की बात टायरों के व्यापार पर लागू नहीं होती क्योंकि हम राज्य व्यापार निगम द्वारा बाहर से आयात किये गये टायरों का वितरण सामान्य व्यापार-माध्यम से कर रहे हैं; अर्थात् प्रत्यक निर्माता के टायरों के व्यापारियों की मार्फत, जो देश भर में फैले हुए हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि मद्रास में असली उपभोक्ताओं को न केवल बड़े आकार के टायर ही नहीं मिलते बल्कि दर्मियाने दर्जे के टायरों की सप्लाई भी नहीं मिलती ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं । किन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यद्यपि इस उद्योग ने पिछले चार वर्षों में अभतपूर्व प्रगति की है—किसी भी उद्योग का उत्पादन दुगना नहीं हुआ तथापि इस उद्योग को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या माननीय मंत्री अपने इस वक्तव्य से इस प्रकार चोर-बाजार को प्रोत्साहन नहीं दे रहे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बिल्कुल नहीं, हम इसे रोकने के लिये हर प्रकार के कदम उठा रहे हैं । टायरों का आयात भी किया जा रहा है, दूसरी ओर वितरण का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है तथा उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : राज्य व्यापार निगम को इस बारे में कितना लाभ उठाने की अनुमति दी गयी है ? क्या यह सच नहीं है कि ८२५–२०–११–२ प्लाई किस्म के टायरों का आयात मूल्य ४१० रु० प्रति टायर है किन्तु राज्य व्यापार निगम उसे ४९५ रु० प्रति टायर की दर से बेच रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने राज्य व्यापार निगम को देश में बनने वाले इसी प्रकार के टायरों की कीमत से अधिक मूल्य लेने की अनुमति नहीं दी । वर्तमान सम्भरण का ९५ प्रतिशत भाग देश में होने वाले उत्पादन से पूरा होता है । किन्तु यदि राज्य व्यापार निगम को विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के टायर खरीदने पड़ें, तो प्रत्येक किस्म के टायर के लाभ का प्रतिशत निर्धारण करना कठिन होता है । किन्तु कुल मिला कर निगम बहुत कम मुनाफा उठा रहा है ।

†**श्री त्यागी** : उन्हें कितने प्रतिशत लाभ उठाने की अनुमति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : म यही बात तो कह रहा था। हम ने उन से कहा है कि वे देश में बने टायरों की कीमत से अधिक कीमत न लें, ताकि उपभोक्ताओं को यह आश्वासन मिल जाये कि उन से प्रशुल्क आयोग द्वारा देशी टायरों की स्वीकृत कीमतों से अधिक दाम नहीं लिये जा रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : इस के अनुसार ३० से ४० प्रतिशत लाभ होता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, यह इतना नहीं होता। मैं प्रत्येक किस्म के बारे में तो नहीं कह रहा, किन्तु औस्तन यह ५ से ६ प्रतिशत होता है (**अन्तर्बाधायें**)। कोई प्राधिकारी प्रत्येक किस्म के टायरों के लाभ की गणना किस प्रकार कर सकता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है, **जि**स का उत्तर देना कठिन है। यह बड़ी मुश्किल सी बात है कि एक सरकारी निगम, जो विविध प्रकार के काम कर रहा है, हर चीज़ का मूल्य तथा लाभ निर्धारण करे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को चीन और पूर्वी योरोप के अन्य देशों से आयात किये गये टायरों की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं और लोगों की इस शिकायत के बावजूद ये टायर लोगों को बेचे गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि आप जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर यहां पर कई बार दिया जा चुका है। हम ने चीन से लगभग ७०० टायर मंगवाये हैं, जिन में से २ प्रतिशत से कम टायर खराब निकले हैं। किसी भी किस्म के टायरों में, चाहे वे भारत में बनाये जायें अथवा विदेशों में, २ प्रतिशत टायर तो खराब निकल ही आते हैं। संसार में सर्वोत्तम किस्म के टायरों में भारतीय टायरों का स्थान काफी ऊंचा है। इन में भी लगभग १॥ प्रतिशत टायर खराब निकल आते हैं। किसी स्थान से बहुत अधिक खराबियां निकलने की शिकायत नहीं आई।

†**श्री हेम बरुआ** : चोर-बाजार जारी है और एक टायर के लिय लगभग २०० रु० अधिक लिया जाता है। यह एक अखिल भारतीय समस्या है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता, केवल जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य कोई नीति निर्धारण करना चाहते हैं, तो मामले को उठाने के और बहुत से तरीके हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : किन्तु चोर बाजार को रोकने के लिये सरकार को कोई नियम बनाने चाहिएं।

†**श्री त्यागी** : चोर बाजार हो रहा है (**अन्तर्बाधायें**)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि तत्काल ही किसी किस्म के नियम बनाये जायें, नियंत्रण लागू किया जाये। किन्तु मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। क्या इस बात का फैसला अभी एक अल्प-सूचना प्रश्न पर हो सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : चोर-बाजार बन्द होना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मुख्य बात यह है। माननीय मंत्री यह जानते हैं कि भारत में टायरों की कमी है। वह यह भी जानते हैं कि चोर-बाजार भी चल रहा है (**अन्तर्बाधायें**)। इस बात को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को एक साथ खड़े होने और इकट्ठे बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। इस मामले के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के अपने अपने विचार हैं। माननीय मंत्री महोदय उन के विचारों से सहमत नहीं हैं। मतभेद को दूर करने के लिये निश्चित ही यह कोई ठीक तरीका नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हम चोर-बाजारी को जारी नहीं रहने देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रकार सभा को तंग कर के चोर-बाजार को रोका जा सकताहै ?

†**श्री हेम बरुआ** : हमें चोर-बाजार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहियें (**अन्तर्बाधायें**) : ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि इस मामले को किस तरीके से सभा के सम्मुख लाया जा सकता है। उस समय सभा को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा और यदि सभा मंत्री महोदय के विचारों से असहमत होगी तो मंत्री महोदय को सभा के विचारों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम अगला कार्य हाथ में लेंगे।

भारत सेवक समाज

†***५६७. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज को एक सामाजिक संगठन समझा जाता है और उस के मनोनीत व्यक्तियों को जिला विकास समितियों और खंड विकास समितियों में रखा गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सेवकसमाज १८६० के २१वें अधिनियम समितियां पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की गई एक समिति है, जिस का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करना और उन्हें इस के लिये सक्रिय रूप से कार्य करने के लिये प्रेरित करना।

२. पंचवर्षीय योजना में, विकास कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिये जिला विकास और खंड विकास समितियों का गठन करने का उपबन्ध है। इन समितियों के महत्वपूर्ण कृत्यों में से एक कृत्य है, विकास कार्यक्रमों में जनता के सक्रिय सहयोग को प्राप्त करना और सभी क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्नों का विस्तार करना। इसलिये १९५२ में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे भारत सेवक समाज को इन समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

†***५७२. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में जांच पड़ताल करने तथा भ्रष्टाचार दूर करने के मार्ग और उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च सत्ता प्राप्त प्रविधिक समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना इस समय किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : यह फैसला किया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के तरीकों की जांच करने और उनका उन्मूलन करने के उपायों की सिफारिशें देने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय, जिसके सदस्य निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, विशेष पुलिस संस्थान के इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के मुख्य प्रविधिक परीक्षक, और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में प्रशासकीय सतर्कता शाखा के उप-सचिव होंगे ।

कपड़े का निर्यात

†*५७७. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, पाकिस्तान और भारत के कपड़ा उद्योगों के बीच कोई त्रिदलीय समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो १९६० में भारत से ब्रिटेन को निर्यात के लिए कितने लाख वर्ग गज कपड़ा निर्धारित किया गया है ;

(ग) अगस्त, १९६० के अन्त तक भारत ने कितने वर्ग गज कपड़ा भेजा है ;

(घ) क्या इस निर्यात से कोई विदेशी मुद्रा कमाई गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी रकम की विदेशी मुद्रा कमाई गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ङ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है ।

विवरण

(क) ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच कोई त्रिदलीय समझौता नहीं हुआ । किन्तु ब्रिटेन के रुई बोर्ड ने, जो ब्रिटेन के सूती वस्त्र-उद्योग का प्रतिनिधि है, भारत, पाकिस्तान और हांगकांग के सूती वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कुछ व्यवस्था कर रखी है । इस समझौते के अनुसार भारत-पाकिस्तान और हांगकांग से ब्रिटेन को सूती कपड़े का निर्यात जनवरी, १९६० से अगले तीन वर्षों तक की अवधि में एक निश्चित और स्वीकृत अधिकतम सीमा के अन्दर अन्दर ही किया जा सकता है ।

(ख) यह निश्चित किया गया है कि इन तीनों वर्षों में से प्रत्यक वर्ष भारत से ब्रिटन को अधिक से अधिक १७ करोड़ ७५ लाख वर्ग गज़ सूती कपड़े का निर्यात किया जा सकता है । "सूती कपड़ा" शब्द के अन्तर्गत ब्रिटेन में उपभोग होन वाला प्रत्येक प्रकार का कपड़ा आ जाता है, चाहे वह टुकड़ों में हो अथवा सिल हुए वस्त्र हों । किन्तु इसमें सूती चटाइयां, सूती कालीने, सूती दरियां, सूती साल और हथकरघे पर बनाया गया कपड़ा शामिल नहीं है । यह उच्चतम-सीमा उस आयात किये गये कपड़े पर लागू नहीं होगी, जिसे बाद में पुन: निर्यात किया जाना हो ।

(ग) से (ङ). जनवरी से अगस्त, १९६० तक की अवधि में ब्रिटेन को १३ करोड़ ५० लाख वर्ग गज सूती-कपड़ का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य ११ करोड़ ८० लाख रुपया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र में उद्योग

†*५७८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए राज्यस्तर पर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) इस संबंध में क्या सहायता मांगी गयी है ; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या राय है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) कई राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र में राज्य-स्तर पर उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया है । उनका मुख्य उद्देश्य अपने अपने राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना लगता है किन्तु उद्योगों में विनियोजन करने से उचित लाभ होने का भी अनुमान है ।

(ख) इन उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारें वित्त, विदेशी मुद्रा आदि के रूप में सहायता चाहती हैं ।

(ग) राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने के पश्चात, योजना आयोग ने तीसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में राज्यों की योजनाओं में कुछ औद्योगिक योजनाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा

†*५७९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री डामर :
श्री हाल्दर :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान-पश्चिम पाकिस्तान सीमा अंकित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: ६४४ मील लम्बी इस सीमा के १०४ मील सीमा का अब तक अंकन किया गया है ?

प्रति व्यक्ति आय

†*५८०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय १९५९–६० में वास्तव में घट गयी है ;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसका क्या अर्थ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना के आरंभ से होने वाली उत्तरोत्तर वार्षिक वृद्धि में हुये विशिष्ट ह्रास के कुछ वर्षों तक जारी रहने की सम्भावना है या यह केवल अस्थायी है ;

(घ) वर्ष १९५९–६० में ह्रास की इस प्रवृत्ति के लिए अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में से कौन उत्तरदायी है ; और

(ङ) क्या भविष्य में ऐसा ह्रास रोकने के लिए सरकार उपाय कर रही है और यदि हां, तो क्या ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने १९४८–४९ के मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय का जो जल्दी जल्दी में (quick) अनुमान लगाया है, उसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय १९५९–६० में घट कर २९१.३ रु० हो गयी है जब कि १९५८–५९ में यह आय २९३.६ रु० थी ।

(ख) १९५९–६० में राष्ट्रीय आय १९५८–५९ की राष्ट्रीय आय से ०.५ प्रतिशत अधिक थी । किन्तु जनसंख्या में तेज रफ्तार से वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में कमी हो गयी है ।

(ग) १९५९–६० में राष्ट्रीय आय में बिल्कुल थोड़ी सी वृद्धि होने और प्रति-व्यक्ति आय में कमी होने का मुख्य कारण कृषि उत्पादन में ३.९ प्रतिशत की कमी होना है । यह कभी प्रतिकल मौसम के कारण हुई है और ऐसा मौसम हर वर्ष होने की सम्भावना नहीं है ।

(घ) मुख्यतः कृषि ।

(ङ) सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के उपाये ढूंढ़े जा रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । किन्तु मौसम के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त करना सम्भव नहीं है, हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने और बाढ़-नियंत्रण की जो योजनाएं शामिल की गयी हैं, उनसे इनका प्रभाव अवश्य घट सकेगा ।

शंघाई (चीन) से निकाले गये भारतीय

†*५८१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब अनेक भारतीय शंघाई (चीन) से निकाले जा रहे थे तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि भारत में आने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यहां उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाइसेंस देने की प्रक्रिया

†*५८२. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौलैंड की सरकार ने लाइसेंस देने के संबंध में भारत की पेचीदा और लंबी प्रक्रिया व प्रतिबन्धों के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). हमारी लाइसेंसिंग प्रणाली के बारे में पोलैंड की सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली। विलम्ब सम्बन्धी कुछ विशेष मामलों पर, जिनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया था, तुरन्त कार्यवाही की गयी थी।

विशेष रक्षित निधि

†*५८३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन विशेष रक्षित निधि स्थापित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निधि के क्या प्रयोजन हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) जिन मामलों में मालिकों ने अपना हिस्सा और कर्मचारियों से वसूल रकम जमा न करायी हो, उनमें निवृत्त होने वाले कर्मचारियों, उन द्वारा मनोनीत व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को भविष्य निधि की देय रकम अदा करने के लिए।

नारियल जटा के कारखाने

†*५८४. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नमूने के नारियल जटा के कारखाने चलाने की कोई योजना नारियल जटा बोर्ड के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने चालू किये जायेंगे ; और

(ग) उनकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कच्चे माल की कमी

†*५८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खास कर छोटे पैमाने के उद्योगों में लोहा और इस्पात तथा अलौह धातु जैसे जरूरी कच्चे माल की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में]

(ख) अलौह-धातुओं की कमी अभी जारी है । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों की लोहे और इस्पात की एक तिहाई आवश्यकता का सम्बन्ध है, भविष्य में उसका आयोजन उच्च-प्राथमिकता स्तर पर किया जायेगा । जिन किस्मों के इस्पात की देश में कमी है, उन किस्मों के ५०,००० टन इस्पात का आयात करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

कलकत्ते में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

†*५८६. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हाल्दर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों के जहाजों से माल उतारने के लिये कलकत्ते के बन्दरगाहों में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी ;

(ख) किन कारणों से हड़ताल हुई और वह कब तक रही ; और

(ग) जहाजों से माल न उतारे जाने के कारण जहाज कम्पनी को कितना हर्जाना दिया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) यह हड़ताल बिना किसी सूचना के की गयी । इसका सम्बन्ध सीधी अदायगी न करने और सूची बद्ध स्टिचर्स (Stitchers) और बैगर्स (Baggers) की चक्रानुक्रम के अनुसार बुकिंग के बारे में गलतफहमी से है ।

हड़ताल ५ अक्तूबर को मध्यान्ह-पश्चात पाली से शुरू हुई और १३ अक्तूबर, १९६० को ३.३० म० प० पर वापस ले ली गयी ।

(ग) अभी तक कोई विलम्ब-शुल्क नहीं दिया गया ।

हस्तिनापुर में पुनर्वास

***५८७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तिनापुर बसाये गये ३०० परिवारों में से २०० परिवार नगर छोड़ कर किसी अन्य स्थान को चले गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शेष १०० परिवारों की स्थिति भी डावांडोल ही है ;

(ग) यदि हां, तो २०० परिवारों को नगर छोड़ कर जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परिवारों के पुनर्वास पर केन्द्रीय सरकार ने कितना धन व्यय किया था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) नगर में बसाये गये कुल ३२५ परिवारों में से २१० परिवार अब भी वहां हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं, यद्यपि उन लोगों की आर्थिक दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग नगर में बस चुके हैं ।

(ग) अधिकतर परिवार रोजगार की सुविधाओं के अभाव के कारण ही नगर छोड़ कर चले गये हैं ।

(घ) (१) पूंजीगत व्यय . . ३३. १२ लाख रुपये

(२) अनुदान . . ३. २४ लाख रुपये

(३) विस्थापितों को ऋण २. ७७ लाख रुपये

औद्योगिक बस्तियां

†*५८८. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक बस्तियों में अनेक उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चा माल पूरा पूरा नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कई औद्योगिक बस्तियों ने यह शिकायत की है कि वर्तमान परिस्थिति में वे काम नहीं कर सकते ; और

(ग) इन बस्तियों को समय पर पर्याप्त कच्चा माल दिया जाये इस ओर ध्यान देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, यह हमेशा सम्भव नहीं होता कि कच्चे माल का आयात करने के बारे में छोटे पैमाने के उद्योगों की मांग को बिल्कुल पूरा किय जा । अधिक कमी विशिष्ठ प्रकार के इस्पात की है । लोहा और इस्पात कन्ट्रोलर को इस्पात के अन्तर्देशीय आवंटन की एक तिहाई मात्रा के वितरण का आयोजन प्राथमिक-स्तर पर किया जाये ताकि औद्योगिक बस्तियों और उन से बाहर के छोटे पैमाने के कारखानों को इस्पात का तुरन्त वितरण किया जा सके । इस के अतिरिक्त 'रुपया अदायगी क्षेत्र' से ५०,००० टन इस्पात का आयात करने के लिये कदम उठाये गये हैं ताकि छोटे पैमाने के उद्योगों को जून, १९६१ से पहले इस्पात का वितरण किया जा सके । जहां तक अन्य कच्चे माल का सम्बन्ध है आयात नियंत्रण प्राधिकारी सामान्यत: औद्योगिक बस्तियों में स्थित कारखानों और छोटे पैमाने के उद्योगों की मांग को यथा संभव पूरा करते हैं ।

राज्यहीन भारतीयों द्वारा छिपकर जहाजों में यात्रा

†*५८९. { **श्री प्र० गं० देव** :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या दो राज्यहीन भारतीय पिछले १२ महीने तक भारत और यूरोप के बीच समुद्र पर रहे ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो उन्हें भारत में किन कारणों से नहीं आने दिया गया ; और

(ग) वे अब कहां हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जी हां। जोजफ वाज और समुअल अबदुल्ला नामक दो व्यक्ति, जो बिना किराया दिये छिप कर यात्रा कर रहे थे, पी० ओ० शिपिंग कम्पनी द्वारा सितम्बर, १९५९ में 'स्ट्राथमोर' नामक उनकी नाव में पकड़े गये थे, जब कि उनका जहाज, जो ब्रिटेन जा रहा था, अदन से प्रस्थान कर चुका था । क्योंकि उनके बयान परस्पर-विरोधी थे, इसलिये हमारे अधिकारियों के लिये स्पष्ट रूप से यह निश्चित करना सम्भव नहीं था कि वे भारती थे अथवा नहीं।

(ग) समाचार है कि इस समय वे कम्पनी के एक जहाज पर समुद्र का चक्कर काट रहे हैं ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

†*५९०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्थानीय प्राधिकार संघ की कार्यपालिका समिति ने सरकार से स्थानीय निकायों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखने की अपील की है ;

(ख) क्या नागपुर निगम और उसके कर्मचारियों के मामले में गत फरवरी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या राय है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं। फैडरेशन ने केन्द्रीय स्वायत्तशासन परिषद् को ऐसी एक प्रस्थापना पेश की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अधिनियम में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†५९१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भोपाल में एक सभा में अपने हाल के भाषण में यह राय व्यक्त की थी कि चपरासियों की पदाली समाप्त कर दी जाये ;

(ख) उक्त पदाली समाप्त करने से कितने धन की बचत होगी ;

(ग) इस कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(घ) क्या इन रिक्तियों पर शिक्षित व्यक्तियों को रखने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (घ). प्रधान मंत्री जी ने अक्सर यह कहा है कि चपरासी रखने का कायदा खासकर चपरासियों की अफसरों के साथ जाती तौर पर नियुक्ति अच्छी नहीं है। उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि चपरासियों की तादाद उत्तरोत्तर कम कर दी जाय और जहां कहीं जरूरी हो उनका स्थान अफसरों के साथ लगे सन्देशवाहक (हरकारे) ले लें।

२. प्रधान मंत्री जी के इन सुझावों के परिणामस्वरूप मंत्रियों तथा उच्च अफसरों के साथ लगे हुए चपरासियों की तादाद में कमी हुई है। कई ऐसे दफ्तरों में जो कि एक ही जगह स्थित हैं, हरकारा प्रणाली (मैसेंजर सर्विस सिस्टम) लागू कर देने से चपरासियों की तादाद में कुछ और मात्रा में कमी हुई। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों से चपरासियों की पदावली में ताजा भर्ती पर मुकम्मल पाबन्दी लगी हुई है।

३. यह नहीं कहा जा सकता कि चपरासियों की तादाद में कमी के कारण कितनी बचत होगी। हां, कुछ बचत हुई जरूर है।

४. हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस कारण से बेरोजगारी न हो।

५. हरकारा प्रणाली (मैसेंजर सर्विस सिस्टम) के लिये निस्सन्देह कुछ अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

कर्मचारियों की शिक्षा

†*५९२. **श्री तंगामणि**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ के लिये कर्मचारियों की शिक्षा के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को धन दिया गया है;

(ख) अभी तक कितने केन्द्रीय कार्मिक संघ संघठनों ने आवेदन किया है

(ग) प्रत्येक के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है; और

(घ) वर्ष १९६०–६१ के लिये कुल कितनी रकम नियत की गयी है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ग). इण्डियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फैडरेशन, लखनऊ, सर्वेण्ट्स आफ दि पीपुल्स सोसायटी, नई दिल्ली और आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस संस्थाओं में से प्रत्येक को कर्मचारियों की शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये अभी तक १०,००० रुपये या वास्तविक व्यय का ७५ प्रतिशत, जो भी कम हो, की सिफारिश की गयी है। इण्डियन एडल्ट एजूकेशन एसोसियेशन, नई दिल्ली को भी ३००० रुपये मंजूर किये गये हैं।

(ख) दो—हिन्द मजदूर सभा और अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस।

(घ) ३४,००० रुपये।

मसालों के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†*५९३. **श्री राम शरण :**
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि सरकार मसालों के लिये एक अलग निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसे सामान्य परिषद् से अलग करने के क्या कारण हैं और कितना अतिरिक्त खर्च किया जायेगा; और

(ग) भविष्य में व्यापार में वृद्धि होने की कितनी सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना की जा चुकी है ।

(ख) भूतपूर्व काजू और काली मिर्च निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने केवल काली मिर्च के सौदे किये जो कि सब मसालों के लिये एक पृथक् परिषद् स्थापित होने पर, इसको हस्तांतरित कर दिये गये हैं । एक परिषद् से दूसरी को कोई वस्तु हस्तांतरित करने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

(ग) विक्रय संवर्द्धन गतिविधियों के परिणाम प्राप्त होने से पूर्व कोई ठीक मूल्यांकन करना कठिन है ।

गंगटोक में गिरफ्तार चीनी

†*५९४. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अमजद अली :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० के० देव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगटोक में एक चीनी सेना पदाधिकारी को हिरासत में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय गुप्तचर विभाग ने उससे पूछताछ की है; और

(ग) अभी तक क्या जानकारी मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ग्यान्त्से में भारतीय व्यापार एजेंसी का भवन

*५९५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार एजसी का भवन बनाने के बारे में चर्चा तथा पत्र-व्यवहार का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : पट्टे की शर्तों पर बातचीत समाप्त हो गई । क्षेत्र की चहार दीवारी का निर्णय हो जाने के बाद, पट्टेनामे पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात करने वालों को ऋण की सुविधायें

†*५९६. श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक निर्यातकर्ताओं को सरकारी संगठनों से या बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी हाल में बनाये गये निर्यात जोखिम बीमा निगम द्वारा बैंकों से अधिक ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात करने वालों को अधिक ऋण सुविधाओं का आश्वासन देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). निर्यात व्यापार को बैंकों से पर्याप्त ऋण सुविधायें दी जाती हैं। निर्यात जोखिम बीमा निगम द्वारा जारी की गयी पालिसियों को बैंकों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा माना जाता है।

भूटान में तिब्बती शरणार्थी

†*५९७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार भारत सरकार से यह आग्रह कर रही है कि वह तीन या चार हजार तिब्बतियों को, जो भूटान में हैं, ले ले; और

(ख) इस पर भारत सरकार की क्या राय है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). कुछ समय पहले भूटान सरकार ने हमें बताया था कि समिति संसाधनों के कारण उनके लिये भूटान में बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना कठिन होगा। इस समय भूटान में केवल लगभग १८०० शरणार्थी हैं।

तथापि, भूटान सरकार ने भूटान में सड़क निर्माण परियोजना पर लगभग ३००० शरणार्थियों को रोजगार दिया है जिसके पूरा होने में कुछ वर्ष लगेंगे। भारत सरकार उनके संधारण के लिये वित्तीय सहायता देने को राजी हो गयी है।

चीन के साथ व्यापार

†*५९८. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री वोडयार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के पूर्वार्द्ध में भारत और चीन के बीच कितने मूल्य का आयात और निर्यात हुआ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत चीन व्यापार करार को फिर नये रूप से लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) चीन को निर्यात ४४० लाख रुपये।

चीन से आयात . . . . १९७ लाख रुपये

(ख) इस समय कोई नहीं ।

ओखला में औद्योगिक बस्ती

†*५९९. **श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार दिल्ली में ओखला की वर्तमान औद्योगिक बस्ती के बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

मलत: ओखला औद्योगिक बस्ती का कार्यक्रम २९५ कारखानों के लिये था परन्तु विधि की कमी के कारण इसको घटा कर ११६ कारखानों के लिये करना पड़ा । अत: भारी रूप से विस्तार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इन ११६ कारखानों में से ३५ बनाये जा चुके हैं और उनमें काम चल रहा है । लगभग ४५ लाख रुपये की लागत का १,६०,००० वर्गफुट क्षेत्र में ४० कारखाने बनाये जा रहे हैं । निर्माण-कार्य के मई, १९६१ तक पूरा हो जाने की आशा है । ४४,००० वर्गफुट क्षेत्र में खेल-कूद का सामान बनाने के लिये १० लाख रुपये की लागत से ४१ कारखाने बनाने का प्रस्ताव है ।

'स्विंग क्रेडिट' सीमा

†*६००. **श्री प्र० चं० बरूआ: क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई मामले हैं जिनमें "स्विगं क्रेडिट" सीमा पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या "स्विंग क्रेडिट" सीमा बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जमा (क्रेडिट) और नाम (डेबिट) दोनों के बारे में 'स्विंग सीमा' की व्यवस्था बर्मा और पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार करार में की गयी है। क्योंकि इन देशों के साथ व्यापार कम ज्यादा होता रहा है, अत: कुछ अवसरों पर ऐसे मामले हुए हैं जिनमें उपरोक्त सीमा पूरी हो गई थी ।

(ख) जी, हां । बर्मा के मामले में इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

काश्मीर

†*६०१. **श्री अ० मु० तारिक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के अभी हाल के वक्तव्य के बारे में जिसमें उन्होंने भारत को यह धमकी दी है कि यदि निर्णय उनके पक्ष में न किया गया तो वे सैनिक कार्यवाही करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विरोध पत्र भेजा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार के विचार में ऐसा विरोध आवश्यक नहीं है।

निर्यात व्यापार

†*६०२. **श्री श्रीनारायण दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापार में नये लोगों को लाइसेंस देने के बारे में उनके पहले के अनुभव सम्बन्धी शर्त को काफी हद तक ढीला करना संभव हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो शर्त में क्या ढिलाई की गई है और किस हद तक ; और

(ग) निर्यात व्यापार में नवागन्तुकों की वृद्धि पर इस ढिलाई का क्या असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). कुछ वस्तुओं को छोड़ कर, जिनका निर्यात निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन नियमित है, समूचा व्यापार हर व्यक्ति के लिये खुला है, जो भी चाहे निर्यात कर सकता है। कुछ वस्तुओं को छोड़ कर, जिनका निर्यात पुराने नौवहन के द्वारा कराया जाता है, सब लाइसेंस शुदा वस्तुओं का निर्यात सब श्रेणी के नौवहक कर सकते हैं चाहे वे नये हों और उनके लिये किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं।

(ग) नये व्यापारियों की संख्या के बारे में, जो निर्यात व्यापार में नये शामिल हुए हैं, जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खादी की बिक्री

†*६०३. {**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी खादी का कितना स्टाक पड़ा हुआ है ; और

(ख) बिक्री बढ़ाने के लिये क्या अतिरिक्त कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खादी का भंडार ४ से ५ करोड़ रुपये तक का है जो लगभग ४–५ महीनों का उत्पादन है। यद्यपि इसको समाप्त करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है, इसे बड़ा भंडार नहीं समझना चाहिये।

खादी के इकट्ठा हुए भंडार को समाप्त करने के खयाल से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ११ सितम्बर से १४ नवम्बर, १९६० तक की अवधि में सूती खादी की बिक्री पर ६ नये पैसे रुपये की कटौती दी। इससे आयोग पर्याप्त मात्रा में जमा माल निकाल सका है।

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त, खादी संस्थाओं और आयोग ने खादी की बिक्री के लिए और खादी उत्पादन की किस्म को सुधारने और उसका मानकरण करने के लिये और उचित उपायों द्वारा नये प्रशिक्षित कातने वालों और बुनकरों से सूत और कपड़े की सब-स्टेंडर्ड किस्म की प्रतिशतता में कमी करने के के लिये गहन रूप से एक आन्दोलन आरम्भ किया है ।

आसाम में उर्वरक का कारखाना

†*६०४. **श्री प्र० चं० बरूआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में खोले जाने वाले उर्वरक कारखाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा देने का निश्चय किया है ; और

(ख) किस तारीख तक कारखाना बनाने का काम शुरू होगा ; और उसके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी. हां ।

(ख) इस प्रक्रम पर कोई निश्चित तिथि बताना कठिन है परन्तु निर्माण-कार्य के वर्ष १९६१ के दौरान आरम्भ हो जाने की आशा है । एक नाइट्रोजन कारखाने को स्थापित होने और चालू होने में लगभग ३ वर्ष लगते हैं ।

पंजाब में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†१०१४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० के दौरान पंजाब में कितने छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग आरम्भ किये गये और जहां ये आरम्भ किये गये, उन स्थानों के क्या नाम हैं ;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋण और अनुदान द्वारा कुल कितनी रकम मंजूर की गयी और प्रत्येक उद्योग के लिये उसके पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उसी अवधि में प्रत्येक उद्योग में कितना उत्पादन हुआ और कुल कितनी आय हुई ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है ।

केन्द्रीय श्रम संस्था

†१०१५. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में प्रस्तावित केन्द्रीय श्रम संस्था स्थापित करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): संस्था के कुछ अनुभाग, जैसे सुरक्षा केन्द्र, उत्पादिता तथा उद्योग के भीतर प्रशिक्षण केन्द्र किराये की इमारतों में स्थापित किये जा चुके हैं । संस्था के लिये एक इमारत भी बनाई जा रही है । भूमि को पक्का करने का काम पूरा किया जा चुका है और नींव रखी जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

डीज़ल इंजन

†१०१६. **श्री मुरारका:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में कितने डीज़ल इंजनों का उत्पादन हुआ (संख्या और हार्स पावर समेत) ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गयी और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गयी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) उत्पादन के आंकड़े पत्री वर्षवार और संख्या में रखे जाते हैं। वर्ष १९५० और १९५१ में उत्पादन क्रमश: ४५९६ नग और ७२४६ नग रहा। हार्स पावर के तौर पर उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना में डीज़ल इंजनों के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, प्रथम योजना काल के अन्त में १०,००० नग का उत्पादन आंका गया था। इसके विरुद्ध वर्ष १९५६ में वास्तविक उत्पादन १२,०१५ नग रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन लक्ष्य २२,००० नग निर्धारित किया गया था। वर्ष १९६० में (सितम्बर तक—९ महीनों के लिये) वास्तविक उत्पादन ३०,०९० नग था।

प्रथम योजना और द्वितीय योजना-काल में इस उद्योग के लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाइसिकलों का उत्पादन

†१०१७. **श्री मुरारका:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में कितनी बाइसिकलों का उत्पादन रहा ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गयी और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गयी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष १९५०–५१ में १,०१,१३६ साइकिलों का उत्पादन हुआ ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५,३०,००० साइकिलों का उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया था । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में उत्पादन ६,६३,९६९ नग रहा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य १५ लाख नग का था । वर्ष १९५९ में ११,८७,७४८ साइकिलों का उत्पादन हुआ । यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजना काल के अन्त तक लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

इस उद्योग के सब यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और इसलिये सरकार ने इस उद्योग के लिये विशिष्ट रूप से कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया है ।

सिलाई की मशीनें

†१०१८. **श्री मुरारका:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में कितनी सिलाई की मशीनों का उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गयी और प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गयी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष १९५० और १९५१ में सिलाई की मशीनों का उत्पादन क्रमश: ३०,८९२ नग और ४४,४६१ नग हुआ । (वित्तीय वर्ष १९५०–५१ के लिये आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य ९१,५०० नग था । वर्ष १९५६ में उत्पादन १३०,३८८ नग रहा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य ३,००,००० नग था । वर्ष १९५९ में २९०,६८१ नग रहा । यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजना-काल के अन्त तक निर्धारित उत्पादन लक्ष्य बढ़ जायेगा ।

इस उद्योग के सारे यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और इसलिये सरकार ने इस उद्योग के लिये विशिष्ट रूप से कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरीकेन लालटेन

†१०१९. **श्री मुरारका:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०–५१ में कितनी हरीकेन लालटैनों का उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गयी और प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गयी है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी हैं ?

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष १९५०-५१ में ३,२४४,००० हरीकेन लालटैनों का उत्पादन हुआ।

प्रथम तथा द्वितीय--दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन-लक्ष्य ६,०००,००० नग था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् १९५५-५६ में ५,३८५,००० नग का उत्पादन हुआ। वर्ष १९५९ में ४,५६०,००० नग का उत्पादन हुआ। वर्ष १९६० के लिये प्राक्कलित उत्पादन ५,१६५,००० नग का है। विद्युतीकरण और ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़ते हुए कार्यक्रमों के कारण लालटैनों की खपत में वृद्धि नहीं हो रही है और इसीलिये उत्पादन में निर्धारित-लक्ष्य की पूर्ति में कमी है।

इस उद्योग के सब यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं और इसलिये इस उद्योग के लिये सरकार ने विशिष्ट रूप से कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया है।

रेगमाल

†१०२०. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५०-५१ में कितने रीम रेगमाल का उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गई है ?

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ३२,७०० रीम ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के लिये विशिष्ट रूप से उत्पादन अथवा क्षमता के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ग) **लक्ष्य**

(१) अधिष्ठापित क्षमता . २,५५,००० रीम ।

(२) उत्पादन . १,५०,००० रीम ।

प्राप्ति

(१) अधिष्ठापित क्षमता . . २,००,००० रीम ।

(२) उत्पादन (वर्ष १९६० के लिये प्राक्कलित) . १,५०,००० रीम ।

ये यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में थे और इसलिये इस उद्योग के लिये कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया और न ही अब तक वास्तविक रूप में खर्च की गई रकम के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सान रखने के चक्के

†१०२१. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) वर्ष १९५०-५१ में सान रखने के कितने चक्कों का उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये उत्पादन-लक्ष्य क्या था, उसी अवधि में यह लक्ष्य कहां तक पूरा किया गया, कितनी रकम आवंटित की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तव में कितनी रकम खर्च की गई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उत्पादन-लक्ष्य क्या था, अब तक यह लक्ष्य कितना पूरा हुआ है, कितनी रकम आवंटित की गई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गई है ?

(घ) निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में यदि कोई कमी हुई है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) २३१ टन ।

(ख) लक्ष्य

(१) अधिष्ठापित क्षमता . . . ८४० टन ।

(२) उत्पादन . . . . ७५० से ८०० टन तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्ति

(१) अधिष्ठापित क्षमता . १५२० टन ।

(२) उत्पादन . . ८०० टन ।

ये यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में थे और इसलिये इस उद्योग के लिये कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया और न ही प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तविक खर्च की रकम के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध ह ।

(ग) लक्ष्य

(१) अधिष्ठापित क्षमता . . . २११० टन ।

(२) उत्पादन . . १५०० टन ।

प्राप्ति

(१) अधिष्ठापित क्षमता . . २७७० टन ।

(२) उत्पादन . . . १७०० टन ।

ये यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में थे और इसलिये इस उद्योग के लिये कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया । और न ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में वास्तविक खर्च की रकम के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिजली के ट्रांसफार्मर

†१०२२. **श्री मुरारका:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बिजली के (३३ किलोवाट तथा उस से कम के) ट्रांसफार्मरों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; इसी अवधि में कितने ट्रांसफार्मर बनाये गये तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में उन के लिये कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुत: कितना व्यय हुआ ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक कितने बन चुके हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना धन नियत किया गया है और अब तक वस्तुत: कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रही है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १७९,००० किलोवाट ।

(ख) और (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये ४५०,००० किलोवाट एम्पियर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और १९५५-५६ में वास्तविक उत्पादन ६२९,००० किलोवाट एम्पियर का हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १५ लाख किलोवाट एम्पियर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा १९६० में १२ लाख किलोवाट एम्पियर के उत्पादन का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में इस उद्योग के लिये कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया, उस के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उत्पादन में यदि कोई कमी आई है तो उसका कारण यह है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् परियोजनाओं की कार्यान्विति में हेरफेर करने के परिणामस्वरूप मांग में कमी आ गई थी।

बिजली के मोटर

†१०२३. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में (२०० हार्स पावर तथा कम के) कितने बिजली के मोटर बनाये गये ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस अवधि में कितना उत्पादन हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस काम के लिये कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय हुआ ;

(ग) द्वितीय योजना काल के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक कितने मोटर बने हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना धन नियत किया गया है तथा अब तक वस्तुतः कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रही है, तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ९९,१०९ हार्स पावर।

(ख) और (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये ३२०,००० हार्स पावर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ८००,००० से १० लाख हार्स पावर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९५५ में वास्तविक उत्पादन २७१,६०० हार्स पावर का हुआ था और १९६० में ८००,००० हार्स पावर के उत्पादन का अनुमान है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में इस उद्योग के लिये कितना कितना धन नियत किया गया तथा वस्तुतः कितना व्यय किया गया, इसके पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(　) लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी।

रेडियो सेटों का निर्माण

†१०२४. **श्री मुरारका**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में कितने रेडियो रिसीवर बनाये गये;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसी अवधि में कितने रेडियो रिसीवर बनाये गये और प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितना धन नियत किया गया और वस्तुतः कितना व्यय किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक कितने बनाये जा चुके हैं; द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना धन नियत किया गया है तथा अब तक वस्तुतः कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रही है तो उसका क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) विकास विभाग की सूची के अनुसार १९५०–५१ में फर्मों द्वारा कुल ४५,०१७ रेडियो रिसीवर बनाये गये ।

(ख) और (ग). विकास विभाग की सूची के अनुसार १९५५–५६ में फर्म द्वारा १०२,००० रेडियो रिसीवर बनाये गये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये ३०,००० रेडियो रिसीवरों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में इस उद्योग के लिये कितना कितना धन नियत किया गया तथा कितना वस्तुतः व्यय हुआ, इसके पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कमी की संभावना नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी

†**१०२५. श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित संस्थान में १ अक्तूबर, १९६० को (१) वर्क असिस्टेंट (२) जीप चालक (३) लिफ्ट मैन (४) लिफ्ट क्लीनर (५) लिफ्ट मिस्त्री (६) इंजन ड्राइवर अथवा डीजल इंजन ड्राइवर; और (७) लिफ्ट फिटर के रूप में काम करने वाले कितने व्यक्ति थे; और

(ख) उपरोक्त पदों में से कितने श्रेणी ३ और श्रेणी ४ में हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) १ अक्तूबर, १९६० को जो स्थिति थी उसकी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है । उसे यथासमय सभा-पटल पर रखा जायेगा । १ अप्रैल, १९६० को जैसी स्थिति थी उसकी जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	पद	संख्या
(१)	वर्क असिस्टेंट	६७३
(२)	जीप चालक	११
(३)	लिफ्ट मैन	१७०
(४)	लिफ्ट क्लीनर	३२
(५)	लिफ्ट मिस्त्री	८
(६)	डीजल इंजन ड्राइवर	१८९
(७)	लिफ्ट फिटर	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

क्रमांक	पद	श्रेणी	संख्या
(१)	वर्क असिस्टेंट	३	९८
(२)	जीप ड्राइवर	३	३
(३)	लिफ्ट मैन	४	३७
	(लिफ्ट मैनों को नियमित रूप से नहीं रखा जाता)		
(४)	लिफ्ट क्लीनर	४	१७
(५)	लिफ्ट मिस्त्री	३	२
	(लिफ्ट मैनों को नियमित रूप से नहीं रखा जाता)		
(६)	इंजन ड्राइवर अथवा डीजल इंजन ड्राइवर	३	२
	(डीज़ल इंजन ड्राइवरों को नियमित रूप से नहीं रखा जाता)		
(७)	लिफ्ट फिटर	३	१

महाराष्ट्र में अम्बर चर्खा

†१०२६. **श्री पांगारकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में महाराष्ट्र राज्य में अम्बर चर्खा के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये;

(ख) इस अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया;

(ग) इन प्रशिक्षणार्थियों को कितने अम्बर चर्खे दिये गये; और

(घ) कितने अम्बर चर्खे इस्तैमाल में लाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये तीन नये विद्यालय स्थापित किये गये थे ।

(ख) १६२ शिक्षक, ४० बढ़ई, ५९ बुनकर तथा २,१२३ कातने वाले प्रशिक्षित किये गये थे ।

(ग) प्रशिक्षित कताई करने वालों को १,७७८ अम्बर चर्खे दिये गये ।

(घ) महाराष्ट्र में दिये गये ९,८१४ अम्बर चर्खों में से अनुमानत: ५,८८४ चल रहे हैं ।

अशोक होटल में पद

†१०२७. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल में कितने वर्ग के पद हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ग के पद का क्या वेतन-क्रम है या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

(ग) होटल ने अभी विभिन्न वर्गों के पदों के वेतन-क्रम निर्धारित नहीं किये हैं । इस समय प्रत्येक वर्ग का वेतन तदर्थ आधार पर नियत किया जाता है ।

पंजाब में मध्यम आय वर्ग के लिये आवास योजना

†**१०२८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम आय वर्ग के लिये आवास योजना की कार्यान्विति के लिये १९६०-६१ में अब तक पंजाब सरकार को कोई धन दिया गया है; और

(ख) १९६०-६१ में योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) मध्यम आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना की कार्यान्विति के लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये पंजाब सरकार को १७.५० लाख रुपये नियत किये गये हैं और यह राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह एक साथ इस राशि को जीवन बीमा निगम से निकाल ले अथवा सुविधा अनुसार किश्तों में ले ले ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में राज्य सरकार ने १०३ मकान बनवाने के लिये १४.७७ लाख रुपये के ऋण स्वीकार किये हैं । और इस प्रकार (फरवरी, १९५९ में इस योजना के आरम्भ होने के समय से लेकर) ३४८ मकानों के निर्माण के लिये कुल ४४.३६ लाख रुपये के ऋण मंजूर कये गये हैं। इन में से ३० सितम्बर, १९६० तक ८५ मकान बन चुके थे तथा यह मालूम हुआ है कि १९२ मकान बनाये जा रहे हैं ।

पश्चिम पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन

†**१०२९. श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६० से कितने हिन्दू पश्चिम पाकिस्तान से भारत आ गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

औद्योगिक सहकारी समितियां

†**१०३०. श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनी हुई औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिये सरकार ने आज तक क्या प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस बीच गहन विकास के लिये ७ और औद्योगिक सहकारी समितियां चुनी गई हैं। इन समितियों की कुल संख्या ४७४ है। लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के प्रविधिक पदाधिकारी इन समितियों की समन्वित रूप से वित्तीय, प्रविधिक, विपणन तथा संगठन सम्बन्धी सहायता करेंगे।

हिमाचल प्रदेश में हथ करघे का बिना बिका माल

†१०३१. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में हथकरघे का कितना माल बिना बिका पड़ा है; और

(ख) राज्य में हथकरघे के बिना बिके माल को बेचने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

†१०३२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में कितने विभाग हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक विभाग में कितने प्रकार के पद हैं ;

(ग) प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी तथा कामगार हैं ; और

(घ) प्रत्येक वर्ग के पद का वेतन-क्रम तथा उसकी मजूरी की दर क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (घ). जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]**

मंगला बांध

१०३३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगला बांध के बारे में भारत ने सुरक्षा परिषद् को जो विरोध-पत्र भेजे थे उन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सुरक्षा परिषद् को भेजे गये इन विरोध-पत्रों के बावजूद भी पाकिस्तान कथित बांध का निर्माण कर रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) श्रीमन्, इस विषय पर माननीय सदस्य का ध्यान १६ नवम्बर १९५९ को लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। सरकार ने और कोई विरोध-पत्र नहीं भेजे हैं।

(ख) जी हां, जैसा कि पाकिस्तानी प्रैस में छपी रिपोर्टों से पता चलता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन में एक भारतीय की फर्में

८१०३४. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय पर यह अभियोग लगाया था कि उसने गैर कानूनी तरीकों से कई औद्योगिक फर्में स्थापित कर ली हैं ;

(ख) क्या उक्त भारतीय ब्रिटेन की पुलिस से बचने के लिये इस बीच भारत लौट आया है ; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). यह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से श्री गुरबख्श सिंह सलारिया है जो, जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया है, खेती करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये लगभग पांच वर्ष पूर्व ब्रिटेन गया था और उसने १४ कम्पनियां प्राप्त कर लीं जिनमें सभी भूमि उसकी तथा उसकी अंग्रेज़ी पत्नी की थी और जिसमें वह मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी था। यह कहा जाता है कि वह अगस्त १९६० में कभी अपने परिवार के साथ भारत आ गया। श्री सलारिया अब भारतीय नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और १९५८ में ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों की नागरिकता प्राप्त कर ली तथा इस समय उनके पास ब्रिटिश पारपत्र है।

(ग) क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, अतः सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिये आण्विक विकिरण का उपयोग

†**१०३५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा संबंधी कामों के लिये हस्पतालों में आण्विक विकिरण का उपयोग करने के लिय क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ; और

(ख) इसके उपयोग से जनता को अवगत कराने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) आण्विक विकिरण का भारत के हस्पातलों में बहुत वर्षों से रेडियो डायगनोसिस (क्ष-रश्मि निदान) रेडियो थिरेपी और बाद में रेडियो स्टोप के तौर पर चिकित्सा अनुसंधान के रूप में उपयोग करता रहा है। अभी आण्विक शक्ति आयोग ने इस दिशा में निम्न कार्रवाई की है :

(१) हस्पतालों और चिकित्सा संबंधी संस्थाओं को रेडियो स्टोप दिये गये हैं, जो रोग निदान, थिरैपैटिक या अनुसंधान के लिये उपयोगी हैं।

(२) उपरोक्त (१) में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक उपकरण और औजार दिये गये हैं।

(३) किसी व्यवसायिक कर्मचारी को होने वाले विकिरण एक्सपोज़र की मात्रा का निर्धारण करने तथा उसे दर्ज करने के लिये एक फिल्म बैज सर्विस स्थापित की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) हस्पतालों समेत संस्थाओं का रेडियोलाजिकल सर्वेक्षण, जहां ऐक्सरे इकाइयां तथा दूसरे विकिरण साधन लगाये गये हैं, किया गया है, ताकि विकिरण संरक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता का अनुमान लगाया जाए और संस्थाओं को उपयुक्त सिफारिशें की जाएं। (उपरोक्त (३) और (४) में वर्णित सुविधाओं का लाभ देश की बहुत सी संस्थाओं और हस्पतालों ने उठाया है।)

(५) आण्विक विकिरणों तथा रेडियो स्टोपों के विभिन्न पहलुओं तथा रेडियो स्टोपों और आयोनाइजिंग किरणों के प्रयोग से संबंधित सुरक्षा पहलुओं एवं स्वास्थ्य संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समय समय पर आयोजित किये जाते हैं। विकिरण चिकित्सा संबंधी एसे पाठ्यक्रम प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा भी आयोजित किये गये हैं।

चिकित्सा व्यवसाय चिकित्सा विज्ञान और विशेषकर 'आण्विक औषधि' की तीव्र प्रगति में सक्रियरूप से भाग ले सके, इस के लिये, अणुशक्ति आयोग, प्रार्थना पर, इन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करने तथा समूचे देश के योग्य डाक्टरों और हस्पतालों को अपेक्षित सुविधाएं देने के लिये तैयार है।

आयोग अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे के चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत बम्बई में 'आण्विक या विकिरण चिकित्सा, वर्ग स्थापित करने का विचार कर रहा है। जहां मैडिकल कार्यकर्ताओं को अनुसंधान, रोग निदान या थिरैपी के लिये रेडियो स्टोपों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण इस प्रकार दिया जाएगा कि उन को या उनके रोगियों पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये योग्य डाक्टरों और हस्पतालों के फिज़िस्टिों ने आण्विक चिकित्सा और संबंधित कामों में विदेशों में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) अणु शक्ति आयोग ने विकिरण चिकित्सा के उपयोगों से जनता को अवगत कराने के लिये निम्न उपाय किये हैं:---

(१) इसने अखिल भारतीय स्तर की बहुत सी प्रदर्शनियों में आण्विक शक्ति के क्षेत्र में अपनी बहुत सी कार्रवाइयां सक्रिय रूप से पेश की हैं और उनमें भाग लिया है, जहां जनता के अनेक लोग आते हैं।

(२) अणु शक्ति संस्थान के वैज्ञानिकों ने मानवी प्रयत्नों (जिसमें चिकित्सा पहलू शामिल हैं) के विभिन्न क्षेत्रों में अणु शक्ति के प्रयोगों के संबंध में आकाशवाणी पर अनेक बार वार्ताएं दी हैं, ताकि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो।

(३) फिल्मज़ डिवीजन के सहयोग के साथ देश में अणु शक्ति संबंधी प्रलेख चित्र दिखाय जाते हैं।

(४) अणु शक्ति संस्थान, इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों की प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने के लिये शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों तथा जनता के आगमन को प्रोत्साहन देता है।

आयोग एक चलती रेडियो स्टोप प्रयोगशाला स्थापित करने का भी विचार कर रहा ह जो देश के भिन्न २ भागों में भेजी जा सके और जिसका उपयोग अणु शक्ति के विभिन्न पहलुओ के बारे में चलता शिक्षा माध्यम के रूप में किया जाए।

दिल्ली में भूमिखण्ड

१०३६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उन लोगों को भूमिखण्ड (प्लाट) बेचने का निर्णय किया है जिनकी आय छ : सौ रुपये से कम है ;

(ख) क्या प्रशासन ने इन प्लाटों की बिक्री में प्राथमिकता के बारे में अनियमितताओं को रोकने के लिये कोई नीति निर्धारित की है ;

(ग) क्या प्लाट खरीदने वालों को प्रशासन कोई ऋण भी देगा ; और

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं और हरिजनों को विशेष रियायत दी जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने कम आय वालों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत ६००० रुपये वार्षिक तक आय वाले व्यक्तियों को पट्टे पर भूमिखंड (प्लाट) देने के लिए नजफ़गढ़ रोड (राजोरी गार्डन्स), नई दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण तथा विकास करने के लिए एक परियोजना बनाई है ।

(ख) इस भूमि के विकसित भूमिखंडों के नियतन (अलौटमेंट) को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 'नियमों' में यह आयोजना है कि यह नियतन उन आवेदकों में लाटरी डाल कर किया जायेगा, जो अन्य दृष्टियों से इस प्रकार नियतन के पात्र हैं ।

(ग) नियत भागियों (अलौटी) को, यदि वे अन्य दृष्टियों से पात्र हों, कम आय वालों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण पाने का अधिकार होगा । परन्तु उन्हें भूमिखंड के पट्टे की किश्त (प्रीमियम) भूमिखंड के नियतन की तिथि से दो महीने के अन्दर अपने पास से चुकानी होगी ।

(घ) यह प्रस्ताव है कि इन भूमिखंडों में से १५ प्रतिशत हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे जायें । जिन महिलाओं की आय ६००० रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है, वे अवश्य ही इस योजना से लाभ पाने की पात्र होंगी ।

भुसंडपुर बस्ती में अस्पताल

†१०३७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुसंडपुर बस्ती में विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित अस्पताल ने अब कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या वहां एक हाई स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव अब तक कार्यान्वित हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** (क) आशा है कि अस्पताल १ दिसम्बर, १९६० से काम आरम्भ कर देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). मन्त्रालय ने १.९७ लाख रुपये की लागत पर भुसंडपुर बस्ती संघ के लिये एक हाई स्कूल की मंजूरी दी है ।

उड़ीसा में राजसहायता प्राप्त आवास योजना

†१०३८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६०-६१ में आरम्भ की जाने वाली राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत ५८६ मकानों का निर्माण आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने मकान अब तक बनाये जा चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** (क) और (ख). राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ में उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित मंजूरी दिये जाने वाले ५८६ मकानों में से राज्य सरकार ने वास्तव में चालू वर्ष में अब तक ५१८ मकानों का निर्माण मंजूर किया है । इन में से ९६ मकान (केवल सिविल काम) पूरे हो चुके हैं जबकि १९६ मकान निर्माणाधीन हैं । शेष २२६ मकानों का निर्माण अभी आरम्भ होना है ।

इसके अतिरिक्त १९६०-६१ में पिछले वर्षों की मंजूर परियोजनाओं में से दूसरे १५० मकानों के पूर्ण होने की आशा है ।

यूरेनियम के निक्षेप

१०३९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान** मंत्री १० अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और देहरादून जिलों के किन-किन स्थानों पर यूरेनियम के निक्षेपों के लिये सर्वेक्षण किया गया अथवा किया जा रहा है;

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर रेडियोधर्मिता पाई गई है; और

(ग) इस रेडियोधर्मिता को प्रयोग में लाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). परमाणु शक्ति विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने गढ़वाल के रुद्र प्रयाग, केदारनाथ, पौरी और तिलवाड़ा स्थानों में अल्मोड़ा और नैनीताल के डुंगरी औलिया, नैनीताल-हलद्वानी और नैनीताल-काठ गोदाम क्षेत्र, देवलघर रियासत, चम्पावात, धूनाघाट, देवीधूरा, मंगललेख, सोनकोट, मोरनौला, लमगाडा और भतरंगखल स्थानों में तथा देहरादून के देहरादून और चकराता के बीच के क्षेत्र में यूरेनियम सहित रेडियोधर्मी खनिजों के लिये द्रुत सर्वेक्षण किये थे । इन क्षेत्रों में किसी विशेष रेडियोधर्मिता का पता नहीं लगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रह्मांड किरण अनुसंधान केन्द्र

१०४०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलमर्ग (काश्मीर) में एक ब्रह्माण्ड किरण केन्द्र स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह केन्द्र कब तक स्थापित होने की सम्भावना है और अनुसन्धान कार्य कब से आरम्भ होगा ;

(ग) यह केन्द्र स्थापित करने में कितना व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) ऐसा महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) प्रयोगशाला की इमारत बन कर छत तक पहुंच चुकी है और छत बनाने का काम चल रहा है। रिहायशी ब्लाक की तामीर का काम भी जोरों से चल रहा है। इंजीनियर के निवास स्थान की तामीर, चिनाई और लकड़ी का बहुत सा काम पूरा हो चुका है; यही बात नौकरों के क्वाटरों पर भी लागू होती है। प्रयोगशालाओं के लिये डीज़ल जेनरेटर और कन्ट्रोल पेनल के लेने और उन्हें लगाने का टेंडर मंजूर कर लिया गया है और काम के ठेके दे दिये गये हैं। हीटिंग सिस्टम संबंधी टेंडर आ चुके हैं और इसका काम जल्दी ही दे दिया जायेगा।

(ख) आशा है कि प्रयोगशाला और अन्य इमारतों का निर्माण कार्य अगले खुले मौसम में (१९६१ के दौरान में) पूरा हो जायेगा और इसके तुरन्त बाद ही अनुसन्धान कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) प्रयोगशाला को सुविधाओं सहित तैयार करने पर कुल खर्च का अनुमान ७,३०,००० रुपये है।

(घ) काम की धीमी प्रगति के विभिन्न कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार हैं:—

(१) गुलमर्ग में यह अपनी किस्म की पहली इमारत है ;

(२) गुलमर्ग में काम करने का मौसम तकरीबन ६ मास ही रहता है ?

(३) काम बहुत मुश्किल हालात में करना पड़ता है और उस जगह तक पहुंचने के लिये कोई अच्छी सड़क नहीं है ;

(४) कुशल मजदूर आसानी से नहीं मिलते।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां

१०४१. श्री भक्त दर्शन: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऊनी खादी की वर्दियां देने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन अभी तक सम्बन्धित विशिष्टियों (स्पैसिफिकेशन्स) के अनुरूप ऊनी वस्त्र तैयार नहीं कर सका है। ऊनी खादी की किस्म को सुधारने के उपाय ढूंढने के लिये सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशलय के तकनीकी अफसरों तथा कमीशन के तकनीकी कर्मचारियों में विचार-विमर्श का प्रबन्ध किया जा रहा है।

पूर्वी अफ्रीका को कृत्रिम रेशम रेयन का निर्यात

†१०४२. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेशम और रेयन कपड़ा प्रतिनिधि मण्डल के नेता द्वारा, जो पूर्वी अफ्रीका गये थे, प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर लिया है; और

(ख) पूर्वी अफ्रीका को कृत्रिम रेशम रेयन का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). प्रतिनिधि मण्डल की सिफारिशें अभी रेशम और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् के विचाराधीन हैं।

पाकिस्तान को पथरिया गांवों का हस्तांतरण

†१०४३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पथारकंडी में पथरिया वनों के पांच गांवों को पाकिस्तान को देने के बारे में निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) क्या अब यह मालूम हुआ है कि वास्तव में ये गांव पाकिस्तान के नहीं हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं।

(ख) स्थिति का पता तब चलेगा जब भूमि का सीमांकन पूरा हो जायगा। अभी इस क्षेत्र में सीमांकन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

भूमि सुधार

†१०४४. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हाल्दर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों ने अपने राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम पूर्ण कर लिये हैं; और

(ख) भूधृति की अधिकतम सीमा लागू करने के बारे में विधान बनाने में कितने और कौन से राज्य अभी पीछे हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम विभिन्न प्रक्रमों में हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आसाम, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब (पैप्सू क्षेत्र), राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मनीपुर और त्रिपुरा में भूधति की अधिकतम सीमा लागू करने का विधान बनाया जा चुका है ।

भतपूर्व पंजाब क्षेत्र के बारे में फालतू भूमि पर बेदखल काश्तकारों को बसाने का उपबन्ध है ।

आन्ध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में विधेयक पारित किये जा चुके हैं । बिहार, मद्रास और मैसूर में विधयक प्रवर समितियों के सामने हैं और गुजरात में विधेयक रखा गया है । महाराष्ट्र में भूतपूर्व बम्बई सरकार ने विधेयक प्रकाशित किया था परन्तु वह राज्य के प्रस्तावित विभाजन के कारण पेश नहीं किया गया था । मामला अब महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है ।

इन्डोनेशियाई सरकार द्वारा प्रतिकर की अदायगी

१०४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया सरकार द्वारा १५ मार्च १९५७ को भारतीय दूतावास के सदस्यों के मकानों पर इण्डोनेशिया के लोगों द्वारा किये गये धावे के कारण उन को हुई क्षति का प्रतिकर दूतावास के सदस्यों को देने के प्रश्न का फैसला हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख) प्रतिकर का दावा ४६,९३६ रुफिया और भारतीय रुपया १४,७५८ का था । भारतीय रुपया ५० की छोटी रकम को छोड़ कर, जो हो सकता है लेखन की गलती से हुआ हो, इण्डोनेशिया की सरकार ने पूरा दावा चुका दिया है ।

स्नातकों की रोजगारी का सर्वेक्षण

†१०४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकों के रोजगार के सर्वेक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: लगभग १९,००० प्रश्नावलियां स्नातकों को जारी की गई हैं । लगभग ६७,०० से उत्तर आ चुके हैं । उनकी जांच की जा रही है और सारणियां बनाई जा रही हैं ।

कार्य कुशलता संहिता

†१०४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हेम राज :
श्री पांगरकर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्य कुशलता संहिता सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन जुटाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: कर्मचारियों और मालिकों के बीच सहयोग के लिये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रश्नावली आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिये बहुत लोगों में परिचालित की गई है ।

भविष्य निधि योजना

†१०४८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय सम्मेलन ने भविष्य निधि योजना को बुढ़ापा और या उत्तर जीवी पेंशन (विधवाओं और बच्चों के लिये) में बदलने के बारे में समाज सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र

†१०४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि न्ययार्क में एक व्यापार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

हीरा काटने के औजारों की फैक्टरी

†१०५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में एक हीरा काटने के औजार की फैक्टरी स्थापित करने के लिये एक बैल्जियम की एक फर्म के साथ करार पूरा करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सरकार को सम्बन्धित पार्टी ने यह बताया है कि वे एक विदेशी फर्म के सहयोग के साथ हीरा काटने के औजार बनाने की अपनी योजना के बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव अभी नहीं दे सकते ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी, लिमिटेड

†१०५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर झील निक्षेपों से नमक निकालने के लिये राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि संबंधी विवाद के बारे में मध्यस्थ ने अपना पंचाट दे दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या पंचाट दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राईवेट) लिमिटेड

†१०५२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (१) (कोयला या पत्थर) खोदने के कृत्यक वर्णन (जॉब डेस्क्रिप्शन) संख्या १६० के परिशोधन और (२) काम करने वालों को वर्दियां और जूते देने के बारे में कोयला न्यायाधिकरण के पंचाट के कार्यान्वित न किये जाने के बारे में गिरिदीह में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे निपटाने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). ड्रिलरों (खुदाई करने वालों) के जॉब डेस्क्रिप्शन की व्याख्या के सम्बन्ध में एक गलती की शिकायत मिलने पर, संबंधित संघ से यह प्रार्थना की गई है कि वह केन्द्रीय औद्योगिक संबंध व्यवस्था के सामने ऐसे ही कुछ ठोस उदाहरण पेश करे ; किन्तु ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया गया । प्रबंधक काम गरों को वर्दियां और जूते देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई कर रहे हैं ।

केरल में उद्योग

†१०५३. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में अब से केन्द्रीय औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत केरल में कितने नये उद्योग स्थापित हुये हैं ;

(ख) कितने उद्योगों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) उक्त अवधि के अन्दर उन में से प्रत्येक में कितना धन लगाया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) २, अर्थात् (१) डी०डी०टी० फैक्टरी अल्वाये और (२) ट्रावनकोर खनिज सीमित किलोन ।

(ख) दोनों ने ।

(ग)	डी० डी० टी फैक्टरी अल्वाये	ट्रावनकोर खनिज सीमित किलोन
अधिकृत पूंजी	१००.०० लाख	१००.०० लाख
प्राथित पूंजी	९७.०३ लाख	५०.०० लाख
ऋण . .	२५.३३ लाख	—

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालेज

†१०५४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा, अलीपुर दुआर, कृष्णनगर और नवीन बैरकपुर के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालेज स्थापित करने के लिये भारत सरकार से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण मांगा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (घ). प्रश्न के भाग (क) में वर्णित स्थानों समेत, बारह कालेजों की मंजूरी दी गई है। अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४४]** ।

सीरिया को निर्यात

†१०५५. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरिया द्वारा अपने प्रदेश में लगाये गये आयात प्रतिबन्ध से हमारे निर्यात बाजार पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) हमारे देश से सीरिया में क्या क्या माल भेजा गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सीरिया को हमारे निर्यातों पर प्रतिबन्ध का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं जाना जा सकता ।

(ख) सीरिया को हमारे निर्यात की मुख्य वस्तु पटसन का सामान है । चाय, मसाले, बकरी के बाल, लाख, रंगने और कमाया हुआ चमड़ा निर्यात की दूसरी चीजें हैं ।

कोयला खनिकों में अनुपस्थिति

†१०५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो के निर्देशक ने कोयला खनिकों में अनुपस्थिति के स्वरूप के अध्ययन का प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है और प्रतियां यथासमय संसद् पुस्तकालय को दी जायेंगी ।

कुरसिया का प्रादेशिक अस्पताल

†१०५७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संघ के द्वारा कुरसिया में प्रादेशिक अस्पताल का निर्माण किस प्रक्रम पर है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) इस कार्य के कब पूर्ण होने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय चीनी उत्पादिता दल

†१०५८. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी उत्पादिता दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में मुख्य रूप से क्या क्या सिफारिश की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विशाखापटनम् पत्तन में हड़ताल

†१०५९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर मास में विशाखापटनम् पत्तन के बहुत से कर्मचारी हड़ताल पर थे ; और

(ख) हड़ताल के क्या कारण थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). सितम्बर, १९६० में पत्तन के सीधे अधीन काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गई थी । पर हां उदवभरक[1] के अधीन काम करने वाले मजूरों ने काम बन्द कर दिया था जिसका ब्यौरा इस प्रकार से है :—

तिथि	मजदूरों की संख्या	कारण
१६-९-६०	६४	दशहरा ऋण न मिलने के कारण ।
२१-९-६०	४१६	उदवभरक के एक मजदूर का एस० एस० "वेलिनटिना फ्रायस" के नाविकों के साथ झगड़ा हो गया था ।

चाय का उत्पादन

†१०६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के नये पौधों को लगाकर या नये रोपण को प्रोत्साहन देकर चाय के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना है ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई योजना या प्रस्थापना प्रस्तुत की है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां, चाय के पौधों के पुनः रोपण/बदलने के लिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Steuedore.

(ग) चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के अधीन तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ५०,००० एकड़ भूमि में चाय के पौधों के पुनः रोपण/बदलने के सम्बन्ध में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस पर लगभग १५ करोड़ रुपयों का कुल खर्च आयेगा। इस योजना के अधीन प्रत्येक मैदानी चाय बागान के लिये ३००० रुपये और पहाड़ी चाय बागानों के लिये ४००० रुपये प्रति एकड़ ऋण के रूप में दिये जायेंगे। उन ऋणों पर ४ $^{1}/_{2}$ रुपये प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जायेगा और कुल राशि २० किश्तों में वसूल की जायेगी। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि

†१०६१. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतांने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी और राज्य वार कितनी कितनी राशि आवंटित की गयी थी ; और

(ख) उस वर्ष के अन्त में निधि में कुल कितनी राशि शेष बची थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि से कुल ११,६४,८९०·२८ रुपये आवंटित किये गये थे। उसका विवरण इस प्रकार से है :—

	रुपये
बिहार . .	३,५०,०००·००
उत्तर प्रदेश . . .	२,६८,५००·००
जम्मू और कश्मीर .	१,७८,१४३·८०
आसाम . .	२५,०००·००
मध्य प्रदेश	३३,०००·००
मद्रास .	२५,५००·००
दिल्ली राज्य	४६,७००·००
पश्चिमी बंगाल	४५,०००·००
उड़ीसा . .	५०,०००·००
आन्ध्र प्रदेश	५०,०००·००
हिमाचल प्रदेश	१५,०००·००
बम्बई . .	१७,८९८·२३
राजस्थान	२६,४४४·०९
पंजाब .	१५०·००
विविध अदायगी	३२,४७६·५१
दफ्तर का खर्च	१,०७७·६५
कुल . .	११,६४,८९०·२८

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५७ को उस निधि में कुल ३,०८,०७६·२१ रुपये बाकी बचे थे।

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विदेशी छात्र

१०६२. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांडुंग सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार भारत में किस-किस देश के कितने विदेशी छात्र किन-किन विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) भारत ने वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में इस सम्बन्ध में कितना व्यय किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) अप्रैल १९५५ में बांडुंग में आयोजित अफ्रो-एशियाई सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार और बांडुंग-भावना को बढ़ावा देने की दृष्टि से, भारत सरकार ने यह फ़ैसला किया था कि जहां संभव हो सके, अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्रेनिंग प्रोग्राम) को बढ़ाकर, सदस्य देशों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जायें। यह बात भी मान ली गई थी कि भारत सरकार बांडुंग-देशों को भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं सुलभ करेगी बशर्ते कि इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने वाली सरकारें उनका ख़र्च बर्दाश्त करें।

बांडुंग-सम्मेलन में जो निर्णय किये गये थे, उनके अनुसार जो विदेशी विद्यार्थी भारत में शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार के पास कोई अलग कार्यक्रम नहीं है। इसलिए, उनके लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया है। फिर भी भारत सरकार हर साल एशिया, अफ्रीका के और वैसे ही ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ और ब्रिटिश गिनी के ५४ देशों के विदेशी विद्यार्थियों को सामान्य और तकनीकी विषयों में १४० छात्रवृत्तियां दे रही है।

(ख) इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने ख़ासतौर से बांडुंग-सम्मेलन में हुए फ़ैसलों के सम्बन्ध में अपने ऊपर किसी तरह का ख़र्चा लिया है।

वायदा बाजार आयोग

†१०६३. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाज़ार आयोग के अध्यक्ष ने सितम्बर, १९६० में केरल में नारियल तथा मिर्च के व्यापारियों से मार्केट की स्थिति के बारे में कोई बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। व्यापारियों के प्रतिनिधियों से की जाने वाली बातचीत के सम्बन्ध में रिपोर्ट सरकार को उस स्थिति में पेश की जाती है जबकि किसी विशिष्ट नीति या किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की जाती है।

खान में विस्फोट

†१०६४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ सितम्बर, १९६० को नेल्लूर ज़िले में नाडुरापल्ली की श्री वेंकटेश्वर अभ्रक खान में एक विस्फोटन के परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क) और (ख). यह दुर्घटना उस समय हुई जबकि खान में शौट फायरिंग किया जा रहा था । जब कि ब्लास्टिंग मिस्तरी और चार ड्रिलर ८ सूराखों में आग लगा रहे थे तो शौट ७ सुराखों के बाद ही फट गया । जिसके परिणामस्वरूप मिस्तरी और दो ड्रिलर वहीं पर मारे गये । शेष दो व्यक्तियों को गहरी चोटें आयी हैं ।

निर्यात

†**१०६५. श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ तथा १९५९–६० में इन वस्तुओं के निर्यात के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इस कार्य में कितनी सफलता मिली है :—

(१) सूती कपड़ा,
(२) पटसन की वस्तुएं,
(३) शीशा,
(४) सीमेन्ट,
(५) साइकलें,
(६) सिलाई की मशीनें,
(७) बैटरियां,
(८) बिजली के पंखे,
(९) रेयन के कपड़े,
(१०) कीनी,
(११) वनस्पति, तथा
(१२) दुर्लभ मिट्टी कम्पाउन्ड;

(ख) क्या उक्त वस्तुओं के निर्यात पर किसी अज्ञात परिस्थितियों का कोई असर पड़ा है और यदि हां, तो सरकार उनका कैसे मुकाबला कर रही है; और

(ग) उक्त वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत का प्रसारण

†**१०६६. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से प्रसारित किया जाने वाले शास्त्रीय संगीत विदेशों में रहने वाले भारतीयों में लोकप्रिय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा के कार्यक्रम को और विशेषतया अफरीका और दक्षिण पूर्व एशिया के लिये प्रसारित किये जाने वाले गुजराती और हिन्दी के कार्यक्रम को सुनने वालों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि शास्त्रीय

†मूल अंग्रेजी में

संगीत की तुलना में सुगम संगीत का कार्यक्रम अच्छा रहता है । दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यूरोपीय सेवा के शास्त्रीय संगीत में अधिक रुचि लेते हैं । हमारा शास्त्रीय संगीत अफगानिस्तान तथा आस पास के क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है । अतः हम सामान्य रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हमारा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम विदेशों में रहने वालों में लोकप्रिय नहीं है । आकाशवाणी के कार्यक्रम निर्धारित करते समय सुनने वालों की रुचि को सदा ध्यान में रखा जाता है ।

चाय का निर्यात

†१०६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में चाय के निर्यात के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री : (श्री सतीश चन्द्र)** भारतीय चाय के निर्यात के आंकड़े केवल सितम्बर, १९६० तक के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं । अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक १६३६ लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया है जबकि १९५९ की उक्त अवधि में २०९५ लाख पौंड का निर्यात किया गया था । इस कमी का मूल कारण यह है कि चालू मौसम के प्रारम्भिक महीनों में पूर्वोत्तर भारत में सूखा पड़ने के कारण चाय के उत्पादन में कमी हो गयी थी ।

अखबारी कागज़

†१०६८. **श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये अखबारी कागज़ की बिक्री के सम्बन्ध में आने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) से (ग). जांच-कार्य अभी जारी है ।

जिरकोनियम

†१०६९. **श्री कोडियान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य में जिरकोनियम के उत्पादन के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्थापना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस फैक्टरी पर लगभग कितना खर्च आयेगा; और

(घ) इस सुझाव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) भारत सरकार को केरल सरकार से केरल में जिरकोनियम फैक्टरी की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निश्चित सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । पर हां, केरल सरकार के प्रतिनिधियों ने गत दिसम्बर में अणु शक्ति विभाग के वैज्ञानिकों से जिरकोनियम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये केरल में एक फैक्टरी स्थापित करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था और यह निर्णय किया गया था कि फिलहाल वह फैक्टरी स्थापित न की जाये, क्योंकि अभी देश में जिरकोनियम की मांग पर्याप्त मात्रा में नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

झोंपड़ियों में रहने वालों के लिये सस्ते मकान

†१०७०. **श्री मं० रें० कृष्ण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में झोंपड़ियों में रहने वालों के लिये सस्ते मकान बनाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई विशेष योजना बनायी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी गन्दी बस्तियों की सफ़ाई सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे गन्दी बस्तियों के निवासियों को विकसित प्लाट आवंटित कर सकें जिन पर आवंटी स्वयं आत्म सहायता के आधार पर एक निश्चित ढंग के मकान बनवा सकें। दिल्ली के सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों में बड़े पैमाने पर बनी हुई अवैध झोंपड़ियों की समस्या को सुलझाने के लिये दिल्ली के लिये भारत सरकार ने एक विशेष झुगी और झोंपड़ी परियोजना की मंजूरी दी है।

सिकिम

†१०७१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सिकिम राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में यह प्रार्थना की गई है कि उस देश की प्रशासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किये जायें ; और

(ख) क्या उन प्रतिनिधियों ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कर्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). सिकिम राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उस कांग्रेस के कुछ सदस्य वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियों से मिले भी थे।

अमरीका से वस्तु विनियम सम्बन्धी समझौता

†१०७२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-अमरीकी वस्तु विनिमय समझौते को कार्यान्वित करने में मुख्य रूप से किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा है और उन कठिनाइयों को दूर कैसे किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** इस में कोई वित्तीय कठिनाइयां नहीं आई हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उस समझौते को प्रारम्भ भी कर दिया गया है।

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†१०७३. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(१) औद्योगिक बस्ती, लुधियाना :

कुल २२४ शैडों में से अब तक १२६ शैड तैयार हो गये हैं और वे आवंटित किये जा चुके हैं । औद्योगिक यूनिटों ने ६७ शैडों का कब्जा ले लिया है और उन में से ४५ में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । ज्ञात हुआ है कि २९ यूनिटों का जुलाई से सितम्बर, १९६० तक ५,१०,४९० रुपयों के उद्योगों का उत्पादन हुआ है और उन में ३५९ व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। शेष शेड तैयार किये जा रहे हैं और वे छतों के लेवल तक तैयार किये जा चुके हैं ।

(२) औद्योगिक बस्ती, बटाला :

५० शैड बनवाने की योजना है । उन सभी की बुनियदें खोदी जा चुकी हैं ।

(३) औद्योगिक बस्ती, सोनीपत :

१८ शैड बनावाने की योजना है । वे सभी छत्तों के लेवल तक तैयार किये जा चुके हैं और छत्तों के आधार डाले जा रहे हैं ;

(४) औद्योगिक बस्ती, नीलोखेड़ी :

१४ शैड बनवाने की योजना है । वे सभी छत्तों की लेवल तक तैयार किये जा चुके हैं और छतों के आधार डाले जा रहे हैं ।

(५) औद्योगिक बस्ती, मलेरकोटला :

कुल ३० शैडों की योजना में से १६ शैड छत्तों के स्तर तक तैयार किये जा चुके हैं । शेष शैडों का कार्य भी जारी है ।

(६) औद्योगिक बस्ती, भटिंडा :

यह औद्योगिक बस्ती अभी हाल ही में पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये औद्योगिक बस्ती योजना के अधीन मंजूर की गई है । योजना का ब्योरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इस दौरान में, प्राप्त सूचना के अनुसार, बस्ती के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

३०-६-१९६० तक पंजाब की सभी औद्योगिक बस्तियों पर ५३.५७ लाख रुपये खच किये जा चुके थे ।

उर्वरक फैक्टरियां

†१०७४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ से ३० जून, १९६० तक सरकार द्वारा सभी उर्वरक फैक्टरियों पर अलग अलग कुल कितनी राशि का विनियोग किया गया है ; और

(ख) उन के लिये निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने के सम्बन्ध में क्या उपाय है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४६].

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निदेशकों तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धित कम्पनियों की सन्सथा के अनुच्छेदों के अनुसार की जाती है ।

पजाब में कागज का कारखाना

†१०७५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब के उन पहाड़ी क्षेत्रों में एक कागज का कारखाना स्थापित करने का विचार है, जहां कच्ची सामग्री उपलब्ध है ;

(ख) क्या वन अनुसन्धान संस्था ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक इस सम्बंध में हमें ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है ।

(ख) वन अनुसंधान संस्था, देहरादून में पंजाब के कुलू वन विभाग से प्राप्त होने वाले गूदे के मिश्रण के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य किये गये हैं ।

(ग) जांच के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि :

(१) देवदार, कैल, सिलवर पार और सरो के वृक्ष के एक मिक्श्चर से अनब्लीच्ड क्राफ्ट पेपर के निर्माण के लिये अनब्लीच्ड सल्फ़ेट पल्प तैयार किया जा सकता है ।

(२) कोनिफर्स के मिक्श्चर से भी ब्लीच्ड क्राफ्ट पेपर के निर्माण के लिये ब्लीच्ड सल्फ़ेट पल्प तैयार किया जा सकता है ।

(३) वास्तविक उपलब्धि के लिये मोटे तौर पर किये गये सर्वेक्षण से अभी तक निश्चित रूप से इस बात को संभावना निर्धारित नहीं की जा सकी है कि वहां पर इतनी अधिक मात्रा में काच्ची सामग्री पाई जाती है कि एक अलग कारखाना खोला जा सके ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी

†१०७६. **श्री तंगमणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित संस्थापनों में सिनेमा ओपरेटरों और वायरमेनों के स्थान अभी विद्यमान हैं ;

(ख) क्या सिनेमा ओपरेटर का स्थान एक अलग स्थान के रूप में है जिस का वेतनक्रम अधिक है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रेज़िडेण्ट एस्टेट डिवीजन में सिनेमा आपरेटर का पद पहले कार्यभारित संस्थापन में था ;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या कारण था कि कार्यभारित संस्थापन से इस स्थान को समाप्त कर दिया गया और इसे अलग कोटि के स्थानों में स्थान दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) क्या यह भी सच है कि कार्यभारित संस्थापन में काम करने वाले सिनेमा ओपरेटर और वायरमैन को ही वास्तव में नियमित संस्थापन में सिनेमा ओपरेटरों के रूप में नियुक्त कर दिया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । पहले उस स्थान का नाम सिनेमा ओपरेटर और वायरमैन था ।

(घ) राष्ट्रपति भवन में लाउड स्पीकर व्यवस्था के सम्बन्ध में मांग बढ़ जाने और फिल्मशो की बारम्बारिता में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप प्रेज़ीडेण्ट एस्टेट डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित संस्थापन के आधार पर सिनेमा ओपरेटर का एक अलग स्थान बनाना पड़ा ।

(ङ) जी हां, कार्यभारित संस्थापन में सिनेमा ओपरेटर और वायरमैन का पद धारण करने वाले व्यक्ति को ही नियमित संस्थापन में सिनेमा ओपरेटर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है ।

अहमदाबाद में स्कूटर का कारखाना

१०७७. **श्रीमती कृष्णा मेहता :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अहमदाबाद में स्कूटर का एक कारखाना खोलने के लिये लाइसेंस दिया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने में तयार होने वाले स्कूटर की कीमत ६५० रुपये होगी और वह एक गलन पैट्रोल में २२५ मील चलेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वचालित करघे

†१०७८. **श्री मुहम्मद इमाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में अभी तक किस किस कम्पनी तथा व्यक्ति ने स्वचालित करघों के लिये लाइसेंसों के लिये आवेदन किया है ;

(ख) उक्त अवधि में किस किस कम्पनी को लाइसेंस दिये गये थे ; और

(ग) वे लाइसेंस किस आधार पर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	आवेदन पत्र का ब्योरा
१९५८–५९	मेसर्स बंसी इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना ।
१९५९–६०	(१) मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ।
	(२) मेसर्स नेशनल मशीनरी मैनुफैक्चरर्ज़ लिमिटेड, थाना ।
	(३) मेसर्स टी० मानक लाल मैनुफेक्चरर्ज़ कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।
	(४) मेसर्स दी मैसूर मशीनरी मैनुफेक्चरर्ज़ लिमिटेड, बंगलौर ।
	(५) मेसर्स टेक्सटूल कम्पनी लिमिटेड, कोयम्बटूर ।
१९६०–६१	(१) मेसर्स लक्ष्मी रत्न इंजीनियरिंग वर्क्स, लिमिटेड, कानपुर ।
	(२) मेसर्स कावेरी इंजीनियरिंग, बम्बई ।
	(३) मेसर्स बिनाई मशीनरी कारपोरेशन, बम्बई ।

(ख) (१) मेसर्स बंसी इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना ।

(२) मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, बम्बई ।

(३) मेसर्स नेशनल मशीनरी मैनुफ़ेक्चरर्स लिमिटेड, थाना । और

(४) मेसर्स लक्ष्मी रत्न इंजीनियरिंग वर्क्स, लिमिटेड कानपुर को लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

(ग) ये लाइसेन्स स्वचालित करघों की प्राक्कलित मांग और योजनाओं की प्रविधिक सुस्थिरता के आधार पर दिये गये हैं ।

सूडान को कपड़े का निर्यात

†१०७९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सूडान का कपड़े का बाज़ार भारत के हाथ से निकला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९६० के पहले नौ महीनों में सूडान को भारत से सूती कपड़े के निर्यात में १९५९ के इसी अवधि के निर्यात की तुलना में कमी हुई है । इन दोनों वर्षों के इस अवधि के आंकड़े क्रमश : ३२.८२ और ५९.६० है ।

(ख) १९६० के आरम्भ में सूडान सरकार द्वारा आयात पर नियंत्रण लगाने के मुख्य कारण यह बताये गये हैं कि १९५९ में बहुत आयात होने के कारण बहुत भांडार हो गया था । दूसरा कारण अन्य निर्यात कर्त्ता देशों से प्रतिस्पर्धा भी है ।

(ग) सूती कपड़ा निर्यात विकास परिषद् ने सूडान में अपना कार्यालय हाल में ही खोला है ।

†मूल अंग्रेजी में

कपास की नई फसल आ जाने के कारण और कपास का अधिक आयात हो जाने के कारण यह आशा है कि भारतीय मिल कपड़े को उचित मूल कर देंगे और वह पुनः प्रतिद्वन्द्वी मूल्य पर कपड़े का निर्यात करेंगी ।

विभिन्न देशों से सूडान में उदारता से आयात के कारण यह आशा है कि भारत का निर्यात भी बढ़ जायेगा ।

तम्बाकू का निर्यात

†१०८०. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री मा० म० गांधी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से अब तक वर्षवार तथा देशवार कितना तम्बाकू निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ख) क्या चीन को निर्यात कम हो गया है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५५ से अब तक प्रत्येक वर्ष, देशवार तम्बाकू का निर्यात बताने वाला विवरण संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ख) चीन से मांग कम होने के कारण गत दो वर्षों से चीन को तम्बाकू का निर्यात नहीं के बराबर हो रहा है ।

सरदार पटेल के लेख

†१०८१. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री मा० म० गांधी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरदार बल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखे गये प्रमाणित लेख, भाषण और पत्र तथा उनके पास आए पत्रों को प्रकाशित करने का है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : हमारे पब्लिकेशन डिवीजन ने १९४९ तथा १९५४ वर्ष में क्रमशः "सरदार पटेल आन इंडियन प्राबलम्स" और "भारत की एकता का निर्माण" पुस्तकें छापी थीं जिनमें सरदार पटेल द्वारा १९४७–४८ में दिए गए भाषण हैं । "बिल्डर्स आफ माडर्न इंडिया" माला में सरदार पटेल की जीवनी छापने का विचार है । उनके पत्रों, भाषणों और लेखों को छापने का अभी कोई विचार नहीं है ।

वृत्त-चित्र

†१०८२. **श्री तंगामणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में तब से और वृत्त-चित्र बनाए गए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने तथा उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) इनमें से कितने विदेशों को निर्यात किए गए हैं और उसका फल क्या निकला है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) १ जुलाई १९६० से फिल्म डिवीजन ने और ३० वृत्त-चित्र प्रदर्शित किए है । उनके नाम बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) हम कुछ वृत्त-चित्र विदेशों में प्रचार के लिए बनाते हैं । इस के अतिरिक्त देश में प्रदर्शन के लिए बनाए गए चित्रों में से कुछ वैदेशिक-कार्य मंत्रालय विदेशों में भेजने के लिए चुनता है । १ जुलाई, १९६० में उन्होंने २२ वृत्त-चित्र विदेशी प्रचार के लिए चुने हैं ।

जम्मू प्रान्त में बेन नदी के निकट बम विस्फोट

†१०८३. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री आसर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर १९६० में जम्मू के निकट बेन नाले में एक बम फटा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बम, विदेशियों द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्यवाही के कारण फटा था ; और

(ग) विस्फोट के कारण क्या हानि हुई और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अक्तूबर १९६० में जम्मू प्रान्त के हीरानगर से लगभग पांच मील दूर बेन नदी के इलाक़े से दो बम फटने के समाचार मिले थे ।

१७ अक्तूबर को बेन नदी पर अस्थायी रास्ते के निकट एक विस्फोट हुआ और १८ अक्तूबर को इस दनी के निकट पुरानी कथुआ रोड पर एक विस्फोट हुआ था ।

(ख) १९५७ से अब तक पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर में बम विस्फोटों को संगठित कर रही है ।

(ग) पहले विस्फोट में एक तार का खंबा गिर गया और दूसरे में एक भैंस मर गई ।

प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा श्रीलंका का दौरा

†१०८४. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्री सितम्बर १९६० के पहले सप्ताह में लंका गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वहां जाने का क्या उद्देश्य था ;

(ग) क्या लंका में भारतीयों के प्रश्न पर लंका सरकार से बातचीत हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्री ८ सितम्बर, १९६० को सीलोन इंस्टीट्यूट आफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स के निमंत्रण पर लंका गये थे। उन्होंने इस संस्था में भाषण दिया था।

(ग) और (घ). लंका में भारतीयों के प्रश्न पर लंका सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई ?

भारतीयों का विमान में यात्रा करने से रोका जाना

†१०८५. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के हवाई अड्डे पर लन्दन जाने वाले दो भारतीय यात्रियों को इसलिए विमान में नहीं चढ़ने दिया गया क्योंकि वह अंग्रेज़ी भाषा नहीं जानते थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) १९५९ में भारत सरकार को यह पता लगा था कि पंजाब के कितने ही अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित व्यक्ति जाली पासपोर्टों पर ब्रिटेन जा रहे हैं। इस अवैध प्रव्रजन को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो तरीके अपनाये उनमें से एक क्लियरेंस सर्टीफिकेट था। १०-११-५९ को भारत सरकार ने एक प्रैस विज्ञप्ति निकाली थी जिसके अनुसार अंग्रेज़ी भाषा न जानने वाले पासपोर्ट रखने वाले अशिक्षित तथा अर्द्ध शिक्षित व्यक्तियों को ब्रिटेन अथवा किसी अन्य यूरोपीय देश में जाने के लिए भारत से चलने की तिथी से पन्द्रह दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से क्लियरेंस सर्टीफिकट लेना होगा। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई थी क्योंकि पासपोर्ट जाली बनाया जा सकता था परन्तु अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान शीघ्रता में नहीं किया जा सकता था।

३१-१०-१९६० को श्री लक्ष्मी नारायण बेरीवाल और उनकी पुत्रवधु श्रीमती सावित्री को डमडम हवाई अड्डेके निरीक्षण कर्मचारियों ने संख्या ए ७६३०१२ दिनांक२३-७-१९६० और संख्या ए ७६७२८८ दिनांक २१-१०-६० के पासपोर्ट पर लन्दन के लिए जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं था और उनके पास क्लियरेंस सर्टीफिकेट नहीं थे। सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता से क्लियरेंस सर्टीफिकेट लाने के लिए कहा। तदनुसार उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता को ३-११-१९६० को क्लियरेंस सर्टीफिकेट देने को लिखा जो उनको उसी दिन मिल गया।

यह भी बताया है कि सभी विमान समवायों, यात्रा अभिकर्त्ताओं को इन आवश्यकताओं के बारे में पता है। परन्तु वर्तमान मामला संभवतया इस धारणा से उठा क्योंकि विमान समवाय अथवा यात्रा अभिकर्त्ता को यह पता नहीं था कि यह यात्री अंग्रेज़ी भाषा नहीं जानते हैं।

फिल्मों का निर्यात

†१०८६. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषावार फीचर फिल्मों के निर्माण और निर्यात के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९६० में कितनी तमिल फ़ीचर फिल्में बनाई गईं और विदेश में भेजी गईं; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). ३१ अक्तूबर, १९६० तक फिल्म सेंसर केन्द्रीय बोर्ड ने तमिल समत भाषावार फीचर फिल्मों में अलग अलग आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

	संख्या
बंगाली	३०
गुजराती	१
हिन्दी	९३
कन्नड़	८
मलयालम	४
मराठी	१२
उड़िया	४
पंजाबी	२
तमिल	५२
तेलगू	४३
उर्दू	१
सिन्धी	१
जोड़	२५१

विभिन्न भाषाओं की निर्यात की गई फिल्मों के बारे में सूचना तथा तमिल फिल्मों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा की सूचना प्राप्य नहीं है।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

†१०८७. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक कारखाने की कार्य संचालन की जांच करने के लिए बनाई गई एक व्यक्ति की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) कारखाने के उत्पादन में कमी के समिति ने क्या कारण बताये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सिंदरी समवाय के एक निदेशक डा० हुसैन जहीर ने निदेशक बोर्ड के कहने पर सिंदरी में उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की ।

(क) डा० हुसैन ज़हीर ने कम उत्पादन के जो कारण बोर्ड को बताये हैं वह इस प्रकार हैं:—

(१) गैसे ज़ेनेरेटर में खराब किस्म का कोयला इस्तेमाल करने के कारण ।

(२) गैस जेनेरेटर में टूट फूट के कारण ।

लाजपत राय मार्केट

†**१०८८. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधा गिरे हुए लाजपत राय मार्केट के स्थान पर एक माडल मार्केट बनाने की योजना में परिवर्तन कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मकानों के लिये प्लाट

†**१०८९. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में भूमि अर्जन और विकास योजना के अधीन अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : दिल्ली प्रशासन ने अब तक भूमि अर्जन और विकास योजना के अधीन कोई रुपया नहीं लिया है ।

महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली

†**१०९०. सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कर्जन रोड, नई दिल्ली में इंस्ट्रक्टर के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों को फीस के साथ साथ सामग्रीयां देनी होती हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि बिलासपुर कोनी और औंध में स्थित ऐसी संस्थाओं में सामग्री संस्था की ओर से दी जाती है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में हो तो क्या सरकार इस अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(क) इस मामले में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामले पर विचार हो रहा है ।

श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी के पत्र

१०९२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के पहली छमाही में मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उन में से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिये गये ;

(ख) शेष प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके लिये कोई प्रबन्ध किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसे सब पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जायें ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख) १६४ । हिन्दी पत्रों पर की गई कार्रवाई का हिसाब अलग नहीं रखा जाता । इसलिए यह कहना संभव नहीं कि इन पत्रों में से कितनों के उत्तर देने की जरूरत थी और कितनों का जवाब हिन्दी में दिया गया ।

(ग) जी हां ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

१०९३. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने उत्पादन में वृद्धि के बारे में कितने प्रकाशन निकाल हैं ;

(ख) इन में से कितने प्रकाशन उन कारीगरों और उद्योगपतियों के लाभ के लिए जो अंग्रेजी नहीं जानते, हिन्दी में निकाले गये ; और

(ग) शेष पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अठारह ।

(ख) एक ।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने स्थानीय उत्पादकता परिषदों को, जिनकी संख्या ४० के लगभग है, परिषद् के प्रकाशनों का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनकी आवश्यकतानुसार अनुवाद कराने की सलाह दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के प्रकाशन

१०९४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन नियमित रूप से कितने सांख्यकीय प्रकाशन निकालता है और उन में से कितने प्रकाशन केवल अंग्रेज़ी में निकलते हैं और कितने अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में निकलते हैं ;

(ख) अब तक जो प्रकाशन अंग्रेज़ी में निकाले गये हैं क्या उनके हिन्दी रूपान्तर छापने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) (१) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा नियमित रूप से निकाले जाने वाले प्रकाशनों की संख्या ७

(२) केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों की संख्या ६

(३) अंग्रेज़ी व हिन्दी दोनों में प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या १

(ख) और (ग) नहीं । अलबत्ता, इन प्रकाशनों में से कुछ और्रों के अगले अंक भी क्रमशः हिन्दी में निकालने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

प्रकाशन

१०९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और योजना परियोजना समिति द्वारा अब तक अलग-अलग कुल कितने प्रकाशन निकाले गये हैं और उन में से कितनों के हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) क्या भविष्य में ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा रहा है कि अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करण एक साथ निकाले जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

योजना उपमंत्री (श्री इया० न० मिश्र) : (क) (१) अब तक कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ३२ प्रकाशन निकाले हैं जिसमें से २ हिन्दी में भी प्रकाशित किए गए हैं ;

(२) योजना-कार्य सम्बन्धी समिति के ५ विभिन्न दलों ने अब तक १७ रिपोर्टें प्रकाशित की हैं ये सभी रिपोर्टें अंग्रेज़ी में हैं ।

(३) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा योजना-कार्य सम्बन्धी समिति दोनों के प्रकाशनों की एक एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४] ।

(ख) व (ग) योजना आयोग इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि इन प्रकाशनों में से अधिक से अधिक को हिन्दी में निकाला जाये ।

[मूल अंग्रेज़ी में]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी निदेशालय

†१०९६. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी निदेशालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो १९४५, १९४६, १९४७ में कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहे थे और जिन्होंने उसके बाद अंशदान देना बंद कर दिया ;

(ख) क्या उनके लेखों का विवरण दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). जानकारी इस समय प्राप्त नहीं है । इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायरमैन

†१०९७. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायरमैन की नियुक्ति के लिए अथवा अप्रवीण पद से वायरमैन पद के लिए पदोन्नति के लिए कम से कम अर्हता वायरमैन का लाइसेंस अथवा बिजली क्षमता प्रमाणपत्र वर्ग २ है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में ऐसे वायरमैन हैं जो कम से कम अर्हता नहीं रखते हैं;

(ग) क्या ऐसे वायरमैनों को इलेक्ट्रिशियन के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है ;

(घ) क्या ऐसा अनर्ह वायरमैन इलैक्ट्रिशियन बनाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) जी हां । १९५९ में यह निर्णय किया गया था कि काम के लिए रखे गये कर्मचारियों के लिए नये भरती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक कोई भी काम के लिए देखा गया कर्मचारी जिसके पास वायरमैन का लाइसेंस है तथा जो अन्यथा उपयुक्त है, को वायरमैन ग्रेड २ बना दिया जायेगा ।

(ख) जी हां । दिल्ली में कुछ बड़े वायरमैन कम से कम अर्हता वाले नहीं हैं ।

(ग) जी हां । यदि वह उपयुक्त हों ।

(घ) जी हां ।

(ङ) उनके व्यवहारिक अनुभव के कारण उनको उपयुक्त मान लिया गया ।

दिल्ली में कार्मिक संघ

†१०९८. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल , १९६० को दिल्ली में कितने पंजीबद्ध कार्मिक संघ थे ;

(ख) उसके बाद कितने तथा कौन कौन कार्मिक संघ पंजीबद्ध किए गए ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १ अप्रैल, १९६० के बाद कितने तथा किन किन कार्मिक संघों का पंजीयन रद्द किया गया और पंजीयन को रद्द करने की तिथि क्या थी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३३५

(ख) ३१ ; कार्मिक संघों के नाम संबद्ध विवरण में दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

(ग) १ सितम्बर, १९६० को एक कार्मिक संघ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ का पंजीयन रद्द किया गया था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा २ के खंड (क) के उप-खण्ड (११) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की एस० ओ० २२३२।

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की एस० ओ० २२३३।

(तीन) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक ८ नवम्बर, १९६० की एस० ओ० २६९५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल टी—२४७६, २४७७/६०]

निदेशक अध्ययन के प्रतिवेदन

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता :—

(एक) जिला शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में रोजगार की संभावनाओं का निदेशक अध्ययन, १९५९।

(दो) जिला शाहाबाद (बिहार) के डुमरांव (दक्षिण) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में निदेशक अध्ययन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः २४७८, २४७९/६०]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा

---

†हिन्दी अंग्रेजी में

पुनर्वास, नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० ११९९ ।

(दो) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४१ ।

(तीन) दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३६० ।

(चार) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४०४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२४८०/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में पारितकिए गए ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, १९६० की प्रति संलग्न की है ।

ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, १९६०

†**सचिव :** मैं ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, १९६० को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तिहत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं रेलवे अभिसमय समिति का १९६० का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत-पाकिस्तान रेल-सम्पर्क सम्बन्धी समझौता

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर): नियम १९७ के अ तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"रावलपिंडी में हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-पाकिस्तान रेल-सम्पर्क सम्बन्धी समझौता"

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान, १९-४-६० को यह बताया गया था कि अप्रैल, १९६० में भारत और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत हुई थी जिसमें एक देश को दूसरे देश में से होकर असैनिक यातायात के लिये सुविधायें देने के बारे में चर्चा हुई थी। परन्तु उस चर्चा को स्थगित कर दिया गया था जिससे दोनों देश बाद में होने वाली बैठक में विचार करने के लिये सूचना इकट्ठी कर लें। भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने १६ से १८ नवम्बर, १९६० को रावलपिंडी में और चर्चा की और ऐसे निष्कर्षों पर, जिन पर दोनों सहमत हैं, भारत सरकार विचार कर रही है। समझौता हो जाने पर उसके ब्यौरे सभा में बता दिये जायेंगे।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद): सरकार यह बतायेगी कि समाचारपत्रों में रावलपिंडी में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बारे में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं वे ठीक हैं अथवा ग़लत।

†**श्री जगजीवन राम** : दोनों प्रतिनिधिमडलों ने कोई विज्ञप्त जारी नहीं की है। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने यही कहा है कि समझौता हो गया है परन्तु दोनों सरकारों की स्वीकृति अभी अपेक्षित है। जब तक दोनों सरकारें उसकी जांच करके सहमत नहीं हो जायेंगी तब तक उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या यह समझौता सन्धि के समान स्थायी होगा अथवा निश्चित अवधि के लिये होगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : स्थायी न हो कर केवल एक निश्चित अवधि के लिये होगा।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : जिस समझौते पर विचार हो रहा है क्या संसद् को उस के प्राथमिक तत्वों के बारे में भी जानने का कोई अधिकार नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे मामलों में हमारी प्रथा हाउस आफ कामन्स जैसी ही है। प्रधान मंत्री ने जब एक सन्धि का जिक्र किया था उस समय भी यह प्रश्न उठाया गया था। हमारे संविधान के अनुसार सरकार सन्धि कर सकती है। परन्तु यदि उस सन्धि में कुछ व्यय होता है तो फिर सरकार को सभा के सामने आना ही होता है। हाउस आफ कामन्स अथवा यहां ऐसी प्रथा नहीं है कि सन्धि पर हस्ताक्षर के पहले उस को सभा पटल पर रखा जाये। मुझे विश्वास है कि समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उस की एक प्रति को सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिसको एक संधि कहा, उसका महत्व बढ़ा देना मात्र है। यह एक छोटा सा समझौता है। संधि एक बड़ी चीज़ होती है। इसको भी निश्चित रूप से सभा पटल पर रखा जायेगा। बातचीत करने वाले मुख्य सिद्धान्त पर ही नहीं विस्तृत ब्यौरे के बारे में भी सहमत हो गये हैं और सरकार को उन पर विचार करना है ; विचार समाप्त होते ही उसे यहां रख दिया जायेगा।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : बातचीत करने वालों को सरकार ने नियुक्त किया था और बातचीत करने वाले किसी मामले पर सहमत हो गये हैं और अब इन पर फिर से सरकार द्वारा विचार हो रहा है। यह सब चीज़ बड़ी अजीब है जो समझ में नहीं आती।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमेशा ऐसा ही होता है। यह ठीक है कि बातचीत करने वाले सरकार द्वारा बताई गई बातों के अनुसार ही बातचीत करते हैं परन्तु जब सभी बातों पर विचार हो जाता है तो भी सरकार को उस पर विचार करना होता है। संभव है कुछ गलतियां रह गई हों। सरकार द्वारा नियुक्त बातचीत करने वालों से कोई गलती नहीं हुई होगी ऐसी तो कोई बात नहीं है। सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है।

†**श्री बजराज सिंह** : हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि श्री जिन्ना की मुस्लिम लीग की मांग के समान यह "गलियारा' मांगने की सी बात तो नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : गलियारे की बात कहने पर मुझे आश्चर्य है माननीय सदस्य की शंकायें कुछ ऐसी हैं जिनका इस विषय से कुछ सम्बन्ध नहीं है। दो अथवा तीन देशों के बीच ऐसा होना एक बहुत सामान्य सी बात है। किसी को कोई अधिकार देने का सवाल नहीं है। यह केवल उन के तथा अपने यातायात प्रबन्धों को सुविधाजनक बनाने का सवाल है। इस प्रकार के प्रबन्ध से आशा की जाती है कि दोनों पक्षों को लाभ होगा, अन्यथा ऐसा किया ही क्यों जाये। यह ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों में से कोई भी चाहे तो संशोधन कर सकता है।

†**श्री जयपालसिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : अभी तक यहां पर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के समय प्रश्न नहीं पूछने दिये जाते थे। ऐसा निर्णय आपसे पहले के अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में एक निश्चित विनिर्णय भी दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस निर्णय में क्या कोई परिवर्तन कर दिया गया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं भी जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है क्योंकि हमें अकसर इन के जवाब देने पड़ते हैं और बहस लम्बी होती चली जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : होता यह है कि आजकल बहुत से अल्पसूचना प्रश्न तथा ध्यान दिलाने की सूचनायें प्राप्त होती हैं। सामान्यतः मैं सम्बन्धित मंत्री की सहमति के बिना अल्पसूचना प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं। ध्यान दिलाने की सूचना भी यदि महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में होती है तो मैं उस को यहां प्रस्तुत करने देता हूं। यदि अध्यक्ष ठीक समझता है तो वह दो तीन प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता है। मैं ने इस प्रश्न को महत्त्वपूर्ण समझा और कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी। कुछ माननीय सदस्यों को सन्देह था कि पाकिस्तान के साथ तनाव होने के कारण वह इस का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। यह एक महत्त्वपूर्ण बात थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं प्रश्नों को पूछने की एकदम इजाजत ही न दूं अथवा माननीय सदस्य अधिकार समझ कर अवश्य प्रश्न पूछें।

†मूल अंग्रेजी में

कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान् अभी तीन या चार दिन पहले, सभा का ध्यान कांगो के लियोपोल्डविल में होने वाली कुछ घटनाओं की तरफ़ गया था, जिनमें भारत के कुछ अफ़सरों को पीटा गया था और उन को चोटें आई थीं। तब मैं ने वायदा किया था कि मैं उन के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकेगी सभा के सामने रखूंगा। अभी इस मौके पर मैं आप के सामने उन घटनाओं का ब्यौरा पेश कर रहा हूं, पूरे कांगो के पेचीदा सवाल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं।

कांगो के कुछ अफ़सरान ने तय किया कि घाना के एक राजनयिक अधिकारी को कांगो छोड़ने पर मजबूर किया जाये। कांगो के अफ़सरान के बारे में बात करते वक्त एक मुश्किल यह पड़ती है कि उन के बारे में ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि वे बाक़ायदा अफ़सर हैं, या किसी तरह अफ़सर बन गये हैं, वे कायदे-कानून की बिना पर अफ़सर हैं। खैर जो भी हो, वे वहां अफ़सर हैं और उन्हों ने घाना के एक राजनयिक अधिकारी को कांगो छोड़ने के लिये कहा। घाना के उन अधिकारी ने उन के हुक्म की तामील नहीं की, या हो सकता है कि वह अपनी सरकार के साथ उस के बारे में लिखापढ़ी कर रहे हों। खैर उन्हों ने कांगो में मौजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की फौजों से संरक्षण मांगा और उन की दरखास्त मान ली गई। वह उस वक्त अपने घर में थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। उसी वक्त वहां कांगो की फौज की एक हथियारबन्द टुकड़ी पहुंची और उसने या तो हमला किया या घेरा डालना चाहा। जो भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिकों और कांगो के सैनिकों के बीच गोली चली, जिस का नतीजा यह हुआ कि चार, पांच या शायद छै सैनिक मारे गये। उन में कांगो की हथियारबन्द फौज का एक अफ़सर---कर्नल एनकोकुलु---भी था, जो कर्नल मोबुटू के बाद सब से बड़ा फौजी अफ़सर था। जाहिर है कि उस के मारे जाने से कांगो की हथियारबन्द फौजों में बड़ा गुस्सा फैल गया।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांगो में हम ने जो भारतीय सैनिक भेजे हैं वे लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिक नहीं हैं। गोलीबारी की इस वारदात में भी भारतीय सैनिक शामिल नहीं थे। हम ने वहां जो भारतीय अधिकारी व सैनिक भेजे हैं, वे हैं तो फौज के ही, लेकिन वे रसद पहुंचाने, सिगनल देने और दवा-दारू का काम ही कर रहे हैं। हमने कांगो में एक बड़ा अस्पताल खोला है। वहां हमारे करीब ७७० आदमी हैं।

इन वारदातों के बाद, २१ नवम्बर के बाद से, कांगो के फौजियो ने इधर उधर लोगों पर और कई देशों के राजनयिक अधिकारियों पर छुट-पुट हमले किये हैं। २१, २२ और २३ नवम्बर को ऐसे कई हमले हुए थे। मैं उन की कुछ ही मिसालें आप को बताता हूं, जिससे आप अन्दाज़ा लगा सकें कि वे किस तरह की थीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक रिपोर्ट दी गई है, और उन्होंने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रख दिया था। ये मिसालें उसी रिपोर्ट से ली गई हैं।

इस में वे मिसालें नहीं दी गई हैं जिन में ज्यादा हिंसा नहीं हुई। मिसालें सिर्फ उन घटनाओं की दी गई हैं, जिन में वाकई कोई हिंसा हुई है या हिंसा की धमकी दी गई है। कांगो के फौजियों ने वहां लोगों को धमका कर, उन की बहुत सी मोटर गाड़ियां जबरन् छीन ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, छीनी गई मोटरों की तादाद ४०–५० या शायद ७० है। कहा तो गया था कि बाद में उन को लौटा दिया जायेगा, लेकिन शायद ज्यादातर मोटरें लौटाई नहीं गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय अफसरों के साथ जो हुआ, उस की मिसाल सभा के सामने है ही। हमारे दो अफसरों को बुरी तरह पीटा गया था, और हमारे दूसरे तीन अफसरों को पीटा तो नहीं गया था, लेकिन उन को ढकेल कर अपनी-अपनी कारें और अपनी कुछ चीजें देने पर मजबूर किया गया था।

इसके अलावा, कुछ और भी मिसालें हैं। कांगो के फौजियों ने २१ नवम्बर की रात को संयुक्त राष्ट्रसंघ के गैर-फौजी अफसरों की एक कार रोक ली थी। उन में एक स्विटजरलैण्ड, दूसरा स्वीडन और तीसरा फ्रांस का था। उनको बन्दूक दिखा कर कार छोड़ देने के लिये मजबूर किया गया, फिर राइफिलों के कुंदों से उन को पीटा गया और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के २४ दूसरे कर्मचारियों के साथ, जिन में दो औरतें भी थीं, एक छोटे से कमरे में बन्द कर दिया गया था। उन को आठ घंटे बाद रिहा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार गैर-फौजी अफसरों को रिहा करने के बाद भी पीटा गया था और उनकी कारें चुरा ली गई थीं।

उसी रात एक और कार रोकी गई थी। उस में एक कनाडा, दूसरा स्पेन और तीसरा अमरीका का था। संयुक्त राष्ट्र के उन तीनों गैर-फौजी कर्मचारियों को जबरन रोक कर रखा गया और पीटा गया। सुबह उन को रिहा किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र के दो गैर-फौजी कर्मचारी भी, जो इटली के रहने वाले हैं, उसी रात कार सहित रोके गये थे और राइफिल के कुन्दों से उन की पिटाई होने के बाद, चार घंटे बाद रिहा कर दिये गये थे।

२२ की सुबह कनाडा की हवाई फौज के एक अधिकारी की कार रोकी गई और उसे बन्दूक दिखा कर नीचे उतारा गया और बाद में कई बार पीटा गया। उस के कागजात चुरा लिये गये।

उसी दिन सुबह इंगलैण्ड के एक घाना निवासी अधिकारी की कार चोरी चली गई। उन को राइफिल के कुन्दों से पीटा गया। उन की घड़ी चुरा ली गई और पांच घंटे तक हिरासत में रखा गया था। यह भी तब जबकि कर्नल मोबुटू ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था।

आप देखिये कि कितने देशों के लोगों पर हमले हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के एक गैर-फौजी कर्मचारी को, जो स्वीडन का रहने वाला था, गिरफ्तार कर के पांच घंटे हिरासत में रखा गया और उस बीच बार-बार उसे बन्दूकों और चाकुओं से धमकियां दी गईं।

२२ नवम्बर को, कांगो के हथियारबन्द फौजियों ने नाइजीरिया के एक बड़े अफसर, जो इंगलैंड के रहने वाले हैं, और दो भारतीय नॉन कमीशन्ड आफीसरों (एन सी ओ) को जीप से उतरने पर मजबूर किया। दोनों भारतीयों को मौत की धमकियां दी गईं, लेकिन कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया था।

हालैंड के रहने वाले, संयुक्त राष्ट्र के एक गैर-फौजी अधिकारी को धमकी दी गई थी कि अगर वह कांगों रेडियो स्टेशन लौट कर जायेगा, तो उसे जान से मार डाला जायेगा।

२३ नवम्बर को, कनाडा की हवाई फौज के एक बड़े अफसर को बन्दूक दिखाकर कार से उतारा गया और उसकी कार चुरा ली गई।

ये सभी हमले निहत्थे लोगों पर हुए थे। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास रिवाल्वर रहे भी हों। पर वे हथियारबन्द नहीं थे।

हाल में तीन और घटनायें हुई हैं। २२ की सुबह, एक भारतीय आई० आर० आर० को हवाई अड्डे के रास्ते में रोक कर लूटा गया। दो भारतीय फौजी पुलिस के अधिकारियों ने, जो एक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नाईजीरियाई ब्रिगेडियर को हवाई अड्डे तक छोड़ने जा रहे थे, एक ग़लत मोड़ पर जैसे ही गाड़ी घुमाई, उनको कांगो के फौजियों ने रोक लिया और उनकी पिस्तौल तथा दो स्टेन गनें छीन लीं। २७ की शाम को मरीजों को ले जाने वाली एक भारतीय एम्बुलेंस को रोक लिया गया। कांगो के फौजी उसे छीनकर ले गये। ये वाकयात हैं।

मोटे तौर पर २३ के बाद से ऐसी घटनायें होना बन्द हैं। हां, उसके बाद एम्बुलेंस-कार की चोरी की घटना जरूर हुई है। कहा जाता है कि २४ नवम्बर के बाद से अब लियोपोल्डविल में पहले के मुकाबले ऐसी सरगर्मी नहीं है। जिन दो भारतीय अफसरों को चोटें आई थीं, वे अस्पताल से वापस आ गये हैं।

हमलों की वारदातें कम होने और हालात में कुछ सुधार होने के कारण ये बताये जाते हैं :— (१) लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र की फौजों की गश्त बढ़ गई है; (२) संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को आमतौर पर कम निकलने दिया जाता है, खास तौर से रात में; (३) लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने कर्नल मोबुटू पर दबाव डाला है; (४) न्यूयार्क में प्रेसीडेण्ट कासावुबू और श्री बोम्बोको पर दबाव डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने प्रेसीडेण्ट कासावुबू के पास लिख कर शिकायत भेजी है, और उसके बाद दो बार जुबानी कहलवाया है। सलाहकार कमेटी की बैठकें होती रही हैं और उसमें उन सभी देशों के नुमाइंदे मौजूद हैं जिन्होंने कांगो में अपनी हथियारबन्द या किसी दूसरी तरह की फौजें भेजी थीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ही यह सलाहकार कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने भी इस मामले पर गौर करने के बाद, प्रेसीडेण्ट कासावुबू और महासचिव दोनों से अपील की है।

ये सभी तथ्य हैं। हाल में कुछ और घटनायें भी हुई हैं। अखबारों से पता चलता है कि श्री लुमुम्बा लियोपोल्डविल की अपनी एक तरह की नजरबन्दी से भाग निकले हैं। किसी को पता नहीं वे कहां गये हैं। वे शायद स्टैनलीविल, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि इस समय हालत काफ़ी खतरनाक है। कांगों में अभी भी गृह-युद्ध का खतरा है। वहां एक बड़े पैमाने पर विभिन्न तत्वों में गृह-युद्ध छिड़ सकता है। इतना ही नहीं, कांगो से बाहर की ताकतें भी इन विरोधी तत्वों के पीछे तैयार हैं। लेकिन अभी मैं उस बड़े सवाल को नहीं लूंगा।

†**श्री नाथवाई** (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने पहले बताया था कि कांगो में अब सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकार को कायम रखने का। भारत सरकार ने महासचिव को इसके बारे में लिखा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसके विषय में हो क्या रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उनकी सुरक्षा की गारंटी के बारे में जानना चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : गारंटी क्या हो सकती है; सिवाय इसके कि संयुक्त राष्ट्र की फौजें वहां हैं। हम इसके बारे में एक नहीं, दो बार महासचिव के पास सख्त किस्म की शिकायतें कर चुके हैं। सलाहकार कमेटी में भी इस पर गौर किया गया था। प्रेसीडेण्ट कासावुबू न्यूयार्क में थे; उन से भी इसके बारे में कहा गया था। वह सब तो किया ही गया था। साथ ही, महासचिव से बार-बार जोर देकर कहा गया और वह भी मान गये हैं कि यह मामला बड़ा गम्भीर है और हर कोशिश की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा खुद देख सकती है कि २३ के बाद से वैसी घटनायें नहीं हुई हैं, इसलिये कि संयुक्त राष्ट्र की फौजों ने वहां कुछ कड़े कदम उठाये हैं। एम्बुलेंस-कार की चोरी के अलावा, तब से वैसी कोई घटना नहीं हुई है। एम्बुलेंस-कार भी लौटा देने का वायदा किया गया है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : कर्नल मोबुटू की फौज ने हमारे कर्नल हरमानदर सिंह को अपने घर में नहीं घुसने दिया था। उनको दूसरे के घर में शरण लेनी पड़ी थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बात बिलकुल सही है। इस तरह के तथ्यों का जिक्र मैं कर चुका हूं। सभी तथ्यों को दोहराने की जरूरत नहीं। मैंने अभी सभा को बताया है कि २१ से २३ नवम्बर तक ऐसी घटनायें हुई हैं। करीब ७-८ देशों के लोगों को पीटा गया है और उनकी चीज़ें चुराई गई हैं।

†**श्री नोशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : पिछली बार, सरकार ने कहा था कि इस पर चर्चा होगी। आपने भी कहा था कि इसी हफ्ते में इस पर वाद-विवाद होगा। उसके बाद से प्रधान मंत्री ने काफी चिन्ताजनक बातें कही हैं। उन्होंने साफ़ कहा है कि श्री लुमुम्बा स्टैनिलेविल की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे वहां गृह-युद्ध की संभावना पैदा हो रही है। वहां हमारे ७७० कर्मचारी हैं और वे निहत्थे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या संसद् उनकी सुरक्षा के मसले पर चर्चा नहीं कर सकती ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने सभी तथ्य सभा के सामने रख दिये हैं। सभा को भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा के मसले पर चर्चा करने का अधिकार है, और उचित अवसर आने पर सभा उस पर चर्चा करेगी और सरकार को सलाह देगी। लेकिन इस अवस्था पर नहीं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : क्या संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त, उस राज्य के प्रधान, श्री कासावुबू ने इन घटनाओं पर खेद प्रकट किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : प्रधान मंत्री ने अभी जो वक्तव्य दिया है, उसमें कुछ ऐसे तथ्य दिये गये हैं जिन से हमारे दिमाग में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हो। प्रधान मंत्री बतायें कि वे इसके लिये तैयार हैं या नहीं ?

†**श्री रंगा** (तेनालि) : अच्छा तो यह होगा कि हम इस पर सभा में चर्चा करने की बजाय संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव के सामने अपना प्रतिनिधित्व करें।

†**श्री जाहरवलाल नेहरू** : संसद् इस पर चर्चा कर सकती है या नहीं—इसका सवाल ही नहीं उठता। सभा को पूरा-पूरा हक़ है। हां, सोचना यही है कि ऐसी चर्चा करना ठीक रहेगा या नहीं।

जहां तक इन घटनाओं का ताल्लुक है, वहां तो शुरू से बदअमनी और बदइंतजामी रही है। कांगो के बड़े सवाल के अलावा, एक और सवाल हमेशा रहा है। वह यह कि वहां कुछ सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। लेकिन हम अपने साढ़े सात सौ कर्मचारियों के लिये सुरक्षा की मांग करते नहीं फिर सकते। वह न तो जरूरी है और न अच्छा ही लगता है कि हम अपने कर्मचारियों के लिये ऐसी मांग करते फिरें। वे अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। वहां संयुक्त राष्ट्र की तरफ से १५ देशों के लोग गये हैं, और अगर सभी चौकीदार पुलिस वालों से और पुलिस वाले फौजियों से और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फौजी लोग किसी और से सुरक्षा मांगें, तो एक नामुमकिन सी चीज हो जाती है। हां, अगर कोई गड़बड़ी वहां हो जाये, तो हमें उसके बारे में कुछ अपना फैसला करना पड़ेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि बदअमनी, वगैरह के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि सभी मानते हैं कि बदअमनी नहीं रहनी चाहिये।

विरोधी दल के माननीय सदस्य शायद कांगो के बड़े सवाल पर चर्चा करने की बात सोच रहे हैं कि उसके बारे में हमें क्या करना चाहिये। यदि सभा चाहे तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।

लेकिन कांगो के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक उन पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तो यही राय है। अभी हम यहां बैठे-बैठे उस पर चर्चा करें तो हम या तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही को बुरा बतायें, या उसकी नुक्ताचीनी करें, या फिर उसकी तारीफ करें। मैं तो यही समझता हूं कि अभी उस पर चर्चा करने से कहीं कोई फायदा नहीं होगा। बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाये जिससे तसवीर ज्यादा साफ़ दिखने लगे, तब कुछ फायदा हो सकता है। अभी तो हालात इतने उलझे हुए, इतने पेचीदा हैं कि कोई नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। वैसे हमारे ख्यालात तो सभी जानते हैं कि कांगो में अमन कायम होना चाहिये और एक केन्द्रीय हुकूमत चलनी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र ने अब प्रेसीडेण्ट कासावुबू को मान लिया है। हमने और दुनिया के दूसरे देशों ने भी उनको माना था। अब सवाल यह पैदा हो गया है कि प्रेसीडेण्ट के क्या काम होते हैं जो उनको करने चाहिये। क्या प्रेसीडेण्ट को अपने कामों के दायरे से बाहर जाकर भी कुछ करना चाहिये? यह सवाल अभी भी है। लेकिन कांगो की अभी तक कोई एक साफ तसवीर उभर कर नहीं आई है। हर चीज़, हर परिस्थिति में लचकीलापन है। वहां शक्लें बनती और बिगड़ती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वहां भेजे गये हमारे और दूसरे-दूसरे देशों के नुमाइंदे इस बात को जानते हैं और अपनी पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो एक कमीशन जाने वाला है, वह एकाध हफ्ते में कांगो पहुंचेगा। वह शायद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसलिये ऐसी तेजी से बदलते हालात में, उस पर बहस करने से मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता।

†**अध्यक्ष महोदय** : कांगो में संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग जा रहा है। हमें देखना चाहिये कि वह क्या करता है। तब तक हमें रुकना चाहिये। अभी इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं।

समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा समवाय अधिनियम, १९५६ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार करेगी। खंड ९८ विचाराधीन है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमन्, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस-विरोधी पार्टियों को कम्पनियों से किस प्रकार से चन्दा दिया जाता है, किस मकसद के लिए दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता है और किस तरीके से दिया जाता है । जो तरीका आज कल कम्पनियों में चन्दा देने का चल रहा है, उस को देखते हुए मूल धारा २९३ (ई०) के सम्बन्ध में क्लाज़ ९८ में जो उप-धारा (६) जोड़ी जा रही है और माननीय सदस्य, मसानी जी, मुरारका जी और नथवानी जी, के जो अमेंडमेंट हैं, वे किसी काम में आने वाले नहीं हैं । जहां तक बैलेंस-शीट का सम्बन्ध है, मेरे पास काफ़ी बैलेंस-शीट हैं और मैं काफ़ी हाउस में भी लाया हूं । मैं ने देखा है कि कम्पनियों के अन्दर से किसी वर्ष सात लाख— मैं एक ही कम्पनी की बात कर रहा हूं—, किसी वर्ष छः लाख, किसी वर्ष पांच लाख रुपये चन्दे में दिये जाते रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को थोड़ी भी रकम दी होगी, तो बैलेंस-शीट में कांग्रेस का नाम उन्होंने ज़रूर लिखा होगा कि कांग्रेस को इतना चन्दा दिया गया ।

[श्री मूलचन्द दुब्बे पीठ सीन हुए]

लेकिन अगर लाखों रुपये किसी परपज़ के लिये किसी अन्य पार्टी को दिये गये, तो केवल रकम बता दी जाती है और पार्टी नहीं बताई जाती है । और यह बैलेंस-शीट एक साल की नहीं, एक दर्जन बैलेन्स-शीट्स इस वक्त मेरे पास उस कम्पनी की मौजूद हैं । मैं उनसे यह बतला सकता हूं कि हर वर्ष, कभी ७, कभी ६ और कभी ५ लाख की रकम उन्होंने दी है किन्तु यह नहीं बताया कि किसे दी । एक बैलेन्स शीट मेरे सामने है, उस बैलेन्स शीट के अन्दर जो चन्दे उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को दिये हैं, कांग्रेस विरोधी पार्टियों को दिये हैं, उनके नाम नहीं बतलाये गये हैं । चूंकि इससे मेरा डाइरेक्ट सम्बन्ध आता है, इसलिये मुझे सारी चीज का पता है कि किसे दिये हैं । उन्होंने सन् १९५६ के अन्दर ६८,००० रु० दिये, सन् १९५७ के अन्दर १८,००० रु० दिये । साथ ही उन्होंने १०१ रु० वहां के कारपोरेशन को १४ नवम्बर को जवाहर जयन्ती के रोज बालकों के फंग्शन के लिये भी दिये । उस बैलेन्स शीट के अन्दर जहां पर ६८,००० रु० और १८,००० रु० दिये गये हैं वहां पार्टियों का नाम नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर लिख दिया है कि जवाहर जयन्ती के उपलक्ष्य में १०१ रु० दिये । इसका मतलब यह है कि विरोधी राजनीतिक पार्टियां यह कह सकें कि तुम्हारे, जवाहरलाल जी की जयन्ती के लिये उस मिल से, उस कम्पनी से, इतने इतने रुपये दिये गये हैं, परन्तु बाकी की रकम की चर्चा करने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनका नाम नहीं दिया है ।

म एक कम्पनी का जिक्र करना चाहता हूं जिसने कांग्रेस के विरोध में अपना कैन्डिडेट खड़ा किया था । उसने उस की मदद करने के लिये ६,००० रु० दिये, और वह भी ऐसी हालत में जबकि उसे १६ लाख का घाटा हुआ था । मैं तो यह मानता हूं कि हमारी विरोधी पार्टियां केवल कांग्रेस के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिये ही यह सारा सवाल पैदा करती हैं, यह बतलाने के लिये कि सारे जो डोनेशन वगैरह दिये जाते हैं यह कांग्रेस पार्टी को ही दिये जाते हैं, और हम बिल्कुल दूध के धुले हैं । ऐसी बात नहीं है । आज मैंने जिस ५, ६ और ७ लाख रु० डोनेशन का जिक्र किया, उसके देने वाली कम्पनी के संचालक कांग्रेस के विरोध में चुनाव में खड़े हुए । हमेशा उनके लोग खड़े होते रहते हैं, यह बात अलग है कि किस्मत उनका साथ नहीं देती । इसके लिये क्या किया जा सकता है ? हालांकि उसी कम्पनी का रुपया वह खर्च करते रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट में उसे उस मद में बतलाया नहीं गया है । आपने ठहरा दिया है कि २५,००० रु० तक दिया जा सकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस कम्पनी को १६ लाख रु० का लास होता है वह अगर ६,००० रु० किसी राजनीतिक पार्टी को देती है तो वह किस आधार पर ? आप यह प्राविजन यहां क्यों रख रहे हैं ? इसी प्रकार से एक कम्पनी ने १२,००० रु० का प्राफिट दिखलाया । मेरे पास बैलेंस शीट यहां पर मौजूद है, अगर हाउस चाहे तो मैं उसे यहां रख सकता हूं, उस कम्पनी ने १२,००० रु० का प्राफिट किया है लेकिन२४,५४१ रु० डोनेशन में दिये हैं ।

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

आज पार्लियामेंट के अन्दर कम्पनी ऐक्ट के सम्बन्ध में चर्चा हुई कि कम्पनी मैनेजमेंट को ईमानदार, एफिशिएंट और एफेक्टिव कैसे बनाया जाय, जिसके लिये स्पेशल आडिट की व्यवस्था की गई, जिसके लिये यह भी ठहराया गया कि किस हालत में डिप्रिसिएशन निकाला जाये जिसमें यह भी ठहराया गया कि किस हालत में डिविडेंट दिया जा सकता है। लेकिन जिनका इससे डाइरेक्ट सम्बन्ध आता है, जो कम्पनी में लगे हुए हैं, जिन्होंने कम्पनी में पूंजी लगाई है, जो उसमें श्रम करते हैं, वे एक तरफ रह जाते हैं, परन्तु जो न हमालीमें हैं और न दलाली में हैं, वे उस कम्पनी से नाजायज फायदा उठाते हैं जिससे सारे देश को नुकसान पहुंचता है क्योंकि कुछ कम्पनियां राइवल पार्टीज को इसलिये फंड देती हैं कि कम्पनियों के आपस में झगड़े रहते हैं और वे देखती हैं कि कौन राइवल पोलिटिकल पार्टी उस राइवल कम्पनी को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे अनुभव में तो ऐसा आया है कि कम्पनीज ऐसी पोलिटिकल पार्टीज को पैसा देती हैं जिनके द्वारा राइवल कम्पनी में हड़ताल कराई जा सके, और उस हड़ताल को लम्बा चलाया जा सके या किसी तरह से उस कम्पनी को गिराया जा सके। हमारे अनुभव में यह भी आया है कि ऐसे नेताओं के अकाउण्ट हैं, देश में नहीं बल्कि विदेशों में, लन्दन आदि की बैंकों में भी हैं, जिनका पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम्पनियों के अन्दर से किसी भी पोलिटिकल पार्टी को चन्दा देना बन्द होना चाहिये। इस पर पूरी पूरी बन्दिश होनी चाहिये।

एक समझौते के द्वारा यह ठहराया गया कि कम्पनीज अपने प्राफिट में से ५ परसेन्ट लेबर हाउसिंग के लिये दें। बरसों तक अमुक कम्पनियों ने अपने प्राफिट में से ५ परसेन्ट निकाला। ४० लाख रु० की रकम हाउसिंग परपज के लिये इकट्ठी हुई, बैलेन्स शीट में हमेशा बताया जाता रहा कि ४० लाख रु० की जो रकम है वह लेबर हाउसिंग के लिये है। लेकिन जो ४० लाख रु० की रकम बरसों तक बैलेन्स शीट में दिखाई जाती रही, अमुख साल के अन्दर उसमें से गायब कर दी गई। लेबर हाउसिंग के लिये जमीन ऐक्वायर की गई, रोड्स कुएं बनें, सारी व्यवस्था की गई किन्तु वह जमीन चरागाह बन गई, मकान नहीं बनवाये गये क्योंकि मिल ओनर्स ने उस ४० लाख की रकम को उसके लिये नहीं दिया और गवर्नमेंट उसमें से एक पाई भी नहीं ले सकी। जबकि लास की हालत में भी ५, ५ लाख रु० वही कम्पनियां पोलिटिकल पार्टीज को देती रही हैं किन्तु श्रमिकों के वेलफेयर को नहीं। मेरा इस चन्दे आदि के मामले में विरोध है क्योंकि इससे लेबर की भलाई के कामों पर बन्दिश लग जाती है और लेने वाला उनका विरोधी बन जाता है जो मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको तो कोई चीज देने या उनके वैलफेयर का सवाल नहीं। टैक्सटाइल वेज बोर्ड ने जो रिकमेन्डेशन्स कीं, कितना भी उतार चढ़ाव होता रहा, अभी भी वे इमिप्लमेंट नहीं हो सका। ऐसी हालत में भी पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा देने में कोई मिल ओनर्स या कम्पनियां ऐतराज न करें, तो मैं मानता हूं कि यह बहुत ही बुरी बात है।

इसी प्रकार से बोनस के बारे में ट्राइब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला ठहरा दिया कि मजदूर किस तरह से बोनस पाने के अधिकारी हैं, जो मजदूर कम्पनी में रात दिन काम करते हैं। कम्पनी के हित के लिये ठहराया गया कि जो प्राफिट होता है उस में से पहले डिप्रिसिएशन निकाला जाय, उस प्राफिट में से डिविडेंट बांटा जाय, उस प्राफिट में से डेवेलपमेंट रिबेट इतना निकाला जाय, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाय, जो रिजर्व सप्लैस है अगर उसको वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिये २ परसेन्ट ब्याज निकाला जाय, उसके बाद जो रकम बचे उसमें से मजदूरों को बोनस दिया जाय, अगर न बचे तो बोनस न दिया जाय किन्तु कम्पनी को लास होता है, १५ लाख २० लाख रु० का लास होता है, तो भी वे पोलीटिकल पार्टीज को

२५,००० देने के अधिकारी हैं, तो मैं मानता हूं कि यह चीज उद्योग और नेशन के लिये बहुत भारी पड़ेगी। कम्पनियों के धन से जो चेरीटेबिल ट्रस्ट बने हैं उन का उपयोग कोई चैरिटेबिल परपज वगैरह में नहीं होता है बल्कि इसका उपयोग पूरा साम्प्रदायवाद को प्रोत्साहन देने के लिये ही होता है, जो कि देश के लिये घातक है। आज देश में इसी चैरिटी और डोनेशन के आधार पर बड़े बड़े आन्दोलन चल रहे हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि महागुजरात का आन्दोलन किस के चन्दे से चला। महागुजरात का जो आन्दोलन चला था उसको कम्पनियों के डोनेशन से बहुत बड़ी मदद मिली थी। मैं ऐसे एक दो नहीं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि और सज्जन भी बोलना चाहते हैं। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने कुछ बातें हाउस के सामने रखी हैं। मेरा निवेदन है कि यह जो पोलीटिकल पार्टीज को डोनेशन देने का सावल है इस पर पूरी बन्दिश लगायी जानी चाहिए। और जो अमेंडमेंट ज्वाइंट कमेटी ने उपधारा ६ के रूप में रखा है या जो सुझाव माननीय सदयों ने दिये हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मुझे दुःख है कि मैं इस मामले में विरोधी दलों की बात से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार फिर वही गलती कर रही है और इसका चुनावों पर बुरा असर पड़ेगा।

चुनाव धन के बल पर नहीं, दल के सिद्धान्त के बल पर जीते जाते हैं। यदि कांग्रेस ने देश के लिये कुछ नहीं किया, तो हम नहीं चाहते कि चुनावों में कांग्रेस फिर विजयी हो। कांग्रेस को आज धन की इतनी जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में पिछले चुनावों के समय चीनी मिलों और सूती कपड़ा मिलों को परिपत्र भेजे गये थे कि वे अपने उत्पादन के आधार पर प्रतिमन चीनी और प्रतिगज कपड़े पर एक निर्धारित दर के हिसाब से कांग्रेस को चन्दा दें। यह समझौता मिलों के प्रबन्धकर्त्ताओं के साथ किया गया था। उसे चन्दा तो नहीं कहा जा सकता। वह भ्रष्टाचार था। देश की जनता ऐसे भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी।

और अब तो और भी बुरा होगा, क्योंकि समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चन्दा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा। इधर हाल में, लेडी माउण्टबैटन के स्मारक के लिये चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें वही लोग चन्दा देते है जो प्रधान मन्त्री को खुश करना चाहते हैं। स्पष्ट है कि यह भी एक भ्रष्टाचार ही है।

मैं एक कांग्रेसमैन के नाते सरकार से इसे वापस लेने की अपील करता हूं। इससे दल की बदनामी होगी।

आयकर अधिनियम की धारा १५ख के अन्तर्गत समवाय अपने कुल मुनाफे की ५ प्रतिशत राशि, या एक लाख रुपया, या इन दोनों में से जो भी कम हो, पूर्व न्यासों को दी जा सकती है और उस पर कर नहीं लगेगा। १ अप्रैल, १९६० के बाद उसे ७½ प्रतिशत, या डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया था, और अब उसे ५ प्रतिशत या २५,००० रुपये किया जा रहा है। इन २५,००० रुपयों के अतिरिक्त पूर्व न्यासों को भी चन्दा दिया जा सकेगा। और, उस राशि पर आय कर नहीं लगेगा। क्या राजनीतिक दलों के दिये जाने वाले चन्दे पर भी आय कर नहीं लगेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जरूरी नहीं है।

†**श्री त्यागी** : यदि उसे आय कर से मुक्त किया जाता है, तो उसका मतलब यही होगा कि उसमें ४०–५० प्रतिशत रुपया सरकार का भी रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। मैं अपना उत्तर देते समय इसका स्पष्टीकरण करूंगा।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। व्यवस्था क्या है ? २५,००० रुपये की सीमा निर्धारित की गई है, या एक करोड़ मुनाफे वाला उसका ५ प्रतिशत—अर्थात् ५ लाख रुपये चन्दे में दे सकेगा ?

पिछले चुनावों के समय श्री सी० डी० देशमुख ने स्पष्ट कहा था कि शेयरधारियों का रुपया इस तरह खर्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शेयरधारी इसे कभी भी पसन्द नहीं करेंगे।

सरकार यदि वास्तव में देश का काम करे, तो उसे रुपये की कमी पड़ ही नहीं सकती। हम ऐसे लोगों से चन्दा नहीं चाहते जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं करते। उसका हमारी पूरी नीति पर प्रभाव पड़ता है और पड़ेगा।

इसलिये मैं श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करता हूं।

यदि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, तो अन्य राजनीतिक दल इसे लेकर हमारे दल की बदनामी करेंगे और जनता को भड़कायेंगे।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची पूर्व) : मैं इन चार संशोधनों का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कल ज़ोरदार शब्दों में सरकारी नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि लोक समवायों को राजनैतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि लोक निगमों को अपने दलों को चन्दा देने की छूट नहीं होनी चाहिये। अतः मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरा संशोधन संख्या ७८ स्वीकार करें क्योंकि यह उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाला है।

निगमित निधियों में से दलों के कोष में चन्दा दिये जाने पर उसे चन्दा देने की तिथि से ३० दिन के भीतर प्रकाशित कर दिया जाना चाहिये। इसे यदि केवल संतुलन पत्रों में ही दिखाया गया तो यह बहुत देर में प्रकाश में आ सकेंगे। अन्यथा यदि समय बीत जाने के बाद उन्हें प्रकाश में लाया गया तो वे बिल्कुल ही बेकार बात होगी।

निदेशक मंडल को राजनैतिक दलों अथवा कोषों में चन्दा देने से रोकने के लिये धारा २९३ के अधीन उपबन्ध किया जाना चाहिये। यदि मेरे संशोधन संख्या १ और १४ स्वीकार कर लिये जाते हैं तो न तो निदेशक मंडल ही और न समवाय ही राजनैतिक दलों को चन्दा दे सकते हैं। साथ ही निगमित निधियों के राजनैतिक दलों के कोष में चन्दा के रूप में दिये जाने पर बिल्कुल रोक लगायी जानी चाहिये। धन की शक्ति को राजनैतिक शक्ति से गठजोड़ करने से रोका जाना चाहिये ताकि धन की शक्ति पर नियंत्रण रखने वालों को राजनैतिक सत्ताधारियों से पृथक रखा जा सके। मेरे संशोधनों का भी उद्देश्य यही है।

राजनैतिक दलों के कोष में दिये जाने वाले चन्दे राजनैतिक दल की विचारधारा को भले ही प्रभावित न करते हों परन्तु सरकार के प्रशासनिक कृत्यों को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांग्रेस के कोष में व्यापारियों से चन्दा मिलने का कारण ही यह है कि उनमें से कुछ को सरकार के दंड का भय है और कुछ तत्काल लाभ उठाने के इच्छुक हैं जैसे अनुज्ञप्तियां, परमिट, अन्य दूसरी सुविधाएं और प्राथमिकता आदि आदि ।

†श्री हेडा (निज़ामाबाद) : मुझे तो यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य कृपालानी जैसे लोग भी, जिनकी बुद्धिमत्ता का हम सभी लोहा मानते हैं, कम्युनिस्टों के वाक्-जाल में फंस गये हैं। कम्युनिस्ट लोग तो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि निजी क्षेत्र का मतलब है पूंजीवाद, और यदि कोई लोकतंत्र उनको बने रहने की अनुमति देता है, तो वह पूंजीवादी लोकतंत्र है। चूंकि आचार्य जी की अपनी कोई पार्टी नहीं है, इसलिये वह चाहते हैं कि निजी क्षेत्र किसी भी पार्टी को चन्दा न दे सके।

प्रश्न यह है कि निजी क्षेत्र को देश में जीवित रहने दिया जाये या नहीं ? देश में स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था रहे या नहीं ? यदि देश में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता रहेगी, तो उसे लोकतंत्र के विकास के लिये अपनी मन पसन्द पार्टी को चन्दा देने का अधिकार भी रहना चाहिये।

आचार्य जी को सब से सख्त विरोध है समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दे से। पता नहीं शायद उनको इस पर भी ऐतराज हो कि कोई एक व्यक्ति ५,००० रुपये से ज्यादा चन्दा दे।

असल में प्रश्न यही है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिये व्यक्तिगत तौर पर भी कोई चन्दा दिया जा सकता है या नहीं ? यदि व्यक्ति दे सकते हैं, तो समवाय क्यों नहीं दे सकते ?

आचार्य जी, और श्री मसानी की भी दूसरी ग़लतफहमी यह है कि राजनीतिक पार्टी को दिया जाने वाला हर चन्दा बुरा है।

अब सवाल यह उठता है कि हमारे लोकतंत्र के विकास के लिये चन्दे जरूरी हैं या नहीं ? यदि हम चाहते हैं कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकें, तो ऐसे चन्दे अत्यावश्यक हैं। देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने चुनाव का खर्च खुद उठा सकते हैं। इसलिये, हमें चन्दे की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

श्री मसानी ने कहा है कि समवायों द्वारा दिये जाने वाले चन्दों की सार्वजनिक घोषणा ३० दिन के अन्दर कर दी जानी चाहिये। उनका मतलब शायद यही है कि जिस पार्टी को चन्दा मिले, उसके विरोध में प्रचार किया जा सके।

मैंने पिछली बार भी कहा था कि निजी समवायों द्वारा जो चन्दे दिये जाते हैं, वे कुल चन्दों के पांच प्रतिशत ही होते हैं। इसलिये इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की जरूरत नहीं। समवायों को भी चन्दा देने की उतनी ही स्वतंत्रता रहनी चाहिये जितनी कि व्यक्तियों को है। जहां तक प्रभाव का सम्बन्ध है, समवायों की तरह, चन्दा देने वाले व्यक्तियों का प्रभाव भी अच्छा या बुरा हो सकता है। इसलिये श्री मसानी के तर्क में कोई सार नहीं। ३० दिन की अवधि निर्धारित करने की बात यह भी है कि यदि कोई समवाय चन्दा देना ही चाहे तो कई तरीकों से दे सकता है। वह चुनाव के दस दिन पहले भी दे सकता है, जिससे कि उनकी घोषणा चुनाव के बाद ही हो और विरोधी राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ न उठा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

सरकार ने यह घोषणा तो कर ही दी है कि कोई भी सरकारी समवाय किसी भी राजनीतिक पार्टी को चन्दा नहीं देगा। अभी तक यही प्रथा भी रही है। इसलिये ऐसी किसी संशोधन की जरूरत नहीं। हमें अपने लोकतंत्र की परम्पराओं पर विश्वास रखना चाहिये।

श्री मसानी ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को दो ही उद्देश्यों से चन्दे दिये जाते हैं—एक तो उसका भय, और दूसरा पार्टी को भ्रष्ट करने की कोशिश। भय की बात तो बेबुनियाद है। भ्रष्ट करने की बात यह है कि राजनीतिक पार्टी को स्वयं सचेत रहना चाहिये।

भय केवल शासक दल का नहीं होता। उद्योगपतियों को विरोधी दलों का भी भय रहता है। वे विरोधी दलों को भी नाराज नहीं करना चाहते। समवायों से मजदूर नेता भी चन्दे लेते हैं। समवाय उनको तरह तरह की सुविधायें देते हैं। इसे भय कहेंगे, या उनको भ्रष्ट करने की कोशिश? दोनों में विभेद करना कठिन है।

श्री मसानी ने स्वयं कहा है कि देश के ९० प्रतिशत उद्योगपति कांग्रेस से नाराज हैं। इसका मतलब है कि उनके ९० प्रतिशत चन्दे उन विरोधी दलों को मिलेंगे जो कांग्रेस के मुकाबले दक्षिण पंथी हैं।

यदि समवायों के चन्दों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, तो वह हमारे लोकतंत्र के विकास के हित में नहीं होगा। इसलिये मैं खण्ड ९८ और सरकार के संशोधन का समर्थन करता हूं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : हमारी चुनाव विधि के अधीन एक कैन्डीडेट द्वारा चुनाव पर व्यय किये जाने की अधिकतम राशि निर्धारित है। इसलिये यदि समवाय उस कैन्डीडेट को धन देता है तो कोई गड़बड़ नहीं होती। परन्तु यदि समवाय राजनैतिक दलों को देता है तो स्थिति अजीब हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि सरकारी समवाय अंशदान नहीं देंगे। मैं उनका ध्यान कांग्रेस द्वारा निकाले गये स्मारक ग्रन्थों की ओर दिलाना चाहता हूं। इन स्मारक ग्रन्थों में विज्ञापन के लिए ३,००० रुपये अथवा ५,००० रुपये प्रति पृष्ठ लिए जाते हैं। सरकारी समवाय इनमें विज्ञापन देते हैं और इस प्रकार कांग्रेस को धन मिल जाता है।

तीसरे मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभा पटल पर उन ५० समवायों के नामों की सूची रख दें जिनसे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने २ करोड़ रुपये लिए थे।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह बात एकदम ग़लत है।

†**श्री अशोक मेहता** : मैं बड़ी प्रसन्नता से इन ५० समवायों की सूची दिखाने को तैयार हूं। और मेरा अनुरोध है कि समवाय विधि-प्रशासन के पास समवायों के उस समय के जो संतुलन पत्र हैं उनकी जांच करा ली जाये।

इसके बाद मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि इन ५० समवायों को किस प्रकार लाभान्वित किया गया और सहायता दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री कृपा करके फरवरी, १९६२ में समवायों द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों को दिए गए अंशदानों की सूची सभा पटल पर रख दें। जिससे जनता को चुनाव से पहले मालूम हो जाये कि किसने किसके लिए अंशदान किया है।

राजनैतिक दलों के धन की भी जांच की जानी चाहिए। उनके लेखों की लेखा परीक्षा होनी चाहिए। जिससे सही स्थिति का पता लगे।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह उस सूची को सभा पटल पर रख दें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, विरोधी पार्टियों और विरोधी सदस्यों ने जो अमेंडमेंट्स सरकार की तरफ से मूव हुये हैं उनकी मुखालफत की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी आल चनाओं का जवाब देते हुये उनको सही नहीं बतलाया और उनको स्वीकार नहीं किया। कल यहां इस बात पर बहस होती रही। शास्त्री जी का कहना था कि इस किस्म के चंदे प्राइवेट कम्पनियों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से उस वक्त भी मिलते थे जिस वक्त कि आचार्य कृपलानी हिन्दुस्तान की कांग्रेस के प्रधान थे या उससे पहले जब कि हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था। कांग्रेस को पूंजीपतियों से बड़ी रकमें पहले भी मिलती थीं या नहीं इस विषय को लेकर आचार्य जी और शास्त्री जी में काफी देर तक हाउस में झड़प होती रही। उस सम्बन्ध में आचार्य जी ने जो दावा किया था शास्त्री जी उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते थे और उन्होने उनके दावे को स्वीकार न करते हुये उसे चुनौती दी। इस के पीछे एक भावना है। उसके पीछे एक कारण है और वह कारण यह है कि जो हमारे भाई यह ख्याल पेश करते हैं कि कम्पनियों से बाज पोलिटिकल पार्टियां चन्दा न लें तो इसको न मानने के लिये भी वही कारण है। ताज्जुब की बात यह है कि विरोधी सदस्यों के उस तर्क और अपील में हमारे कर्मठ साथी त्यागी जी भी बह गये। जहां तक श्री राम सिंह भाई वर्मा की बात का सम्बन्ध है उनकी बात तो मैं समझ सकता था क्योंकि उन्होंने जो बात यहां पर रखी वह एक मजदूर के नुमाइन्दे के दृष्टिकोण से रखी। चाहे वह कम्पनी ऐक्ट हो अथवा कोई और दूसरी बात हो। उसमे तो एक मजदूर की तरफ से आवाज उठाना यह उनका धर्म है और मैं उसको सही मानता हूं। लेकिन त्यागी जी तो हिन्दुस्तान के वित्त मंत्रालय में भी रहे और वह डिफेंस मंत्रालय में भी रहे और उनकी जो भी बात वह कहें, काफी वजनदार हो सकती थी। अब उनके द्वारा यह सवाल करना कि पोलिटिकल पार्टीज को जो चन्दा दिया जाता है उसके ऊपर इनकमटैक्स लगता है या नहीं कुछ अजीब सी लगी क्योंकि यह बात तो त्यागी जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं क्योंकि पहले तो वह मंत्री रहे और जब से मंत्री पद से हटे तब से लगातार एक सदस्य की हैसियत से इस सदन में मौजूद हैं और अगर कोई कानून बदलता तो उनको पता होता। इस लिये वह दावे के साथ कह सकते थे। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री महोदय ने क्यों वह शब्द बरतें ? लेकिन किसी मंत्री महोदय के कोई शब्द ढीले बोलने से देश के कानून में तो कोई तबदीली नहीं आ सकती है। कानून तो कानून ही रहता है और जो कि हर एक माननीय सदस्य और हर एक वकील के पास मौजूद रहता है।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि शास्त्री जी ने क्यों नहीं कबूल किया। इस की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है और हमेशा वह सारी चीजें देश के सामने रखती है। उनका अपना तजुर्बा है कि कम्पनीज के पैसे से चंदे से, जो एलेक्शंस लड़े गये या चंदा कांग्रेस पार्टी को आया उससे कांग्रेस की नीति में कोई फर्क नहीं आया है। यही नहीं पिछले १३, १४ साल के अन्दर एक तरीके से हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० रणवीर सिंह]

है जिनके कि पास वह पैसा दिया गया था। लेकिन क्या यह वाक्या नहीं है कि इस देश के अन्दर धीरे धीरे एक समाजवादी ढंग का ढांचा बनाया जा रहा है? कौन व्यक्ति इससे इंकार कर सकता है कि जहां सन् १९४७ के अन्दर लोहे की इंडस्ट्री १०० फीसदी प्राइवेट सैक्टर में थी आज वह तीन चौथाई के करीब पब्लिक सैक्टर में है? इसलिये सभापति महोदय यह सारी बातें सोचने की हैं।

हमारे देश के अन्दर सत्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुये बगैर किसी आदमी का खून खच्चर किये हुये जैसे चीन के अन्दर २०–२२ लाख आदमियों को कत्ल करने के बाद और लाखों जो जमीन के मालिक थे उनसे जमीन छीन छीन कर गरीब किसानों में बांटी गई उसी तरीके से लेकिन बगैर कोई हिंसा किये हुए बगैर किसी तरह की खूनखराबी किये हुये इस देश के अन्दर कांग्रेस शासन ने भूमि सुधार लागू किये। इस देश के अन्दर लाखों ऐसे किसान हैं जो कि जमीन के मालिक नहीं थे और जो कि जमीन पर खेती की मजदूरी करते थे आज वह जमीन के मालिक हैं। यह शांतिपूर्ण इन्कलाब जो हमने लाया क्या उससे कोई इंकार कर सकता है?

श्री मसानी एक अच्छे वकील हैं और इस लिये बहुत कुशल पूर्वक बात करते हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो वह यह मानते हैं कि बिड़ला और टाटा अगर जाती तौर पर किसी को रुपया दे दें तो वह बुरा नहीं होगा और उसका असर नहीं होगा लेकिन अगर एक कारपोरेट बौडी देगी तो उसका असर हो जायेगा, यह एक अजीब किस्म का आर्गुमेंट है। मेरी तो समझ में उनका यह तर्क आता नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर हम कारपोरेट बौडी के बजाय साहूकारों से या दूसरे भाइयों से इंडिविजुएली या पार्टीज़ की हैसियत से चंदा लेते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। कल आचार्य जो ने भी कहा और त्यागी जो ने भी कहा कि गरीब आदमियों से जो चन्दा लिया जाता है और त्यागी जी भी कह रहे थे कि छोटे छोटे चन्दे इस लिये अच्छे हैं क्यों कि उनका नीति के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि कौरपोरेट बौडी से जो चंदा आयेगा उससे नीति के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता लेकिन हमारे मसानी जी और दूसरे भाई जिन साहूकारों से चन्दा लेना चाहते हैं, तो उससे जरूर असर होगा।

इसके अलावा इस ख्याल को मुखालफत करने वाले कौन साथी हैं और हमारे देश का उनके बारे में क्या तजुर्बा है। कौन नहीं जानता कि इस देश के अन्दर जैसे कि मेरे भाई श्री अशोक मेहता ने कहा कि उनको पता लगा है कि २करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को चन्दा मिला और जिसको कि शास्त्री जी ने स्वीकार नही किया और कहा है कि उनका यह आरोप झूठ है,सब जानते हैं कि पिछले दो इलेक्शन में अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में किसी को पता या तजुर्बा था तो वह शास्त्री जी को था क्यों कि उन के ऊपर कांग्रेस ने यह सारा एलेक न का कार्य डाला हुआ थ। मैं कह सकता हूं कि जितना शास्त्री जी को एक एक पैसे और एक एक रुपये की बाबत पता था उतना मेरे साथी श्री अशोक मेहता क पता नहीं था क्यों कि दोनों चुनाओं के समय श्री लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस ने चुनाव कार्य करने के वास्ते जिम्मेदार ठहराया था और उनके कंधों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाओं में जिताने की जिम्मेदारी डाली गई थी और इस नाते जितना उनको पता हो सकता है उतना किसी दूसरे को पता नहीं हो सकता। आज देश के अन्दर कौन नहीं जानता कि जिस तरीके से उन्होने कहा है कि कुछ भाइयों ने एक ऐसी हवा चलाई है मुझे मालूम नहीं यह सही है या गलत है लेकिन आज इस देश के अन्दर और इस सदन के अन्दर कुछ सदस्य ऐसा ख्याल करते हैं कि चाहे वे ईस्टर्न कंट्रीज से ताल्लुक रखते हों या वेस्ट्रर्न कंट्रीज की आइडियौलिजी से ताल्लुक रखते हों वे भी पैसा देकर देश के एलेक्शंस के अन्दर असर अंदाज होना चाहते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): उनको रोकते क्यों नहीं हैं?

चौ० रणवीर सिंह : अगर ब्रजराज सिंह जी इस बारे में कोशिश करें कि उनको रोक दें, तो हमें क्या ऐतराज है ? सरकार उनके साथ है । लेकिन हम जानते हैं कि देश, समाज और इन्सान का यह तरीका है कि जब तक इन्सान खुद अपने ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगाता है, कानून कहां तक पाबन्दी लगाने में कामयाब होता है । हम तो यह चाहते हैं और सरकार इस बात की कोशिश करती है कि इस देश में चुनाओं में यहां के लोगों के विचारों का ही असर हो, दूसरा कोई असर न हो । श्री अशोक मेहता ने जो दो कर ड़ रुपये की कहानी चलाई है, क्या वह क ई नई बात है ? यह क ई नई बात नहीं है ? हिन्दुस्तान में जितनी दफा जनरल इलेक्शन हुये, हर बार किसी न किसी भाई ने कभी श्री अशोक मेहता और आचार्य कृपलानी हमारे साथ होंगे और कभी मुखालिफ होंगे —इस तरह की कहानियां चलाई कि कांग्रेस के पास बिड़ला या टाटा से दो करोड़ रुपये आये हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और इस बात का सुबूत पिछले दो इलैक्शन्ज़ का नतीजा है । इन आवाजों से वह नतीजा बदल नहीं सकता है । एक भाई क्या कहता है, वह कितना सही कहता है, लोग इसको तौलते हैं और यही शास्त्री जी चाहते हैं । शास्त्री जी ने तो ईमानदारी से यह बात कही है कि अगर कोई भाई कांग्रेस पार्टी को चन्दा देना चाहते हैं, चाहे वह प्राइवेट कम्पनी हों, या पब्लिक कम्पनी, उसका खाता लोगों के सामने आये ।

मेरे भाई त्यागी जी को क्यों घबराहट है ? अगर कोई अमेडमेंट होनी चाहिये, तो यह कि किसी इंडिविजुएल को रुपया न दिया जा सके, पार्टी को बेशक दिया जाये, क्यों कि रुपया व्यक्ति को करप्ट करता है, पार्टी को करप्ट नहीं करता है । यह हिन्दुस्तान का तजुर्बा है । इस सिलसिले में जो खदशा जाहिर किया गया है, ज अपील की गई है वह बहुत अच्छी लगती है । इस से मेरे जैसे आदमी के दिल में, जो एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ और बारह-तेरह साल से इस सदन का मेम्बर हो—त्यागी जी भी मेरे जैसे ही हैं—जो भाव आता है, उसमें वह बह जाता है, क्यों कि हम समझते हैं कि गरीब आदमी तभी यहां आ सकता है, अगर साहूकार के रुपये का असर चुनाव पर न हो ।

श्री त्यागी : जब तक यह बात नाज़ायज़ थी, उस वक्त तक यह कार्यवाही की गयी थी कि चीनी बनाने वाले को फी मन कांग्रेस को इतना देना चाहिये और कपड़ा बनाने वाले को फ़ी गज़ इतना देना चाहिये । मुझे डर इस बात का है कि अगर यह जायज़ करार दे दिया गया और इस तरह की लैवी ली जाने लगी, तो हम बदनाम हो जायेंगे ।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे मालूम नहीं कि त्यागी जी को कल से और आज भी इस बात का बड़ा शौक क्यों है कि इन ख्यालात का इस देश में ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो । मैं बताना नहीं चाहता कि इस में, सियासत में रिज़र्वेशन जिसे कहते हैं, वह कारण है । मैं उस कारण में इस वक्त जाना नहीं चाहता हूं ।

श्री त्यागी : मुझे अफसोस है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं चार बरस से बराबर कांग्रेस हाई कमांड से इस बात का एतराज कर रहा हूं और इस लिये मैं कनसिस्टेंटली इस बात पर कायम हूं । यह कोई नई चीज़ नहीं है, जो कि मैं पंजाबी सूबे या किसी दूसरे सूबे की वजह से कह रहा हूं ।

चौ० रणवीर सिंह : पंजाबी सूबे का यहां कोई जिक्र नहीं है । शायद त्यागी जी के कुछ दोस्त पंजाबी सूबा चाहते होंगे । वह न उनको खुश करने का कोई और समय ले सकते हैं । मेरे समय में वह क्यों पंजाबी सूबे वालों को खुश करना चाहते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

मैं क्यों इस के हक़ में हूं ? जिस तरह से त्यागी जी एक गरीब किसान के घर में पैदा हुये, उसी तरह मैं भी पैदा हुआ । मुझे भी डर है । मैं चाहता हूं कि इस देश में जितने भी सदस्य चुन कर आते हैं,

[चौ० रणवीर सिंह]

चाहे स्टेट लैजिस्लेचर में, चाहे सैंटर लैजिस्लेचर में, उनमें कोई भी साहूकार न हो, साहूकार का एजेन्ट न हो, कोई राजा न हो, राजा का एजेंट न हो।

श्री ब्रजराज सिंह : लेकिन दरवाजा तो खुला है।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे मालूम नहीं है कि ब्रजराज सिंह जी के इधर दर्शन कैसे हुये हैं। उन्होंने क्या किया, यह तो वह खुद बता सकेंगे।

मुझे इस बात का डर है कि जो इस वक्त रखा हुआ है, अगर इस को हटा दिया जाये और कार्पोरेट बौडीज़ को पोलीटिकल पार्टीज़ को चन्दा देने की इजाज़त न हो, तो नतीजा यह होगा कि इस देश में चुनाव लड़ सकते हैं सोमानी जी, बिड़ला और टाटा के रिश्तेदार, राजा और नवाब और उन के अजीज़—इस देश में ग़रीब किसान का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि हम ने ग़रीब किसान के बेटे को राजतंत्र में जो पूरा अधिकार दिया है, वह उस को इफैक्टिवली इस्तेमाल कर सके। मुझे भी एक छोटे से सूबे में कांग्रेस पार्टी का जेनरल सैक्रेटरी होने के नाते कुछ तजर्बा है कि जो कुछ भाई बड़े जोश में हैं कि कोई कम्पनी चन्दा न दे, वे इलैक्शन के वक्त कितने उत्सुक होते हैं कि उन के चुनाव में उन की मदद के लिए पार्टी कुछ पैसा दे। मैं जानता हूं। मैं भी उत्सुक था। मैं ने पार्टी से चन्दा लिया और मुझे मिला, लेकिन उस का मेरे दिमाग़ पर रत्ती पर भी असर नहीं है। कल मैं मज़ाक करता था कि मुझे कम्पनी बिल वह चाहिए जिस के मुताबिक इस देश में कोई कम्पनी न रहे, क्योंकि हम समाजवाद चाहते हैं। जो रुपया किसी कम्पनी से आया होगा, उस का रत्ती भर भी असर मेरे दिमाग़ पर नहीं हुआ और न होगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो मेरा विश्वास है और जो मुझे तजुर्बा है, वह शास्त्री जी को भी होगा। मैं समझता हूं कि आचार्य कृपालानी के वक्त कार्पोरेट बौडीज़ का जो चन्दा आता था, अगर वह कांग्रेस को करप्ट नहीं कर सका, तो १९६२ में जो चन्दा आयेगा, वह भी उस को करप्ट नहीं कर सकेगा।

कई दोस्तों ने कहा कि कानूनी तौर पर सरकारी कार्पोरेशन पर पाबन्दी क्यों न लगाई जाये। आचार्य जी ने कहा कि आगे दूसरी पार्टी आई, तो क्या बनेगा। दूसरी पार्टी आई और हम ने पाबन्दी लगा दी, तो वह उस को हटा सकती है, क्योंकि वह तभी आयगी, जब कि उस को मैजारिटी होगी और मैजारिटी से कानून चार दिनों में बदला जा सकता है। मेरे उस कानून में रखने से क्या फ़ायदा है? अगर किसी को गिला है, तो वह साबित करे। उन्होंने कहा कि इश्तहार दिये गये और त्यागी जी ने बड़े जोश के साथ उन की ताईद की। क्या वह यह नहीं चाहते कि सरकारी कम्पनीज़ का माल बिके और दूसरों के मुकाबले में उन का माल बाज़ार में बिक सके? अगर दूसरी कम्पनीज़ को प्रचार करने की इजाज़त है, तो सरकारी कम्पनीज़ को क्यों न हो? क्या त्यागी जी चाहते हैं कि सरकारी कम्पनीज़ का सामान देश में न बिक सके और साहूकारों की प्राईवेट कम्पनियां जो सामान पैदा करती हैं, वही बाज़ार में बिक सके? क्या उन का यह ध्येय है? अगर उन का यह ध्येय नहीं है, तो उन का एतराज़ सही नहीं है।

श्री त्यागी : बीस हज़ार रुपये में एक सफ़हे का एडवरटाइज़मेंट दिया गया।

चौ० रणवीर सिंह : मेरे साथी को मौका मिला। उस वक्त वह अपनी बात कह सकते थे। वह बहुत मज़बूत सदस्य हैं, लेकिन मैं भी उन के बिल्कुल करीब बैठा हूं। वह यकीन रखें कि जब तक

आप मुझे मौका देंगे, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, उस वक्त तक त्यागी जी चाहे दुगनी आवाज से भी चिल्लाना चाहें, तो भी मैं दूसरे का विचार नहीं आने दूंगा । उन्हें वक्त मिला है और मुझे भी वक्त मिला है । मुझे भी हक है । मैं भी उन के बराबर का मेम्बर हूं । मैं अपनी मेम्बरी को उन से इन्फ़ीरियर नहीं होने दूंगा । जो भाई ज़ोर से न बोल सके, जो खाता हो वनस्पति घी, वह शायद कम हो सकता है । मुझे तो भगवान की दया से मौका मिला अच्छा घी और दूध पीने का । मैं उन के मुकाबले में उन से पिछड़ नहीं सकता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय मंत्री ने समवायों द्वारा राजनैतिक संस्थाओं को दिये जाने वाले अंशदानों के बारे में बताया है कि यदि इन अंशदानों के देने की सूचना का प्रचुर प्रचार हो जाये तो अंशदान देने में कोई हानि नहीं है । मैंने इसी उद्देश्य को सामने रख कर यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसकी सूचना समाचारपत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए ।

श्री अशोक मेहता का भी यही विचार है कि मार्च १९६२ में आगामी चुनाव होने से पूर्व जनता को पता लग जाये कि समवायों द्वारा किन राजनैतिक दलों को अंशदान मिले हैं ।

श्री अशोक मेहता ने एक बड़ा ही सुन्दर सुझाव दिया है जिस का मैं समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा है कि सभी राजनैतिक दलों के संतुलन पत्र, व्यय के विवरण जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाने चाहिए । मैं तो समझता हूं कि इसको संविहित दायित्व बना दिया जाना चाहिए ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : सभापति महोदय इस के बारे में मेरे विचार सभा को अच्छी तरह ज्ञात हैं । दो वर्ष पूर्व मैंने समवाय विधि की धारा २९३ के संशोधन के बारे में गैर-सरकारी सदस्य का एक विधेयक प्रस्तुत किया था । परन्तु तब सभा में सदस्यों द्वारा उद्धृत विचारों से मैंने इस धारा का विरोध करना छोड़ दिया था । आज मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी पहले कही गई बातों को स्पष्ट करूं ।

इसके बारे में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री तेन्दुल्कर ने कहा था कि समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये गये अनुदानों के कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति राजनैतिक दलों को अंशदान कर सकता है तब समवायों को क्यों रोका जाये । केवल उस पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखा जाये । अर्थात् अंशदान की अधिकतम राशि नियत कर दी जानी चाहिए ।

१९५६ के अधिनियम में हम ने यह व्यवस्था की और अधिकतम सीमा ५००० रुपये या लाभ का ५ प्रतिशत रख दी थी । परन्तु अब माननीय मंत्री ने उस सीमा को २५००० रुपये या गत तीन वर्षों में लाभ का ५ प्रतिशत कर दिया है । मैं समझता हूं कि इस सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल को अपना धन दे सकता है और कोई उसे ऐसा करने से नहीं रोका सकता । यदि हम सचमुच यह चाहते हैं कि राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले पैसे के भ्रष्टाचार को रोकें तो हमें इस सम्बन्ध में कुछ दण्ड का उपबन्ध भी अवश्य करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मह ती]

सब से अजीब बात मुझे यह लगी कि कोई भी व्यक्ति इस खण्ड के अधीन किसी सरकारी नीति का समर्थक होने के कारण उस नीति के प्रतिपादन के लिए दान दे सकता है। इस प्रकार किसी भी नीति के समर्थन के लिए सत्तारूढ़ दल को अंशदान दिया जा सकता है।

इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को श्री नौशीर भरूचा का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए और ५००० रुपये की राशि को बढ़ा कर २५००० रुपये करने वाले सरकारी संशोधन को सभा द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन बड़ा सीधा सा है। इसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किसी राजनैतिक दल को दिये जाने वाले अंशदान की अधिकतम राशि २५,००० रुपये रखी जा रही है।

आज सभा में जो चर्चा का रुख रहा है वह बड़ा अजीब सा है। क्योंकि माननीय सदस्य यह नहीं समझे हैं कि केवल कांग्रेस दल यह निर्णय नहीं कर रहा है कि उसे किन कार्यों के लिये अंशदान लेने हैं। मैं समझता हूं कि समवाय अधिनियम में जो यह उपबन्ध किया जा रहा है वह बहुत ही अच्छा है।

मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस दल ने १९५७ में ही निर्णय किया था कि वह चुनाव के लिए अंशदान नहीं लेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह निर्णय किया था कि केवल १ रुपये तथा ५ रुपये के अंशदान रसीद दे कर लिये जायेंगे। अतः उस पर आक्षेप करना ठीक नहीं है। संभव है किसी एक स्थान पर किसी समवाय से अंशदान ले लिया गया हो परन्तु कांग्रेस समिति ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया था। मैं समझता हूं कि यहां पर जो चर्चा हुई है वह एकदम बेकार हुई है।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : यह संशोधन तो पहले अधिनियम की धारा में सुधार के रूप में ही है। इस में कोई शक नहीं है कि समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा देने की परिपाटी एक पक्की परिपाटी बन चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या यह परिपाटी अच्छी है या नहीं, क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिये अथवा नहीं। कुछ मित्रों ने कहा है कि जब व्यक्ति चंदा दे सकते हैं तो फिर समवाय क्यों नहीं दे सकते। लेकिन मेरा निवेदन है कि व्यक्तियों द्वारा तथा निगमित निकायों द्वारा दिये जाने वाले चंदों में भेद माना जाना चाहिये। एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है वह क्या धर्म मानता है अथवा क्या नहीं, इसके बारे में उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसे चंदा देता है अथवा किसे नहीं। लेकिन दूसरी ओर समवाय बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके विभिन्न राजनैतिक विचार होते हैं। समवाय के पास तो जनता का धन होता है और वह तो एक प्रकार से न्यासधारी है। उस धन का उपयोग तो समवाय एवं उसके अंशधारियों के अच्छे हित के लिये किया जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि निगमित निकायों के सामने हिताहित की वह भावना नहीं होती जो व्यक्ति में होती है।

समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा देने के फलस्वरूप ऐसे किसी अंशधारी के साथ अन्याय हो सकता है, जो उस दल की नीतियों में विश्वास न करता हो, जिसे चंदा दिया जाता है, ऐसा करना गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि २९ नवम्बर, १९६० को जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था, और जो संशोधन सूची संख्या १७ में १२६वां है, उसके स्थान पर निम्न रखा जाये :—

मैंने एक स्थानापन्न संशोधन रखा है। इसका भाव तो वही है जो पहले का था केवल इसका प्रारूप अच्छा कर दिया गया है।"

अब मैं अपने संशोधन संख्या १२७ और १२८ प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ ५३, पंक्ति ४ से १८ हटा दी जायें।"

पृष्ठ ५३ पंक्ति १८ के पश्चात् यह रख दिया जाये :—

'98A. *Insertion of new sections 293A.*—After section 293 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

"293A. *Restrictions on the power to make political contributions.*—(1) Notwithstanding anything contained in section 293, neither a company in general meeting nor its Board of directors shall, after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960, contribute--

(a) to any political party, or

(b) for any political purpose to any individual or body,

any amount or amounts which or the aggregate of which will, in any financial year, exceed twenty-five thousand rupees or five per cent. of its average net profits as determined in accordance with the provisions of sections 349 and 350 during the three financial years immediately preceding, whichever is greater.

Explanation.—Where a portion of a financial year of the company falls before the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960, and a portion falls after such commencement, the latter portion shall be deemed to be a financial year within the meaning and for the purposes, of this sub-section.

(2) Every company shall disclose in its profit and loss account any amount or amounts contributed by it under sub-section (1) to any political party or for any political purpose to any individual or body during the financial year to which that account relates, giving particulars of the total amount contributed and the name of the party, individual or body to which or to whom such amount has been contributed.

(3) If a company makes default in complying with the provisions of sub-section (2), the company, and every officer of the company who is in default, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees." '

[**'९८क. नई धारा २९३क का रखा जाना.**—मुख्य अधिनियम की धारा २९३ के पश्चात् निम्न धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"२९३क. **राजनैतिक चंदे देने के अधिकार पर प्रतिबन्ध**—(१) धारा २९३ में अन्य किसी बात के होते हुए भी समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० के लागू होने के बाद, कोई समवाय न अपनी साधारण बैठक में और न उसका निदेशक मंडल :—

(क) किसी राजनैतिक दल को अथवा

(ख) राजनैतिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अथवा किसी निकाय को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

ऐसी कोई धन राशि या धन राशियां दे सकेगा जो, या जिन सब का कुल योग किसी वित्तीय कार्य में २५ हजार रुपये से या उस औसत शुद्ध लाभ के ५ प्रतिशत भाग से अधिक होगा जो ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के लाभ के आधार पर धारा ३४९ तथा ३५० के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो ।

व्याख्या : यदि किसी समवाय के वित्तीय वर्ष की कुछ अवधि समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० के लागू होने के पहले आती है और कुछ अवधि उस के लागू होने के बाद, तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिये वह पिछली अवधि वित्तीय वर्ष के अर्थ में मानी जायेगी ।

(२) प्रत्येक समवाय अपने लाभ-हानि लेखा में उप-धारा (१) के अधीन किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को उस वित्तीय वर्ष में, जिस का लाभ-हानि लेखा है, दी गई राशि का उल्लेख करेगा, साथ ही राशि की कुल मात्रा, दल का नाम, व्यक्ति अथवा निकाय का नाम जिस को यह धन दिया गया है, भी प्रकट करेगा ।

(३) यदि कोई समवाय उपधारा (२) के उपबन्धों की अवहेलना करता है वह समवाय, और उस समवाय का प्रत्येक पदाधिकारी जो दोषी है, अर्थ दंड का भागी होगा जिस की राशि पांच हजार रुपये तक हो सकती है ।"]

†**श्री मी० रु० मसानी** : अगर इसे और स्पष्ट न किया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि चंदा देने की यह अधिकतम सीमा राजनैतिक और धर्मार्थ संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगी ।

†**श्री कानूनगो** : धर्मार्थ प्रयोजन के लिये अंशधारियों की साधारण बैठक में यह सीमा ५ प्रतिशत से अधिक बढ़ाई जा सकती है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : व्यक्तियों को इस से अलग क्यों कर दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : व्यक्ति भी इस में सम्मिलित हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि यह संशोधन असार्वजनिक समवायों पर किस प्रकार लागू होगा ? क्या यह संशोधन संविहित समवायों, सरकारी समवायों पर भी लागू होगा ? मैं इस बारे में सरकार की राय जानना चाहता हूं । क्या इस में कोई और व्याख्या जोड़ी जायेगी ।

†**श्री कानूनगो** : संशोधन में "प्रत्येक समवाय" शब्द हैं जिस के अन्तर्गत प्रत्येक समवाय, असार्वजनिक, लोक समवाय अथवा अन्य समवाय सभी आ जाते हैं । किसी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । सभी असार्वजनकि समवाय चाहे वे सहाय अथवा नहीं इस में सम्मिलित हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि श्री नित्यानन्द जी ने स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया है । असार्वजनिक समवाय भी इस उपबन्ध के अन्तर्गत आ जाते हैं । धर्मार्थ एवं कल्याणकारी संस्थाओं के लिये साधारण बैठक कितनी भी राशि दे सकती है । लेकिन राजनैतिक दलों के लिये साधारण निकाय खंड (ङ) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं दे सकती । सामान्य स्थिति तो यह है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेद है कि खंड ९८ की चर्चा करते करते सभा ने दूसरे मुख्य खंडों को भुला ही दिया है। और वास्तव में देखा जाये तो विधेयक के मुख्य उद्देश्य को ही भुला दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि समवायों पर रोक लगाई जाये ताकि समवायों का प्रबन्ध ठीक हो, समवायों के वर्तमान प्रबन्ध में उन्नति हो, दूसरे यदि वे निर्धारित विधि अथवा नियम और विनियमनों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाये तीसरे हम यह नहीं चाहते हैं कि सारी सम्पत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में रहे। यही कारण है कि अन्तर्समवाय विनियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, और एक मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा बहुत से समवायों के प्रबन्ध करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस विधि के अनुसार एक मैनेजिंग एजेन्ट एक साथ दस से अधिक समवायों का प्रबन्ध नहीं कर सकता। इस समय तो मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य को बिल्कुल ही भुला दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक बड़े उद्योगपतियों को पसन्द नहीं है और वे ही इस की कटु आलोचना कर रहे हैं।

खंड ९८ एक अवरोधक खंड है। १९५६ के अधिनियम से पूर्व कोई सीमा नहीं थी। १९५६ के अधिनियम में सीमा की व्यवस्था की गई थी।

हम इस विधेयक में चन्दा देने की सीमा बढ़ा नहीं रहे हैं। यह सीमा उतनी ही है जितनी कि १९५६ के अधिनियम में निर्धारित की गई थी। इस खंड के द्वारा तो हम ने केवल एक पग ही आगे बढ़ाया है। और वह पग यह है कि उस राशि को प्रकट किया जाना चाहिये। असार्वजनिक समवाय भी अब इस खंड के अन्तर्गत आते हैं। इस में यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी लोक समवाय अथवा संविहित समवाय कोई चंदा नहीं देगा। माननीय सदस्यों को मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता हुई तो हम विभिन्न निगमों की संस्थाओं के अन्तर्नियम और ज्ञापनों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई लोक समवाय भविष्य में अपने अन्तर्नियमों में तथा ज्ञापन में परिवर्तन करना चाहेगा तो उसे न्यायालय में जाना पड़ेगा अथवा सभा के सामने यह बात रखनी होगी। मैं नहीं समझता कि सभा का विश्वास प्राप्त किये बिना किसी भी सरकार के लिये यह परिवर्तन करना आसान काम होगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि चन्दा देने की अधिकतम सीमा अब निश्चित कर दी गई है। अब तक यह सीमा निश्चित नहीं थी और अंशधारी और साधारण बैठक राजनैतिक दलों अथवा ऐसे ही प्रयोजनों के लिये कितना भी चन्दा दे सकती थी। लेकिन अब हम ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

नैतिकता का प्रश्न तो हर बात में होता है। पर समवायों द्वारा चंदा दिये जाने का प्रश्न ऐसा है, जिस में नैतिकता के सिद्धान्तों की बात नहीं उठाई जानी चाहिये।

यह आरोप उचित नहीं है कि समवायों को शासक दल का भय है। मैं ने देखा कि साम्यवादी दल के प्रमुख सदस्यों ने भी उद्योगपतियों के यहां जा कर भाषण दिये हैं उन ५० व्यापारिक फर्मों के संतुलन पत्र, जिन के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कांग्रेस को चन्दा दिया है, सार्वजनिक दस्तावेज है, और कोई भी व्यक्ति उन का मुआइना कर सकता है। श्री अशोक मेहता का यह कहना गलत है कि चूंकि किसी समवाय ने शासक दल की निधि में चंदा दिया है, इसलिये मशीनों तथा अन्य चीजों की अनुज्ञप्तियां आदि के मामलों में उस ने लाभ उठाया है। यदि श्री मेहता कुछ दर्जन ऐसे समवायों के नाम बता दें जिनके साथ सरकार ने अच्छा व्यवहार किया है तो इस के साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि सरकार की नीति ऐसे उपक्रमों को जो नये उद्योग शुरू करते हैं, सहायता देने की रही है। पिछले दो वर्षों में हम नय उद्योगपतियों, छोटे उद्योगपतियों और मझले उद्योगपतियों की

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सहायता कर रहे हैं ताकि वे उद्योगों की स्थापना करें। सरकार ने उन को धन दिया है, घटी हुई दरें पर ऋण दिया है, मशीनें आदि दी हैं। सरकार ने यह इसलिये किया है कि विकेन्द्रीकरण हो और एकाधिकार कम हो। इसलिये मैं कह सकता हूं कि किसी भी दल विशेष ने अपनी स्थिति, अथवा अपनी शक्ति, अथवा अपने साधनों का लाभ नहीं उठाया है।

आचार्य कृपालानी ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं कांग्रेस को पूंजीपतियों से सहानुभूति रखने वाला बना रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन का ऐसा कहना गलत है और यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पूंजीपतियों की समर्थक नहीं है। कांग्रेस ने जो नीति एवं उद्देश्य देश के सामने रखे हैं उन की आलोचना नहीं की जा सकती। यह बात दूसरी है कि कांग्रेस में कुछ व्यक्ति विशेष बुरे हों।

सभी राजनैतिक दल चन्दा लेते हैं और चन्दा विभिन्न प्रयोजनों के लिये इकट्ठा करते हैं। अतः किसी एक दल द्वारा दूसरे दल की इस के लिये आलोचना करना अच्छी बात नहीं है। हम सभी दल एक नाव में हैं। श्री मुकर्जी ने कहा है कि हमारे दल का समम्पर्क जनता के साथ उतना नहीं है जितना कि होना चाहिये। ठीक हो सकता है क्योंकि कांग्रेस दल का अधिक समय संसदीय और सरकारी काम काज में लगता है। लेकिन फिर भी केन्द्र तथा अधिकांश राज्यों में कांग्रेस दल का शासन है। चुनावों में, उपचुनावों में हमारे दल को ही अधिक मत मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारा सम्पर्क जनता के साथ बना हुआ है। मैं ने शुरू में कभी भी यह आश्वासन नहीं दिया था कि वर्तमान उपबन्ध में कुछ महान् परिवर्तन करूंगा। मैंने तो केवल यही कहा था कि अब मेरे पास समय की कमी है अतः जो कुछ कहूंगा वह विधेयक पर खंडवार चर्चा करने के समय ही कहूंगा।

इस से अधिक और कुछ मुझे नहीं कहना है। अब मैं यह मामला सभा पर छोड़ता हूं। जैसे चाहे वैसे इसे वह तै करे।

†**सभापति महोदय** : कुछ संशोधन है।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या १ और १४ जो एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ मतदान के लिये रखे जायें।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन संख्या ७० मतदान के लिये अलग से रखा जाये।

†**श्री तंगामणि** : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ४३ और ४३ मतदान के लिये रखे जायें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और १४ मतदान के लिये रखे गये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ४५; विपक्ष में १२२।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नौशीर भरूचा : मैं अपने संशोधन संख्या ७० पर आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सख्या ७०, मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ४७; विपक्ष में १३२ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४२, ४३, ६९, ७८ और ७९ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या १२७ और १२८ को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ५३,—

पंक्ति ४ से १८ हटा दी जायें

"पृष्ठ ५३,—

पंक्ति १८ के पश्चात् यह रख दिया जाये, —

"98A Insertion of new section 293A. — After section 293 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

293A. Restriction on the power to make political contributions.—(1) Notwithstanding anything contained in section 293, neither a company in general meeting nor its Board of Directors shall, after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960, contribute—

(a) to any political party, or

(b) for any political purpose to any individual or body,

any amount or amounts which or the aggregate of which will, in any financial year, exceed twenty-five thousand rupees or five per cent of its average net profits as determined in accordance with the provisions of sections 349 and 350 during the three financial years immediately preceding, which is greater.

Explanation.— Where a portion of a financial year of the company falls before the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960, and a portion falls after such commencement, the latter portion shall be deemed to be a financial year within the meaning, and for the purposes of this sub-section.

(2) Every company shall disclose in its profit and loss account any amount or amounts contributed by it under sub-section (1) to any political party or for any political purpose to any individual or body during the financial year to which that account relates, giving particulars of the total amount contributed and the name of the party, individual or body to which or to whom such amount has been contributed.

(3) If a company makes default in complying with the provisions of sub-section (2), the company, and every officer of the company who is in default, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees."

["९८क नई धारा २९३ क का रखा जाना—मुख्य अधिनियम की धारा २९३ के पश्चात् निम्न धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"२९३क. **राजनैतिक चन्दे देने के अधिकार पर प्रतिबन्ध**—(१) धारा २९३ में अन्य किसी बात के होते हुए भी समवाय (संशोधन) अधिनियम १९६० के लाग

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

होने के बाद, कोई समवाय न अपनी साधारण बैठक में और न उस का निदेशक मंडल :—

(क) किसी राजनैतिक दल को अथवा

(ख) राजनैतिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अथवा किसी निकाय को

ऐसी कोई धन राशि या धन राशियां दे सकेगा, जो या जिन सब का कुल योग किसी वित्तीय कार्य में २५ हजार रुपये से या उस औसत शुद्ध लाभ के ५ प्रतिशत भाग से अधिक होगा जो ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के लाभ के आधार पर धारा ३४९ तथा ३५० के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो ।

व्याख्या : यदि किसी समवाय के वित्तीय वर्ष की कुछ अवधि समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० के लागू होने के पहले आती है और कुछ अवधि उस के लागू होने के बाद, तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिये वह पिछली अवधि वित्तीय वर्ष के अर्थ में मानी जायेगी ।

(२) प्रत्येक समवाय अपने लाभ-हानि लेखा में उप-धारा (१) के अधिक किसी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को उस वित्तीय वर्ष में, जिस का कि लाभ-हानि लेखा है, दी गई राशि का उल्लेख करेगा, साथ ही राशि की कुल मात्रा, दल का नाम, व्यक्ति अथवा निकाय का नाम जिस को यह धन दिया गया है, भी प्रकट करेगा ।

(३) यदि कोई समवाय उपधारा (२) के उपबन्धों की अवहेलना करता है तो वह समवाय, और उस समवाय का प्रत्येक पदाधिकारी जो दोषी है, अर्थ दंड का भागी होगा जिस की राशि पांच हजार रुपये तक हो सकती है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री महोदय को सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या १२६ वापस लेना है ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड ९८ क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इस प्रस्ताव पर चर्चा कल होगी । अब हम अगला विषय लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : श्रीमान्, यह मामला पाकिस्तान के साथ हमारे वैदेशिक संबंधों से संबंध रखता है, तथा प्रधान मंत्री के अधिकार-क्षेत्र में आता है, अतः यह उचित होता यदि प्रधान मंत्री यहां उपस्थित रहते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मामला संयुक्त दायित्व का है, कोई भी मंत्री यहां उपस्थित रह सकता है ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : प्रधान मंत्री भी सभा में इस विषय पर बोलेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह (फ़िरोज़पुर) : जनाब स्पीकर साहब, जिस एग्रीमेंट पर १९ नवम्बर, १९६० को कराची में दस्तखत हुए, सब से बड़ा एग्रीमेंट या ट्रीटी है, जो आज तक हिन्दुस्तान की तरफ़ से, या दुनिया के किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के साथ किया, जिस का असर करोड़हा लोगों पर पड़ता है । यह एक हिस्टारिकल एग्रीमेंट या ट्रीटी कहा जा सकता है । बैकग्राउंड में कितने दिनों की मेहनत के बाद यह मुआहिदा सामने आया है । लेकिन सवाल यह है कि हिन्दुस्तान ने इस मुआहिदा में अपने लोगों के लिए क्या हासिल किया, ख.स तौर पर उन लोगों के लिए, जिन में आधे से ज्यादा वे लोग हैं, जो पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे और इधर आ कर बस गए थे । उन लोगों के लिए यह मुआहिदा एक ख स असर रखता है, क्योंकि इस पर उन की ज़िन्दगी और मुस्तकबल और उन की ख्वाहिशों का बनना और बिगड़ना मुनहस्सर है ।

जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, उस के आफ़िसर्ज़ और गवर्नमेंट की तरफ़ से लाइन्तहा कोशिश की गई कि किसी तरह से पाकिस्तान को एक ऐसे मुआहिदे के साथ वाबस्ता किया जाये कि हिंदुस्तान के लोगों का मुस्तकबल हमेशा के लिए महफूज़ हो सके । इस लिहाज़ से मैं इस ट्रीटी को मैं तकन करता हूं और खुशआमदीद कहता हूं कि आखिर दोनों मुल्कों का जो एक झगड़ा था, जो एक खलिश थी, जो गड़बड़ थी, वह खत्म हो गई और एक मुआहिदे की शक्ल में उस का अन्त हो गया । लेकिन जब मैं मुआहिदे को देखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान की पोज़ीशन इस मुआहिदे के सिलसिले में जितनी महफ़ूज़ थी, शायद आने वाले सालों में किसी मुआहिदे में उतनी मज़बूत न हो । इस के बाद हिन्दुस्तान की अपीज़मेंट की पालिसी की वजह से, पाकिस्तान को खुश करने की पालिसी की वजह से हिन्दुस्तान की पोज़ीशन आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई और अब इस मुआहिदे से जो एक किस्म का धक्का हिन्दुस्तान के लोगों को लगा है, शायद किसी और मुआहिदे से नहीं हो सकता है । हिन्दुस्तान की पोज़ीशन सब से ज्यादा उस मुआहिदे पर मुनहस्सर थी, जो ४ मई, १९४८ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के दरमियान हुआ, जिस पर हिन्दुस्तान की तरफ़ से हमारे प्राइम मिस्टर और पाकिस्तान की तरफ़ से उस वक्त के गवर्नर-जनरल श्री गुलाम मुहम्मद, ने दस्तखत किए और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के मिनिस्टर्ज़ ने दस्तखत किए । १९४८ में पाकिस्तान ने यह पोज़ीशन ली थी कि हिन्दुस्तान को यह हक है कि वह अपने लोगों की बेहतरी के लिए, ईस्ट पंजाब और बाकी जगहों में रहने वालों की बेहतरी के लिए उन नहरों को आहिस्ता आहिस्ता बन्द कर सकता है, जो पाकिस्तान में जाती हैं । लेकिन आज १३, १४ सालों के बाद न सिर्फ वह नहरें बन्द हुई बल्कि अभी १० या १२ साल तक वह नहरें चलेंगी, और इसका असर हिन्दुस्तान के लोगों पर क्या होगा, यह मैं आज नहीं कह

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार इकबाल सिंह]

सकता । लेकिन जो आदमी वहां रहते हैं, जिन आदमियों को वहां खेती करनी है, उन को अभी से उस का असर महसूस होने लगा है । इस लिये मेरी यह ख्वाहिश जरूर है, चाहे उसे पंजाब की तरफ से समझा जाय, चाहे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से समझा जाय या पंजाब के बाकी जगहों की तरफ से, जिन को इस साल रबी की काश्त के लिये कम पानी मिला है, समझा जाय, इस पार्लियामेंट में उस की चर्चा जरूर होनी चाहिये । अभी यह मुआहदा लागू हुआ है, अभी शायद कमिश्नर्ज ही ऐपाइंट हुए हैं, लेकिन इस मुआहदे का असर लोगों पर होना शुरू हो गया है । सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४८ के बाद जो वर्किंग ग्रुप बना और हिन्दुस्तान ने जो उस वक्त अपनी पोजीशन ली, वह एक बेहतरीन पोजीशन थी कि सारे इंडस बेसिन को एक मान कर, उस की बेहतरी के लिये, उस के तमाम पानी को तकसीम किया जाना चाहिये । उस के बाद वर्ल्ड बैंक आया, उस ने अपने प्रोजल्स दिये । मेरी यह ख्वाहिश है कि उसके बाद जितने कागजात वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट आफ इंडिया के दर्म्यान तब्दील हुए हैं, जो भी दोनों के बीच करेस्पांडेंस हुई है, जो पोजीशन हिन्दुस्तान ने ली है और जो पोजीशन पाकिस्तान ने ली है, उन तमाम चीजों को पब्लिश किया जाय ताकि हिन्दुस्तान के लोगों के सामने वह चीज आ सके, हिन्दुस्तान की अवाम को पता लग सके, कि हिन्दुस्तान ने उन की बेहतरी के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं । अब चूंकि मुआहिदा हो चुका है इस लिये मैं समझता हूं कि करेस्पांडेंस को पब्लिश करने में कोई नुक्सान नहीं है क्योंकि उस में कोई सीक्रेट्स नहीं हैं और न वह उन क्लाजेज के बरखिलाफ ही हैं जो कि हिन्दुस्तान के ऊपर लागू किये जा सकते हैं । न ही यह इंटरनेशनल आब्लिगेशन के ही बरखिलाफ हैं । जो मुआहिदा हो चुका उस के बारे में बात चीत हो चुकी, अगर इस के बाद वह पब्लिश कर दिये जाते हैं तो वे किसी ढंग से भी हमारे बरखिलाफ नहीं जा सकते । इसलिये हिन्दुस्तान की पोजीशन को वाजेह करने के लिये, गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो प्रपोजल्स वर्ल्ड बैंक ने दिये पाकिस्तान के लोगों ने उस पर जो ऐटिट्यूड लिया, उन को पब्लिश करना चाहिये ।

उस के बाद यह मुआहिदा हुआ । जैसा आज सुबह भी कहा गया, हम यहां पर यू० के० पैटर्न से गाइड होते हैं, इस लिये जहां तक इन मुआहिदों का ताल्लुक है, जिन में करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता हो, इस किस्म के मुआहिदों को करने से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया को पार्लियामेंट की मंजूरी न सही, लेकिन उस को कम से कम अपने एतमाद में जरूर लेना चाहिये था । मैं यह नहीं कहता कि जो भी बात होती है उस में कोई तब्दीली हो जानी चाहिये, लेकिन तमाम मुल्क को कांफिडेंस में ले लेने से गवर्नमेंट की पोजीशन मजबूत होती और गवर्नमेंट का काम करने वालों की पोजीशन मजबूत होती । पर अफसोस है कि इस मुआहिदे को इस ढंग से किया गया । मुआहिदा हो चुका और तकरीबन ८३ करोड़ ० अगले दस सालों में हिन्दुस्तान को पाकिस्तान को देना होगा । यहां पर सवाल ८३ करोड़ रु० का नहीं है, सवाल यह है कि ८३ करोड़ की किस्त हमें हर साल पाकिस्तान को देनी होगी । जहां तक कीमत का सवाल है, यहां पर दो रायें हो सकती हैं, कुछ भाई कह सकते हैं कि यह ८३ करोड़ रु० बहुत ज्यादा है और कुछ भाई यह कह सकते हैं कि ८३ करोड़ की रकम बहुत कम है । लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस ढंग से हम चले उस से यह ८३ करोड़ की रकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई । अगर ८३ करोड़ में पहले फैसला हो गया होता तो शायद इतनी कीमत से कम में भी हो जाता । अगर ८३ करोड़ पर फैसला किया भी जाता लेकिन ट्रेन्जिशनल पीरियड को इनक्रीज न किया जाता तो भी शायद ८३ करोड़ ज्यादा न होता हम ने पानी दिया, हुकूक दिये, लेकिन इस मुआहिदे के बाद पोजीशन वही है जहां से हम ने शुरू किया था । जहां तक मुआहिदे के पैसे का ताल्लुक है, इस मुल्क के किसी फैसले में पैसा कोई खास मानी नहीं रखता । जो मानी रखता है वह यह कि जिस ढंग से

ट्रैन्जिशनल विधड्रल्स होंगे, जो कि ऐनेक्शर इ में दिये हुए हैं, उससे मुझे शक पड़ता है कि खास तौर पर उन इलाकों में, चाहे सरहिंद फीडर का इलाका हो चाहे गंग कैनाल का इलाका हो चाहे अपर बारी दोआब का इलाका हो उन इलाकों में जिस ढंग से पहले पानी दिया जाता था शायद अब उस ढंग से रेगुलेशन नहीं हो सकेगा । आप कमिटेड हैं इस मुआहिदे के मुताबिक कि इतना पानी हम पाकिस्तान को जरूर देंगे, चाहे आप की दरिया में पानी कम ही क्यों न आये । इस के बाद आप कमिटेड हैं कि जिस तरह से पानी इन्क्रीज होगा, उस का इतना हिस्सा आप पाकिस्तान को देंगे और इतना हिन्दुस्तान को देंगे ।

सब से बड़ी बात जो इस मुआहिदे में है वह राजस्थान कैनाल का मामला है । राजस्थान कैनाल अभी बननी शुरू हुई है । सन् १९६१ में या १९६२ में या ज्यादा से ज्यादा १९६३ में तैयार हो जायेगी । लेकिन मुझे विश्वास है कि इस मुआहिदे के मुताबिक अब राजस्थान को कोई पानी नहीं मिल सकता । इसलिये कि आइन्दा जितने भी विधड्राल्स होंगे, उनके लिये हम आलरेडी कमिटेड हैं । चाहे वह सरहिंद फीडर को जाय, चाहे गंग कैनाल को जाय, चाहे अपर बारी दोआब को जाय, लेकिन उस के बाद राजस्थान के लिये कोई पानी नहीं बचता । अगर छ : महीने बाद आप राजस्थान को पानी देंगे तो उस से काम नहीं चलेगा । राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहां आप को लोगों को बसाना है । तो जिन आदमियों के पास घर नहीं, जिन को दूसरी सहूलियात नहीं, वह छ : महीने तक वहां बैठें और छः महीने के बाद वह वहां से वापस चले आयें, यह मुमकिन नहीं हो सकता । आप राजस्थान कैनाल को पसन्द करें या नापसन्द करें, व्यास डैम के लिये कहा जाता है कि मुकम्मिल किया जायेगा जल्दी से जल्दी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान कैनाल का इलाका सन् १९६७ तक या १९७० तक आबाद नहीं किया जा सकता । इसलिये जहां तक इस मुआहिदे के इस हिस्से का ताल्लुक है, मैं ने इस को बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, जो नहरें पाकिस्तान बना चुका था मसलन् बाबनवाला वाडिया लिंक, उस में पानी जरूर कम किया गया, लेकिन जितना पानी पाकिस्तान को आज से ४ साल पहले विधड्रा करना चाहिये था, उसने उतना विधड्रा नहीं किया, इसी तरह से बल्लोकी सुलेमान से जितना पानी विधड्रा करना चाहिये था उतना विधड्रा नहीं किया । यह मामला न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाये या नहीं लेकिन जो चीजें पाकिस्तान के पास थीं, उनसे वह वाकई पानी विधड्रा करना चाहता था, ऐसी उम्मीद हमें नहीं है । पाकिस्तान को कोटरी बैराज, गुड्डु बैराज और वारसक बैराज नहीं बनाना चाहिये था । अगर उसके सामने जिन्दगी और मौत का सवाल था तो उनसे पहले उसे लिंक चैनेल्स बनानी चाहिये थीं । लेकिन पाकिस्तान जानता था कि इस चीज को जितना लम्बा किया जा सके करना चाहिये और आखिर में हिन्दुस्तान एक दिन उस पर ऐग्री करेगा । वही बात हुई । आज वह कहता है कि इन दो लिंक चैनेल्स के अलावा कोई लिंक चैनेल नहीं है । असलम लिंक चैनेल सिंध से ले कर असलम हेडवर्क्स तक अगर पानी लेना है तो वह जरा मुश्किल सवाल है । वह बहुत देर में बनेगी । इस तरह से अगर पाकिस्तान ईमानदारी से चलता तो शायद इतनी दिक्कत न होती । बड़े अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में एक पोजीशन ली जाती है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से, इरिगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर की तरफ से कि १९६२ के बाद हिन्दुस्तान कोई पानी पाकिस्तान को नहीं देगा, लेकिन इस मुआहिदे में दूसरी बात है । इसमें सन् १९७० तक का जो कमिटमेंट है, उसके बाद भी जा सकता है १९७३ तक । अगर कोई जंग का सामान पैदा हो गया, जिसमें पाकिस्तान यह जाहिर कर सका कि वह मजबूर था, पाकिस्तान एक मिलिटरी डिक्टेटरशिप है, वहां मजबूरियां किसी भी ढंग से जाहिर की जा सकती हैं, अगर वह कहे कि वह मजबूर था तो शायद **वर्ल्ड बैंक विध दि कांकरेंस आफ बोथ दि पार्टीज**, उसे और बढ़ा सकता है । मैं नहीं कहता कि क्या होने वाला है, लेकिन सन् १९७३

[सरदार इकबाल सिंह]

तक तो जरूर यह जायेगा जबकि हमने पार्लियामेंट में ऐलान किया है कि सन् १९६२ के बाद हम पाकिस्तान को कोई पानी नहीं देंगे। जिस ढंग से उसका रेगुलेशन हुआ है उससे सन् १९७३ तक जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पंजाब में उतनी कपास की फसल नहीं होती है जितनी पिछले साल थी। आज पंजाब में रबी के लिये जहां पिछले साल तीन पानी मिले थे वहां इस साल एक भी पानी खेती को नहीं मिला, और इस बात पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। वह कहते हैं कि कमिश्नर साहब बैठे हैं, हमें हर वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया को इन्फार्म करना होता है तो जो आफिसर नीचे बैठे होते हैं वह जरा डर से बात करते हैं। आज ईस्टर्न कैनाल तकरीबन बन्द हो गई, उस पर लाखों मन रबी की क्राप हुआ करती थी, आज वहां पर वह एक मन भी नहीं है। यह इसलिये है कि आपने एक डैड लाइन मुकर्रर कर दी कि देखो १४ अक्तूबर के बाद इस ईस्टर्न कैनाल को कोई पानी नहीं मिलेगा। अभी तो इस एग्रीमेंट को शुरू हुए एक डेढ़ महीना ही हुआ है और इसका असर जाहिर होना शुरू हो गया है। इसके बाद क्या होगा, किस ढंग से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, किस तरह से न्यूटरल एक्सपर्ट बनेंगे ये तो बाद की बातें हैं।

जहां तक मुआहिदे की बाकी चीजें हैं उनके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि हर साल हिन्दुस्तान के कमिश्नर की रिपोर्ट पार्लियामेंट की टेबल पर रखी जानी चाहिये ताकि पता चल सके कि इससे हिन्दुस्तान के लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं और उनको डिसकस किया जा सके। यह पोजीशन नहीं लेनी चाहिये कि जब मर्ज बहुत बढ़ जाए तो उसका इलाज किया जाए।

न्यूटरल एक्सपर्ट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत मुआहिदे हुए हैं, लेकिन शायद यह एक ऐसा मुआहिदा है जो इतनी बड़ी शक्ल पर बना है और जिसका इतने लोगों पर असर पड़ता है। लेकिन दुनिया में दो किस्म की रायें हैं, लोग हर जगह यह कहते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक एक्सपर्ट इसे एग्जामिन तो कर सकते हैं लेकिन आरबिट्रेशन और जगह पर नहीं जाना चाहिये। इस मुआहिदे में सबसे बड़ी शक्ल मुआहिदे को दी गयी है और जो आरबिट्रेटर मुकर्रर किये जायेंगे उनमें एक ला एक्सपर्ट होगा एक इंजिनियरिंग एक्सपर्ट होगा और एक टैकनिकल एक्सपर्ट होगा। वह फैसला करेंगे। ये जो एक्सपर्ट मुकर्रर किये जायेंगे ये अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के लार्ड चीफ जस्टिस और इंग्लैण्ड की सुप्रीम कोर्ट के लार्ड चीफ जस्टिस की राय से मुकर्रर किये जायेंगे।

आपने पाकिस्तान के साथ एक फैसला किया है, पाकिस्तान में एक मिलिटरी डिक्टेटरशिप है, आज उनकी राय कुछ हो सकती है, कल उनकी राय दूसरी हो सकती है। वहां पर जब तबदीलियां हुईं तो जो पहले एग्रीमेंट किये गये थे उनके बारे में कहा गया कि वे अण्डरड्यूरेस किये गये थे। तो मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को जो काशन लेना चाहिये था वह नहीं लिया गया। आज जो फैसला हो चुका है उसको बाद में कहां तक माना जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। मैं इस मुआहिदे को वैलकम करता हूं क्योंकि एक फैसला हो गया। यह कहा जाता है कि इस फैसले की वजह से हम कोल्ड वार से बच गये लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं है। न मालूम इस मुआहिदे की वजह से कितने कम्प्लीकेशन होंगे और हो सकता है कि उनकी वजह से कोल्ड वार की भी सी हालत चलती रहे और हिन्दुस्तान के जिन दो ढाई करोड़ आदमियों का मुस्तकबिल आप बनाना चाहते हैं उसको आप न बना सकें।

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट कुछ और काशन से काम लेती तो इससे बेहतर एग्रीमेंट हो सकता था और हम बेहतर टर्म्स ले सकते थे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : इस सन्धि के सम्बन्ध में हमारे देश में यह भावना फैल गई है कि इससे हमें नुकसान हुआ है,विशेषत: राजस्थान में इसके पश्चात् से बहुत निराशा और क्षोभ पैदा हो गया है। इस सन्धि के सम्बन्ध में लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपना विरोध प्रगट किया है। "हिन्दू" में इस सम्बन्ध में जो आलोचना प्रकाशित हुई थी उसमें कहा गया कि पिछले दस वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान को रियायतों पर रियायतें देता जा रहा है, इतना ही नहीं अपितु भारत पाकिस्तान को अपनी विकसित सिंचाई पद्धति का अधिकांश भाग दे चुका है। "टाइम्स आफ इंडिया" ने भी अपने पत्र में लिखा कि "विवाद के लगभग सभी बड़े मदों में भारत ने पाकिस्तान के समक्ष हार स्वीकार की है।" अब मैं इस सन्धि के सम्बन्ध में तथ्यों का विश्लेषण करूंगा।

भारत विभाजन के पश्चात् यह निश्चय किया गया था कि इसके परिणाम दोनों देश भुगतेंगे। १९४८ में केवल यह प्रश्न उठा था कि भारत इन नहरों के पानी को तत्काल बन्द नहीं करेगा। इनका पानी कुछ समय तक चलते रहना चाहिये। इस बीच वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे। पाकिस्तान ने संयोजक नहरें भी खोदना शुरू कर लिया था। उस समय यह प्रश्न नहीं उठा था कि हम अपने देश के संसाधनों का विकास नहीं करेंगे और न यही प्रश्न उठा था कि हम उन्हें नहरों के लिये धनराशि प्रदान करेंगे।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पाकिस्तान अपनी मांगें बढ़ाता गया और उसकी मांगें अनुचित होती गईं। निस्सन्देह हम पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण रवैया अपनाना चाहते हैं तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम अपने देशवासियों का नुकसान कर उदार बनने का प्रयत्न करें।

इसी सभा में श्री पाटिल ने हमें यह आश्वासन दिया था कि १९६२ के पश्चात् से उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं दिया जायेगा, किन्तु अब हमने इसकी सीमा १९७० कर दी है। इसका आशय यह है कि हमें प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार हम स्वयं अपनी जनता के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं।

इस सन्धि का दूसरा पहलू यह है कि हमें प्रतिवर्ष ५० लाख एकड़ फीट पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा, इस प्रकार हमें ७० से ८० करोड़ रु० प्रतिवर्ष की अग्रेतर हानि होगी।

हमने उन्हें ८३ करोड़ रुपये पौंड में देने का निश्चय किया है जबकि स्वयं हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, हमें उन्हें यह राशि सीमेंट या किसी अन्य रूप में देने का निश्चय करना था।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें इस सन्धि से कोई लाभ नहीं हुआ। काश्मीर की समस्या जहां की तहां है। यदि इस सन्धि से काश्मीर की समस्या सुलझाने में मदद मिलती तो भी हम यह त्याग करने को प्रस्तुत थे, इसके पश्चात् पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह वक्तव्य जारी किया कि उनके भारत आने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उससे काश्मीर की समस्या हल नहीं होगी।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : दस या बारह वर्ष की बातचीत के पश्चात् हमने जिन शर्तों पर सन्धि की है उन्हें किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण देश भर के समाचार पत्रों ने उनका विरोध किया।

इस सन्धि का नतीजा यह होगा कि सिन्धु प्रणाली का ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तान को और केवल २० प्रतिशत पानी हिन्दुस्तान को मिलेगा। यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सिंचाई की सुविधा भारत से साढ़े तीन गुनी है। इतना ही नहीं मित्रतापूर्ण देशों के सहयोग और विश्व बैंक के द्वारा मिली सहायता से पाकिस्तान इस प्रणाली को पूर्ण विकसित करने में शीघ्र ही समर्थ हो जायेगा, इसका परिणाम यह होगा कि बहुत सा बहुमूल्य पानी समुद्र में व्यर्थ बह जाया करेगा,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

जबकि भारत में नहर प्रणाली को पूर्णतः विकसित करने का यह परिणाम होगा कि उसके सिंचाई वाले क्षेत्र के लिये काफी पानी नहीं पहुंचेगा।

इस सन्धि के द्वारा हमने अपने दावों को १० या १५ वर्ष के लिये छोड़ दिया है और इसके अतिरिक्त हम उन्हें काफी बड़ी रकम भी देने को तैयार हो गये हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के दायित्वोंकी चर्चा नहीं की गई है और हमारी देनदारी को आगे रख कर उन्हें एक पक्षीय रियायतें प्रदान की गई हैं।

हमने यह आशा की थी कि सिन्धु करार के द्वारा दोनों देशों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। इसके पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों देशों की संयुक्त कमान बनाने की सिफारिश कर रहे थे। हमारे कुछ नेताओं जैसे राजाजी तथा श्री जयप्रकाश नारायण ने यह सिफारिश की थी कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। तथापि इस सन्धि के दूसरे दिन ही स्थिति बदल गई और पाकिस्तान यह दावा करने लगा कि इन नदियों का उद्गम स्थान भी पाकिस्तान को मिलना चाहिये। क्योंकि जब तक वहां से नदियों से मिट्टी नहीं निकाली जायेगी पाकिस्तान अपने जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पायेगा।

वस्तुतः इस सन्धि का परिणाम यह हुआ है कि काश्मीर की समस्या सुलझाने के स्थान पर और भी अधिक उलझ गयी है। निस्सन्देह जैसा कि मुझ से पहले वक्ता ने कहा हम प्रत्येक त्याग करने को प्रस्तुत हैं तथापि हमें विश्वास होना चाहिये कि इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होगा। इस सन्धि पर बातचीत के दौरान भी हम इसी कारण चुप रहे कि हमने सोचा शायद इस सन्धि के माध्यम द्वारा दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार होगा। तथापि हमारी सभी आशायें झूठी साबित हुईं। निस्सन्देह इस सम्बन्ध में सरकार को हमसे अधिक जानकारी होगी। इसी कारण हम चाहते थे कि प्रधान मन्त्री यहां पर मौजूद होते जो हमें उस पृष्ठभूमि से अवगत करते जिसके अधीन यह सन्धि की गई है। हम नहीं जानते हैं कि सिंचाई और विद्युत् मन्त्री इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश डाल सकेंगे।

इस समय प्रधान मन्त्री का यहां उपस्थित होना आवश्यक था क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है। इसके द्वारा वे सब घाव पुनः हरे हो गये हैं जिनकी हमने पूरा होने की आशा की थी। और यह सब प्रधान मन्त्री के हस्ताक्षर के द्वारा हुआ है।

सरकार ने पहिली गलती विभाजन के दौरान की थी और दूसरी गलती अब कर रही है। सभा में भी इस चर्चा के लिये पूरा समय नहीं दिया गया है, ऐसा करना देश की जनता की भावनाओं के साथ अन्याय करना है। मेरा विचार है कि इस सन्धि के द्वारा देश के सर्वमान्य नेताओं ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : देश में इस प्रकार की भावना घर करती जा रही है कि पाकिस्तान को खुश करने के यत्न में हम जो भी संधियां उसके साथ करते हैं, वह हमारे हित में हानिकर होती है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

सिन्धु प्रणाली के अधीन जितनी भी भूमि आती है उसका $^{3}/_{4}$ भाग पाकिस्तान और $^{1}/_{4}$ भाग हिन्दुस्तान में हैं। पाकिस्तान के भाग को ५४ प्रतिशत सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हैं जबकि भारत को केवल

†मूल अंग्रेजी में

१९ प्रतिशत सुविधा प्राप्त हैं। इस सन्धि का यह परिणाम होगा कि केवल २० प्रतिशत जल भारत को प्राप्त होगा और ८० प्रतिशत जल पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान को मिलने वाले जल का बहुमूल्य भाग समुद्र में व्यर्थ बह जायेगा और भारत की कई योजनायें पानी के अभाव से ठप्प पड़ जायेंगी। इस प्रकार इस सन्धि का यह परिणाम हुआ कि इससे पाकिस्तान को तो अनावश्यक लाभ हुआ है और भारत को उसकी आवश्यकता का जल उपलब्ध नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त इस सन्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान को लगभग ४०० करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे जब कि भारत को ३० करोड़ रुपये ऋण के रूप में लेने होंगे। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को ८३ करोड़ रुपये देने का निश्चय किया है जब कि हमारे पहिले लेखाओं के सम्बन्ध में अभी कोई हिसाब तय नहीं हुआ है। उक्त राशि भी रुपये में दी जानी चाहिये थी न कि पौंड में। हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति विषम होते हुए भी हमें प्रति वर्ष उन्हें ८·३ करोड़ रु० प्रति वर्ष के हिसाब से देना होगा। इस प्रकार वस्तुतः कई करारों में भारतीय जनता तथा भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है।

इस सम्बन्ध में मैं नेहरू-नून समझौते की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कल ही इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की सभा में एक चर्चा हुई थी जिसमें वहां के मुख्य मंत्री ने बताया कि उनसे या उनकी सरकार से बेरुबारी के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं ली गई है। वस्तुतः हम पाकिस्तान को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से हमेशा अपने हितों का बलिदान करते रहे हैं।

हम पाकिस्तान को पिछले दस वर्ष से पानी देते आ रहे हैं। इस संधि के अनुसार पाकिस्तान अगले १० वर्ष तक और यदि वह चाहे तो १३ वर्ष तक इस पानी का उपभोग कर सकता है। उक्त वर्षों के दौरान पाकिस्तान को उसकी आवश्यता से अधिक पानी मिलेगा जब कि हमें अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होगा।

इसमें सन्देह नहीं कि कार्यकारिणी को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करने का अधिकार है, तथापि भारत की कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी है अतः उसे भारत की जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये, तथापि सरकार पाकिस्तान को खुश करने के उद्देश्य से ऐसे कई समझौते कर चुकी है जिनसे भारत को हानि हुई है हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे समझौते नहीं किये जायेंगे।

†डा० कृष्णस्वामी (चिंगलपट) : इस समझौते से हमारे देश की भावनाओं को काफी धक्का पहुंचा है और लगभग सभी समाचारपत्रों में इस समझौते की आलोचना प्रकाशित हुई है। मेरा विचार है कि हमने इन शर्तों पर समझौता करके केवल दूरदर्शिता का ही परिचय दिया है।

१९४७ में सिंधु प्रणाली की तीन नदियों द्वारा भारत में ४० लाख एकड़ और पाकिस्तान में ५० लाख एकड़ जमीन की सिचाई होती थी। इस सन्धि के फलस्वरूप इन तीनों नदियों का जल का उपयोग केवल भारत के द्वारा ही किया जा सकेगा, इस कमी को पूरा करने के लिये पाकिस्तान कुछ बांध इत्यादि का निर्माण करेगा जिनके व्यय का अनुमान भारतीय इंजीनियरों के द्वारा लगाया गया है, वह ८३ करोड़ के लगभग है। वस्तुतः पाकिस्तान को ये शर्तें मंजूर नहीं थीं तथापि विश्व बैंक के सक्रिय भाग लेने का ही यह नतीजा हुआ कि पाकिस्तान से इन शर्तों के बारे में सन्धि हो सकी। अन्ततोगत्वा पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गया कि वह अपनी पश्चिमी नदियों से भी भारत को इतना जल देगा जिससे कि भारत में १७ लाख एकड़ भूमि को सिचाई हो सके। अवशेष जल का

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णा स्वामी]

पाकिस्तान द्वारा उपयोग किया जायेगा । मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस सन्धि से भारत के पक्ष में कुछ लाभ ही हुआ है, यदि इस सन्धि की शर्तों पर अमल किया जाय तो हम अपने देश में पूर्वी नदियों से सींचे जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल ५० से १५० लाख एकड़ तक बढ़ा सकते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये कि ४० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने पर आय में प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है ।

यह समस्या बहुत कठिन थी और इसका हल निकालना भी बहुत जटिल समस्या थी । इस सम्बन्ध में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने जो कार्य किया वह प्रशंसनीय है । इसके अतिरिक्त हमारे कई विख्यात इंजीनियरों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया मेरे विचार से मार्शल योजना के पश्चात् यह विश्व के बड़े समझौतों में से एक है और हमने जो सन्धि की है वह रचनात्मक है । यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्व बैंक ने हमारे ऊपर कोई शर्तें नहीं लादी थीं, हमें पूरा अधिकार था कि हम उनकी शर्तों को अस्वीकार करें, तथापि उन्होंने जो शर्तें रखी वे रचनात्मक हैं ।

मेरे विचार से इस सन्धि के द्वारा हमारे समक्ष उज्जवल भविष्य के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया है । मुझे आशा है कि इस सन्धि के फलस्वरूप दो पड़ौसी राष्ट्र एक दूसरे के निकट आयेंगे और उत्तरी सीमान्त पर आये हुए नये खतरे का संयुक्त रूप से सामना करने में समर्थ होंगे । इस समय समयाभाव के कारण हम इस सन्धि के गुणावगुणों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं अतः मैं निवेदन करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय हमें समय दिया जाय जिससे इस सन्धि पर विस्तार से चर्चा हो सके ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, डा० कृष्णस्वामी के बहुत सुन्दर व्याख्यान को अभी मैंने सुना है । मुझे दुःख है कि मैं डा० कृष्णस्वामी के विचारों से सहमत नहीं हो सकता । इसलिये नहीं कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती और अच्छे सम्बन्ध नहीं चाहता, मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान से ही नहीं दुनिया के हर राष्ट्र से हिन्दुस्तान के सम्बन्ध बहुत मजबूत और मैत्रीपूर्ण हों । लेकिन जब मैत्रीपूर्ण और मधुर सम्बन्धों की बात कही जाती है तो हमें यह भी याद रखना चाहिये कि वह सम्बन्ध अपने देश की प्रतिष्ठा और इज्जत को बचकर नहीं कायम रक्खे जा सकते । मुझे लगता है कि यह जो अभी इंडस ट्रीटी पाकिस्तान के साथ सम्पन्न हुई है उसके द्वारा देश की प्रतिष्ठा को खत्म किया गया है और हिन्दुस्तान की इज्जत को बेचा गया है ।

सभापति महोदय, तथ्य आपके सामने आ गये हैं और यह सारा पता लग गया है कि आखिर देश का कितना इससे नुकसान होने वाला है और जब यह नुकसान की बात आती है तो हमें उसकी सारी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा । क्या कानूनी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थी इस प्रकार के काम करने की क्या हमारा कोई इस तरह का उत्तरदायित्व था कि हम पाकिस्तान को यह पानी दें या पाकिस्तान का यह हक था कि वह हमसे यह पानी ले सकेगा आखिर इसमें सब से पहले तो हमें हिन्दुस्तान के बंटवारे की बात को सोचना चाहिये । जिन लोगों ने बंटवारे की बात कही जो लोग बार बार यह कहते रहे कि यह उनकी जिम्मेदारी थी वह देख लेते कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद क्या उसके नतीजे होंगे और यह एक नतीजा उसी में से निकलने वाला था । मुझे खतरा है कि इस संधि के होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से दूसरी मांगें भी पेश की जा सकती हैं और जिसकी कि तरफ कुछ इशारा आज उस बयान से दिया लगता है जो कि रेलवे मंत्री महोदय ने दिया है । भविष्य में चल कर कौरीडर्स देने की बात कही जा सकती है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना कि हम किसी देश को रेगिस्तान नहीं बना सकते, बहुत सुन्दर बात है लेकिन किसी देश को रेगिस्तान बनाने से पहले उस की तरफ वहबूदी दिखाने और रेगिस्तान को हरा भरा बनाने और उसमें बाग वगैरह लगाने से पहले हमें अपने देश के रेगिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिये कि हम अपने रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हैं, बाग और फल फूल वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं । मुझे लगता है कि वहां रेगिस्तान का कोई सवाल नहीं था । अलबत्ता हमारे अपने देश में रेगिस्तान मौजूद है और उसमें बाग लगाने की फसल लगवाने की और पेड़ वगैरह लगाने की सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है । सरकार उस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है ।

पहले जब वर्ल्ड बैंक वाले आये थे तो उन्होंने उस समय ६० करोड़ रुपये की बात कही थी जब कि अब ८३ करोड़ की बात होती है । ८३ करोड़ का जो यह पेमेंट का सवाल है तो यह बहुत तरीके से हो सकता था । यह रकम नकदी में न दी जा कर कमोडिटीज की शक्ल में दी जा सकती थी लेकिन हमें यह राशि पौंड स्टर्लिंग में चुकानी होगी । हम यह भली भांति जानते हैं कि देश की विविध योजनाओं को चलाने के लिए हमें किस तरह से फौरेन एक्सचेंज की जरूरत है, किस तरीके से हम उसके लिए परेशान हैं और छोटे छोटे आइट्म्स में कट कर रहे हैं । वस्तुस्थिति यह है कि हमारे देश में फौरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत है और जब ऐसी हालत है तब हम पाकिस्तान को यह ८३ करोड़ पौंड स्टर्लिंग में देंगे । यही नहीं पानी भी हमें पहले की अपेक्षा कम मिला करेगा । २० परसेंट मिलेगा जब कि हमें ४० परसेंट मिलना चाहिए । यह रकम हम रुपये में दे सकते थे या अन्य चीजों की शक्ल में दे सकते थे लेकिन नहीं यह रकम हमें फौरेन एक्सचेंज में देनी होगी । जब हम इन सब चीजों पर विचार करते हैं तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई भी समस्या हो, झगड़ा हो, पचड़ा हो, हमारी सरकार पाकिस्तान से दबना चाहती है, पाकिस्तान की जनता से नहीं, पाकिस्तान की जो एक व्यक्ति की हुकूमत है उससे दबना चाहती है । आखिर पाकिस्तान में आज कौन सी हुकूमत कायम है ? हमारे मित्र सरदार इकबाल सिंह ने अपने भाषण में एक बहुत सुन्दर चीज की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान में आज तानाशाही राज्य है मिलेटरी डिक्टेटरशिप कायम है । कोई जनता का उसमें हिस्सा नहीं है । एक व्यक्ति का राज्य है और उस एक व्यक्ति के राज्य में आज इस तरह की संधि होती है जो कि सन् १९७० तक लागू है तो तीन साल के बाद मौका मिलता है और कौन जानता है कि सन् १९७३ में पाकिस्तान की क्या शक्ल हो और उनकी तरफ से कह दिया जाय कि वह यह संधि मानने को तैयार नहीं है तब कौन सी स्थिति आयेगी । मैं कहना चाहता हूं कि आज १९६० में जो स्थिति है, १९७३ में भी वह स्थिति आ सकती है । सारे तेरह सालों की पूरी गड़बड़ी के बाद, अपनी पूरी कुर्बानियों के बाद, अपने खेतों को सूखा रखने के बाद और हिन्दुस्तान की जनता को भूखा मारने के बाद, तेरह सालों के बाद फिर वही स्थिति आ सकती है, जो कि १९६० में है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिन्दुस्तान की सरकार का दिमाग क्या काम करता है, वह किस तरह की योजनायें बनाती है, किस तरह के निश्चय करती है । एक मिनिस्टर के बाद दूसरे मिनिस्टर ने, एक ब्यान के बाद दूसरे ब्यान में हमें यह कहा गया कि हम १९६२ के एक दिन बाद भी पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे । अब एक दिन की बात नहीं, हम पाकिस्तान को ग्यारह साल के लिए पानी दे रहे हैं । कोई निश्चय होना चाहिए, कोई निर्णय होना चाहिए, तो सरकार को उस पर हमेशा डटे रहना चाहिए । मुझे दुख है कि सरकार किसी तरह से किसी निश्चय पर डटे रहना नहीं चाहती है ।

सभापति महोदय आप को मालूम है कि बेरूबाड़ी के सवाल पर देश में किस तरह की भावनायें जग रहीं हैं । मैं उस मसले को यहां नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन मैं साफ़ कहना चाहता हूं कि यहां यह मसला बेरूबाड़ी से कई गुना बड़ा है और इस से हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों

[श्री ब्रजराज सिंह]

पर असर पड़ता है । मेरे मित्र, श्री अशोक मेहता ने ठीक कहा है कि पार्टीशन के समय जो कुछ हुआ, उसी तरह की समस्या हमारे सामने पैदा हो रही है । लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान की जनता से दोस्ती और समधुर सम्बन्ध नहीं चाहते हैं । प्रश्न यह है कि जो कुछ हो रहा है, उस के बाद भी क्या कोई इस तरह का इंडीकेशन, इस तरह का इशारा मिलता है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि हमारे सम्बन्ध समधुर और मैत्रीपूर्ण रहेंगे ? इस ट्रीटी के साइन करने के दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट महोदय कहते हैं कि अब वह हिस्सा भी उन के कब्जे में रहना चाहिए, जहां से वैस्ट्रन रिवर्ज़ बहते हैं । कल शायद यह कहा जायगा कि काश्मीर का हिस्सा भी, जो उन्होंने—तथाकथित आज़ाद काश्मीर सरकार ने ग़लत तरीके से गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है, उन के कब्जे में रहा । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से मुल्क की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है । इस से मुल्क की जनता का भविष्य अन्धकार में पड़ता है । इस तरह के एग्रीमेंट से मुल्क की जनता यह विश्वास नहीं करती है कि हमारी सरकार आज जो कुछ कह रही है, जो कुछ निर्णय कर रही है, वह उस पर अमल कर सकेगी ।

यह एग्रीमेंट का हो गया है । उस दिन प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि अभी उस का रैटिफ़िकेशन नहीं हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : हो गया है ।

श्री ब्रजराज सिंह : टिफ़िकेशन हो गया है ? खैर, अगर हो गया है, तो यह भी बड़े अफ़सोस की बात है । जब पार्लियामेंट बैठ रही है, तो उस को इस बात का मौका नहीं दिया जाता है कि वह इस बारे में अपने विचारों को प्रकट करें । आखिर एक चुनी हुई पार्लियामेंट की कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं । देश की जनता को इस बारे में अपनी राय देने का अधिकार होता है । मैं मानता हूं कि किसी मुल्क की जनतंत्रीय सरकार एक निश्चय ले सकती है, लेकिन खास तौर पर जब पार्लियामेंट बठी हो, उस वक्त ऐसे काम कर देना, जो कम से कम पार्लियामेंट के ज्ञान में तो होना चाहिए, उस को उस का इल्म भी न कराना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है । अगर वह रेटिफ़िकेशन पार्लियामेंट के ज्ञान के बाद होता, उस को यह बताने के बाद होता कि हम यह करने जा रहे हैं, जिस के बाद यहां पर बहस होती और पता लग जाता कि इस विषय में विभिन्न रायें क्या हैं, तो अच्छा होता । लेकिन सिर्फ़ इस लिए कि हम पाकिस्तान के साथ मैत्री रखना चाहते हैं, ये सारी बातें की जा रही हैं ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी कुर्बानियों के बाद, अपने देश के करोड़ों लोगों को भूखा रखने के बाद अगर पाकिस्तान से दोस्ती सही मायनों में कायम रखी जा सकती है, तो मैं समझूंगा कि हम ने बड़ा काम किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह आशा निराशा में बदल जायगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता से तो दोस्ती करने की बात नहीं चलती है—कुछ आदमियों से दोस्ती रखने की बात चलती है । मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जनता दोस्ती चाहती है—जैसा कि हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा और उन का खून एक है, कल तक हम भाई भाई थे । एक ग़लत तरीके से देश का बटवारा हुआ है और इस लिए मैं समझता हूं कि दोनों देश यह चाहते हैं कि हम एक राष्ट्र थे, हम एक राष्ट्र बन कर रहे । लेकिन अगर उसके बावजूद पाकिस्तान की जनता यह चाहती है कि जो पानी अरब सागर में बह जायगा, वह पानी हिन्दुस्तान के लोगों को न मिल सके, जिन के खेत पानी के अभाव में सूखे रह जायेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह मानने वाली बात नहीं है । मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जनता कभी भी यह चाह सकती है ।

मैं आशा करता हूं कि इस ग़लती के बाद सरकार प्रयत्न करेगी कि इस तरह की दूसरी ग़लतियां न हों और वह यह भी कोशिश करेगी कि जो एग्रीमेंट हो गया है, उस में भी अगर किसी तरह से अपने देश के फ़ायदे के लिए कुछ किया जा सकता है, तो वह तरीका अख्तियार करे।

डा० कृष्णस्वामी ने बड़े ज़ोर के साथ वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा। अगर वर्ल्ड बैंक एक दानी संगठन हो गया है, तो जो ८३ करोड़ रुपये हम ने पौंड स्टर्लिंग में देना है, उस के बारे में हम आशा करेंगे कि वह रुपया भीख की तरह नहीं, न्याय के आधार पर बैंक की तरफ़ से आये, अगर आ सकता है, लेकिन मैं समझता हू कि यह बात नहीं हो सकती है। जो भी हो, मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इस बड़ी ग़लती के लिए जिम्मेदार है और उसको हिन्दुस्तान की भविष्य की पीढ़ियों के प्रति इस ग़लती के लिए उत्तरदायी बनना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की ग़लतियां नहीं होंगी और कम से कम १९७१ के बाद एक दिन के लिए भी पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : कराची में १९ सितम्बर १९६० को हमारे प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के प्रेजिडेंट के बीच जो सिन्धु पानी सन्धि हुई थी उसकी ओर जनता ने बड़ी रुचि दिखाई है। भारत के समाचार पत्रों ने उस सन्धि की बड़ी आलोचना की है और पाकिस्तान के समाचारपत्रों ने उसका बड़ा स्वागत किया है।

सभी जानते हैं कि संसद् का सत्र ९ सितम्बर, १९६० तक होता रहा था और इस सन्धि पर १९ सितम्बर १९६० को हस्ताक्षर हुए थे। मैं समझता हूं कि यदि सरकार चाहती तो इस सन्धि के कुछ उपबन्धों के बारे में संबंधित राज्य सरकार और सभा के सदस्यों का परामर्श ले सकती थी। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार यदि सन्धि को सभा में प्रस्तुत न करना चाहे तो कम से कम दलों के नेताओं के विचार उसके बारे में अवश्य लिया करेगी।

इस सन्धि की मुख्य मुख्य बातें यह हैं। भारत को ८३ करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना होगा। सतलज, ब्यास, रावी का पानी पाकिस्तान को १० वर्ष तक और पाकिस्तान की प्रार्थना पर और तीन वर्ष तक अर्थात् १३ वर्ष तक दिया जाता रहेगा। सिन्धु नदी का पानी ८० : २० के अनुपात से पाकिस्तान और भारत में बटेगा। सिन्धु, झेलम और चिनाव नदियां पाकिस्तान को तथा रावी, व्यास और सतलज भारत को मिलेंगी।

इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यह शर्तें केवल देने मात्र की हैं। जैसे लेना हमें उनसे कुछ नहीं है। हमारी सरकार को लेने वाली बातों पर भी तो विचार करना चाहिए था। नहरी पानी का धन हमें उनसे लेना है। काश्मीर का मामला सुलझाना है। विभाजन ऋण की समस्या हल करनी है। मैं इन बातों को यहां बता कर यह बताना चाहता हूं कि केवल इस सन्धि के बारे में विश्व बैंक ने इतनी रुचि क्यों दिखायी है। केवल इस कारण कि प्रेजिडेंट अयूब स्पष्टतः बता चुके हैं कि पाकिस्तान के विकास के लिए अंग्रेज़ी भाषाभाषी देशों से ही मदद लेनी है।

इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता ने बताया है कि इस सन्धि का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं और कुछ न कह कर केवल इतना बताना चाहता हूं कि पानी इकट्ठा होने की समस्या के बारे में विशेषज्ञों ने बताया है कि कम से कम इसके लिए ५० करोड़ रुपया चाहिए। परन्तु तीसरी योजना में इस कार्य के लिए केवल २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यह धनराशि बहुत कम है और सरकार को इसके लिए अधिक पूंजी देनी चाहिए। क्योंकि पंजाब को इस सन्धि के कारण जो हानि हो रही है उसकी पूर्ति की जा सके।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : सिन्धु पानी सन्धि के बारे में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की पत्रिका '**भगीरथ**' के सम्पादकीय में बताया गया है कि भारत ने सिन्धु का ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तान को देना स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ धन देना भी स्वीकार कर लिया है । यह भारत के त्याग और बलिदान की कहानी है। क्योंकि भारत अपनी अर्थ व्यवस्था के विकास के इस आड़े समय में इस धन का सुन्दर उपयोग कर सकता था ।

इसी के बारे में मई १९५९ में हमारे प्रधान मंत्री ने भी एक बार कहा था कि 'एक तो यह धन बहुत है तथा अवधि भी बहुत लम्बी है' । परन्तु अब उसी धन और अवधि को स्वीकार कर लेना हमारी समझ में नहीं आता । क्या कारण है कि भारत सरकार को इस सन्धि को स्वीकार करना पड़ा ?

१९५२ अथवा १९५४ में विश्व बक द्वारा मामला हाथ में लेने से पहले १९४८ में भारत-पाकिस्तान के बीच उत्तर डोमीनियन समझौता हुआ था । उस के अनुसार केवल दो प्रश्न सामने थे । एक तो यह कि क्या भारत को पाकिस्तान अग्रभार (सीनियरोज चार्जेज़) देगा और दूसरा माधोपुर हैडवर्क्स के निर्माण का था । यह आवश्यक था कि भारत तीनों नदियों पर प्रभुत्व के कारण अग्रभार ले । जब इन प्रश्नों पर विचार हो रहा था उसी समय विश्व बैंक इस विवाद के बीच में आया । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले को सुलझाने का काम विश्व बैंक को सौंप कर ही ग़लती की जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ा है । मेरी समझ में तो इस मामले को विश्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था क्योंकि समझौता करने का प्रश्न नहीं था अपितु समझौते की दो शर्तों को लागू करने का प्रश्न था ।

हम ने इस सन्धि के बारे में समाचारपत्रों में पढ़ा परन्तु सरकार ने हमारा विश्वास नहीं किया । संसद् पद्धति को सरकार का कर्तव्य होता है कि सभी मामलों में संसद् की सलाह ले परन्तु इस मामले में संसद् की कोई सलाह नहीं ली गई । बड़े खेद की बात है । मैं तो समझता हूं कि सरकार ने यह सन्धि कर के राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों का अहित किया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : विरोधी दल के माननीय सदस्य का भाषण मैं ने अभी सुना और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों के भाषण का सारांश भी मैं ने पढ़ा है । मुझे यह जानकर थोड़ा दुख हुआ है कि एक ऐसे विषय पर जो, वक्तव्यों, प्रश्नों आदि द्वारा सभा के समक्ष आता रहा है और जिसका सम्बन्ध न केवल वर्तमान से है वरन् भविष्य से भी है, इस प्रकार की तंगदिली और हल्केपन से विचार किया जाय ।

यह प्रश्न १२/१३ वर्ष पहले उठा था और उसी दीर्घकाल से हम और हमारे इंजीनियर अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा कर इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं । समय समय पर इसके संबंध में सभा में वक्तव्य दिये जाते रहे हैं और बराबर जानकारी दी जाती रही है ; तात्पर्य यह कि सभा को हर बात से सूचित रखा गया है । इस कारण समूचे संदर्भ को बताये बिना, मेरे साथी सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री को या मुझे इस करार पर चर्चा करते समय कठिनाई होगी । यदि माननीय सदस्य मुझे ८० करोड़ रुपये के बारे में पूछें तो मैं इसका यों ही उत्तर नहीं दे सकता । सारी स्थिति बता कर ही मैं यह कह सकता हूं कि क्या यह अदायगी ठीक थी या नहीं । इस के अलावा यदि माननीय सदस्य हम से यह पूछें कि हम ने अमुक अमुक अवधियों में अधिक जल देना क्यों मंजूर किया तब मैं सारी स्थिति बता कर ही अपने निर्णय का औचित्य सिद्ध कर सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सारे वर्षों में, अर्थात् मई १९४८ से मेरा इस विषय से सम्बंध रहा है। जिस वक्तव्य का उल्लेख किया था उस पर मेरे हस्ताक्षर भी थे। इस दीर्घकाल में हम ने काफी निराशा का सामना किया और उस सारी चीज को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा, हो सकता है इस में मतभेद हो कि वर्तमान सन्धि भारत के लिये अच्छी है।

स्वाभाविक रूप से यह तो कहा जा सकता है कि यदि ८० करोड़ की बजाय हमें ५० करोड़ रुपया देना पड़ता तो हम ३० करोड़ के फायदे में रहते और यदि कुछ भी न देते तो सारा ही फायदा था। किन्तु हम संधि की बात नहीं कर रहे, हम तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं जबकि हमारे अंदर समझौता नहीं हुआ था। हम उसी के नतीजे पर विचार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में रकम की अपेक्षा दूसरा लाभ अधिक होता है। दस वर्ष के बाद हमें बहुत पानी मिलेगा और उससे पहले भी हमें काफी मिलेगा यही बहुत बड़ा लाभ है। हो सकता है समझौते की शर्तें और ज्यादा अच्छी हो सकती थीं; परन्तु यह अपने दृष्टिकोण की बात है। किन्तु इसी तथ्य से कि इस समझौते में बारह वर्ष का समय लग गया है, माननीय सदस्यों को समझ लेना चाहिये कि छोटी से छोटी चीज भी विचार विमर्श के बाद ही तय की गई है। मैं यह समझौता कराने की योग्यता नहीं रखता था। मैं ने तो मुख्य बातों के बारे में ही चर्चा की परन्तु विवरणात्मक तथ्यों के बारे में हमारे इंजीनियरों ने सारा काम सम्पन्न किया और वही हमारे देश के हितों की रक्षा के लिये संघर्ष रत रहे और उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं। विशेषज्ञ होने के नाते से उन्हें देश की आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान था और उसके लिये उन्होंने अनेक योजनायें बनायीं।

अतः यह संधि इतने लम्बे झगड़ों के बाद सम्पन्न हुई। इन हालात में, मैं समझता हूं कि, इस सभा को इस समझौते पर तनिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। जो लोग यह काम करने के उत्तरदायी हैं, जिन्होंने कष्ट उठा कर इन हालात में सारा ब्यौरा तैयार किया, उन्हों ने मेरे विचार में ठीक काम किया है। "इन हालात में" मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि सुधार की गुंजायश हर चीज में हर समय रहा करती है; रुपया भी कम ज्यादा होता रहता है।

माननीय सदस्य ने १९४८ के समझौते का उल्लेख किया है। वास्तव में यह मोटी मोटी बातों का समझौता था; ब्योरेवार चीजें इस में नहीं थीं। मैं ने इस पर हस्ताक्षर भी किये थे। मुझे याद है कि यह कैसे हुआ था, जब मैं ने हस्तक्षेप किया तब सम्मेलन भंग होने को था। थोड़ी सी चर्चा के बाद वहीं पर इसे मैं ने लिखवाया था। हम भी इससे अपने अधिकार नहीं छोड़ रहे और कोई भी नहीं छोड़ रहा।

जहां तक इस झगड़े में विश्व बैंक के आने का प्रश्न है उस के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि आज तक के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई। हो सकता है सदस्य का विचार ठीक हो, क्योंकि इतिहास की मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है। परन्तु मैं इसे बहुत ही साधारण बात समझता हूं। उन्हों ने अपनी सेवा अर्पित की थी और वास्तव में बात यह हुई कि श्री लिलियन थाल, जो अमरीका में पहले टैनेसी वैली अथारिटी और बाद में अणुशक्ति आयोग से सम्बद्ध थे, सात आठ वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान आये थे। उन्हें जल सम्बन्धी विषयों में काफी की रुचि थी। मैं उन से मिला और दूसरे लोग भी मिले। यहां से जाने के बाद उन्हों ने एक पत्रिका में एक लेख लिखा और इस नहरी पानी के झगड़े का जिक्र किया। उसी लेख में उन्हों ने सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष विश्वबैंक की सहायता से विशेषज्ञों को सम्बन्धित कर के यह झगड़ा निपटायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस में कोई मजबूर करने वाली बात नहीं थी।

इस के बाद यह बात हमारे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री के सामने भी आयी और मैं उस के लिये राजी हो गया। यदि हम कहें कि नहीं हमें किसी की समझौता कराने की कोशिश

ही पसन्द नहीं तो यह बड़ी निष्ठुरता की बात होगी। जब आप किसी समस्या का मैत्रीपूर्ण हल ढूंढना चाहते हैं तब वह बातें ठीक नहीं होतीं। तो हम ने बात मान ली। उस समय मुझे यह पता ही न था कि इस झगड़े में सात आठ वर्ष का समय और लग जायगा। मैं समझता था कि साल ६ महीने में यह तय हो जायगा। किन्तु यह चलता ही गया। मैं समझता हूं कि इस के लिये विश्व बैंक को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है। विश्व बैंक तो इसे निपटाने के पक्ष में था।

†श्री महन्ती : यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ परन्तु इस पर श्री लिलियन-थाल के हस्ताक्षर क्यों हैं।

†श्री जवाहरलाल नहरू : यह ठीक है परन्तु उन्हों ने विश्व बैंक की ओर से हस्ताक्षर किये हैं क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सी अदायगियां विश्व बैंक ही से होंगी। उन के हस्ताक्षर उस काम के लिये हैं। दूसरी चीजों से उन का सम्बन्ध नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि पाकिस्तान हमें अदायगी न करे---यदि अवधि तीस वर्ष और बढ़ा दी जाये तो उन को ही हमें अदायगी करनी पड़ेगी।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, इस के बारे में कुछ खंड हैं। किन्तु बैंक तो मुख्यतः इस कारण बीच में आया है कि उस के द्वारा पाकिस्तान को अदायगी की जानी है और उस के जरिये अनेक देश ऐसी अदायगी कर रहे हैं। हमें भी कोई अदायगी नहीं कर रहा है, सिवाय इन सब बातों से अलग। व्यास परियोजना के लिये विश्व बैंक हमें ऋण दे रहा है।

इसलिये विश्व बैंक का बीच में आना सामान्य बात ही थी। पिछले झगड़ों को देखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि विश्व बैंक ने इस विषय में हमारी काफी सहायता की है। उन्हों ने परिश्रम किया है ; उन्हें इसमें कोई लाभ नहीं मिला है। वास्तव में तथ्य यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो छोटी मोटी झगड़े की चीजें भी होती हैं उन्हें निपटाने में भी बड़ी कठिनाई होती है। इस समय मैं किसी पर दोषारोप नहीं कर रहा वरन् इतना ही कह सकता हूं कि विभाजन के परिणाम-स्वरूप पारस्परिक आशंकाओं, भावनाओं, भय आदि के कारण हर पक्ष दूसरे पर सन्देह करता है और अपनी बात से इधर उधर नहीं होता। ऐसी स्थिति में बाहर वालों की सहायता लाभदायक ही रहती है। खैर मैं तो यही समझता हूं कि विश्व बैंक का हस्तक्षेप लाभदायक ही रहा है।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हर दौर में संसद् की सलाह ली जाय, इस के बारे में हमें यह सोचना चाहिये कि आखिर इस का मतलब क्या होगा। ऐसे पेचीदा मामलों को संसद् में हर समय नहीं रखा जा सकता। जैसे इसी मामले में अनेक योजनायें बनीं, अनेक बातें स्वीकार की गयीं, अनेक अस्वीकार की गयीं और इसी तरह अनेक चीजें हुईं। तो क्या हर समय हम संसद् के सामने आते ? फिर तो आप इस तरह की पेचीदा बातचीत में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते।

अतः संविधान तथा प्रथाओं के अनुसार यह ठीक है कि ऐसे मामलों में सरकार स्वयं सोच समझ कर निर्णय ले। और कोई भी तरीका नहीं है। संसद् के पास और बहुत सा काम होता है और वही करना कठिन हो जाता है। यदि और काम संसद् पर लाद दिया जाय तो वह भी कठिनाई से होगा। आये सप्ताह एक न एक समझौता या करार होता रहता है ; इनमें से कुछ महत्वपूर्ण होते

†मूल अंग्रेजी में

हैं और कुछ कम महत्व के। किन्तु सिद्धान्ततः सभी संसद् के सामने आने चाहियें। तो इस प्रकार काम करना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

जहां तक इस मामले के गुणों का सम्बन्ध है, जो नोट मेरे साथियों ने लिये उन्हें पढ़ कर मुझे बड़ी निराशा हुई। इस से पता चलता है कि किसी समस्या को सुलझाने के लिये हम दूरदर्शिता का परिचय नहीं देते। इस से एक तंगदिली का पता चलता है जो ऐसी है जिस से उन के हितों को आघात पहुंचे न पहुंचे, पर हमारे हितों को अवश्य पहुंच सकता है।

ऐसे मामलों में कुछ देना पड़ता है और कुछ लेना। एक सदस्य ने कहा कि यह भारत का दूसरा विभाजन है; मुझे ऐसे शब्द सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है जो निरर्थक हैं और तथ्यों के पूर्ण रूप से विरुद्ध हैं। विभाजन किस चीज का हो गया? पानी का। क्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का यह तरीका है? इस लिये जब हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बातचीत करते हैं हमारे अपने देश के भावी सम्बन्धों की बात करते हैं तब हमें सोच समझ कर बात कहनी चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि हम ने कुछ रुपया ज्यादा दे दिया है या आप कह सकते हैं कि हम ने कुछ पानी उन्हें थोड़ी अवधि के लिये ज्यादा दे दिया है। यही दो मुख्य चीजें हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या सभा अभी पानी और रुपये की मात्रा के बारे में, जो दिया जाना है, कुछ अनुमान लगा सकती है; कम से कम मैं तो एक दम अभी नहीं लगा सकता। हां, यह मैं कह सकता हूं कि ७० करोड़ रुपया ८० करोड़ रुपये से कम है। यह कहा जा सकता है कि यदि हम ७० करोड़ दे सकते हैं तो ८० करोड़ रुपया क्यों दे। किन्तु आंकड़ों की तुलनात्मक अच्छाई के बारे में कौन कह सकता है। ऐसे मामलों में हजारों बातों पर विचार करने के बाद ही निश्चय किया जाता है। तभी एक बीच की चीज निकाली जाती है।

वास्तव में बहुत समय पहले से ही, अर्थात् आरम्भ से ही यह बात मुख्य रूप से मानी जाती थी कि अदायगी के मामले में हमें उनको प्रतिस्थापन कार्यों के एवज अदायगी करनी होगी क्योंकि हम उन्हें उतना पानी नहीं देते। यही सिद्धांत रहा है।

कुछ लोग कहते थे कि विभाजन हो गया है और हमें उनको कुछ नहीं देना। यह तरीका न तो बैध है और न संविधानिक और उचित। यदि हम वही तरीका अपनायें तो इस का अर्थ पश्चिमी पंजाब के एक बड़े भू-भाग को वीरान कर देना होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किसी ने यहां पत्रों के उपस्थापन के बारे में कहा है। परन्तु केसे, यह मैं नही जानता। यदि सारे कागज़ यहां लाकर रखे जायें तो उन्हें किसी गाड़ी में लदवाकर ही लाना होगा; क्योंकि १० वर्ष के अर्से में न जाने कितनी बातचीत हुई है। कागज़ों का एक पहाड़ बन जायेगा।

परन्तु मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सभा के प्रतिष्ठित सदस्य यह अनुमान कसे लगा पाते हैं कि हमने ज्यादा या कम अदायगी करदी है। स्पष्टतया कम देना तो अच्छा ही रहता है। किन्तु अदायगी से आपको बदले में भी कुछ मिलता है। आप इन चीजों को तौल कर यह भी कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में समझौता नहीं करना अच्छा है, झगड़ा चलता रहे, इस में भी कोई हानि नहीं। यदि कोई ऊंचे सिद्धांत की बात इसमें हो तो दूसरी चीज़ है परन्तु एक दो करोड़ रुपया देना कोई सिद्धांत की बात नहीं है। आप इसे गलत या ठीक कह सकते हैं। मैंने भी शायद इस पर अनेक बार विचार किया है और समझने का यत्न किया है। मेरे साथी ने भी इस चीज़ पर सोचा है और जाना है कि इन हालात में अदायगी करना श्रेयस्कर है। यदि आप यही उचित समझें, तो हमने शांति को खरीदा है जो दोनों देशों के हित में है।

माननीय सदस्यों ने पूछा कि हमने कुल बातों का समझौता ही क्यों न किया। शायद माननीय सदस्य, यदि उन्हें इन बातों पर निर्णय लेने का अवसर मिलता तो ज्यादा सफलता से समस्या हल कर लेते। मैं इन्कार नहीं करता। हम इसे हल करने के लिये एक समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम शनै शनै इस मामले को लेकर आगे चलते गये हैं। हो सकता है पिछले दस बारह वर्षों में अनेक गलतियां हुई हों; हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं किन्तु फिर भी यह बात कहना कि हमें यह चीज करनी चाहिये थी यह बड़ी विचित्र बात है। हम तो ठीक काम करने के लिये संघर्ष करते रहे हैं और कोशिश हमने सदा जारी रखी है।

माननीय सदस्यों ने पूछा कि हमने राष्ट्रीय ऋण को बट्टे खाते क्यों नहीं डाला। इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता था। आरम्भ से ही यह बात स्पष्ट थी कि हमें कुछ न कुछ देना होगा। यह बात अलग है कि कितना देना होगा। हमारे अन्दाज के अनुसार हमें ६० या ७० करोड़ रुपया देना था। हमें यह अदायगी एक तरीके से करनी थी और इसे बट्टे खाते डालना ठीक नहीं था। यह बात कई वर्ष पहले की है। अब उस रकम में वृद्धि हो गई है। पाकिस्तान अपने हिसाब से ३०० करोड़ रुपया मांगता था और यह रकम काफी ज्यादा थी। यह इस समझौते की पृष्ठभूमि है।

सभा को यह भी सोचना चाहिये कि इस समस्या ने मंत्रालय पर कितना भार डाल रखा था और उन लोगों के लिये कितनी परेशानी थी जो आए मास इस से व्यवहार करते थे। हमें इन सारी बातों पर निर्णय से पूर्व विचार करना पड़ा।

बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम पाकिस्तान को खुश करने के लिये उसके आगे झुक जाते हैं। उन्होंने बेरूबाड़ी का भी जिक्र किया। परन्तु इस समय उस प्रश्न पर कुछ कहना उचित नहीं है। उसका जिक्र भी मैं तब करूंगा जब अवसर आयेगा। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि हम समझौते के बाद यही देखते हैं कि हमें हानि कितनी हुई है, लाभ की ओर हमारी नजर नहीं जाती। हमें इन समझौतों से काफी बड़े लाभ प्राप्त हुये हैं।

जो लोग यह कहते हैं कि हमने यह समझौता राज्य-सरकार के परामर्श के बिना ही कर लिया है, वे गलत कहते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : मुख्य मंत्री ने कल ही कहा है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है कुछ गलतफहमी हो राज्य सरकार के प्रतिनिधि बराबर उपस्थित रहे हैं और हमारे मंत्रालय से बातचीत करते रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे पता नहीं कि क्या बातचीत हुई है परन्तु मंत्रालय से सदा बातचीत होती रही है। उसके बाद ही मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से बातचीत की। जब भी मेरे सामने कोई तजवीज आती थी तो मैं सचिव से पूछता था कि क्या बम्बई के प्रतिनिधि इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि बम्बई के क्षेत्र का इससे सम्बन्ध था। उनके हां करने पर ही मैं ने इस पर विचार किया था। इसी प्रकार आसाम, बंगाल आदि के प्रतिनिधियों का परामर्श लिया जाता था। यह भी हो सकता है कि जो बातें कामन्वेल्थ सचिव ने बतायीं हों वे गलतफहमी से कही हों। मैं खुद तो बात नहीं करता था। मैं तो उनकी बातों को ठीक ही मानता था। यही पता चलता था कि सम्पूर्ण हानि से आशंकित होकर वे इसे ही ठीक मानते थे। इसी कारण मैंने यह चीज स्पष्ट कर दी है कि राज्य सरकारों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की गयी। ऐसा करना अनुचित था। हां गलतफहमी होना संभव है। हो सकता है कि हमारे सचिव

†मूल अंग्रेजी में

यही समझे हों कि वे लोग सहमत हों और उधर वे असहमत हों। इस चीज से मैं इन्कार नहीं करता। मैंने हर चीज इसी आधार पर की कि बंगाल के प्रतिनिधि उस चीज से सहमत हैं। मैं अधिक कुछ न कह कर स्थिति को ही स्पष्ट करना चाहता हूं।

बंगाल सरकार के काफी अफसर उस समय यहां पर थे और वे रहे भी। दूसरी चीज यह कि उनमें बराबर विचार बिमर्श चलता था और तीसरी चीज यह कि कामन्वैल्थ सचिव ने मुझे बताया कि सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों को यह बात स्वीकार है। चार राज्य सरकारों का चार विषयों से सम्बन्ध था। यह बात मैं पक्की तरह से कह सकता हूं। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि इस लम्बी बातचीत के दौरान कामन्वैल्थ सचिव के मस्तिष्क में तनिक द्विविधा भी आई होगी। मैं यहां पर पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव थे। हो सकता है वापस जाने पर राज्य सरकार से उन्होंने कहा हो कि मैं तो सहमत नहीं था। मुझे इस बात पर बड़ी भारी हैरानी भी हुई थी। यह सारी चीज ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। किन्तु मैं तो यह बात स्पष्ट करना चाहता था कि ऐसे किसी मामले में राज्य सरकार की सलाह के बिना केन्द्रीय सरकार काम नहीं कर सकती और ऐसा होना भी नहीं चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमें पाकिस्तान से चिनाब नदी से जो ५० लाख एकड़ फीट पानी लेना था उस पर से हमने अपना हक सदा के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसकी जरूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात यह है कि १९४८ के समझौते में यह बात थी कि पाकिस्तान नहरें बनाने के लिये समय मांगता था तो फिर रुपये की बात कहां से पैदा हो गई? समय का दिया जाना तो ठीक है और उस समय पाकिस्तान केवल समय ही मांगता था लेकिन रुपये का सवाल कैसे खड़ा हो गया?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास समय नहीं है। दो मिनट में मुझे राजकुमार के साथ जाना है। पहली बात के बारे में, मैं सम्बद्ध इंजीनियर को माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा जो सारी व्याख्या कर देगा कि यह बात कैसे हुई। इन टैक्निकल चीजों पर मैं क्या कह सकता हूं। जहां तक दूसरी चीज का सम्बन्ध है, १९४८ में व्योरात्मक समझौता नहीं हुआ था। उसे मैंने वहीं लिखवाया था और मुख्य उद्देश्य से सभी सहमत हो गये थे। उसके बाद वे मुकर गये। और जैसा माननीय सदस्य जानते हैं बाद में अनेक बातें उत्पन्न होती रहीं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के भाषण के बाद भी सदन के अधिकांश सदस्य इस बात को ठीक तरह से नहीं समझ सके होंगे कि वे कौन से कारण थे, जिन से प्रेरित हो कर सरकार ने पाकिस्तान के साथ नहरी पानी के बारे में ऐसी संधि की। सब से बड़ी बात इस संधि में, जिस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इंडस कमीशन के बारे में है। इस के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत का कमिश्नर होगा, पाकिस्तान का कमिश्नर होगा, और अगर कोई झगड़ा या विवाद खड़ा हुआ तो फिर वह न्यट्रल एक्स्पर्ट्स को रिफर किया जायेगा। उस के बाद अगर जरूरत समझी जायेगी तो ज्वाइंट इन्स्पेक्शन होगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद इस बात की घोषणा की है कि ज्वायेंट इन्स्पेक्शन का मतलब है ज्वायेंट कंट्रोल, और ज्वायेंट कंट्रोल का मतलब है ज्वायेंट पोजेशन। मैं उन के ही शब्दों को आप के सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्रेजिडेंट कहते हैं :

> "नदी-मार्गों के संयुक्त निरीक्षण की प्रणाली को मानकर भारत ने अपरोक्षतः इस सिद्धान्त को मान लिया है कि चेनाब तथा झेलम के ऊपरी क्षेत्र में भी संयुक्त नियंत्रण हो; संयुक्त नियंत्रण का अभिप्राय संयुक्त अधिकार है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

अब अगर उन के शब्दों को भी मान लिया जाये तो इस संधि का अर्थ हमारे देश के लिये बड़ा खतरनाक होगा, और अगर हम उन के शब्दों को नहीं मानते तो इस सम्बन्ध में हमारी व्याख्या क्या है? हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस को स्पष्ट किया जाना चाहिये। कोई भी झगड़ा खड़ा होगा, और पाकिस्तान हर बात पर झगड़ा करेगा, जैसा कि उस की आज की प्रवृत्ति है, तो फिर वह मामला न्यूट्रल एक्सपर्ट को जायेगा और बाद में पंच फैसले तक वह चीज जायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह कहां पर है?

श्री वाजपेयी : जी हां, इस की भी उस में व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि सबमिशन आफ दि डिस्प्यूट टू दि कोर्ट आफ दि आरबिट्रेटर।

श्री हेडा (निजामाबाद) : जहां से यह नदियां निकलती हैं उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो या न हो, यह आबिट्रेशन के लिये नहीं जा सकता।

श्री वाजपेयी : यह उस का अर्थ नहीं है, मैं आप से सहमत हूं, लेकिन जब भी विवाद खड़ा होगा वह सब विवाद आखिर में पंच फैसले तक मुपुर्द रहेंगे। अगर संधि एक ऐसा वातावरण बना देती कि दोनों देश निकट आये हैं तो शायद हम इतनी बड़ी कीमत देने का विरोध नहीं करते। यद्यपि यह बात सही है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान केवल ६० करोड़ रुपया चाहता था और वह ईस्टर्न रिवर्स का पानी पांच साल लेने के लिये तैयार था, परन्तु उस समय हम ने समझौता नहीं किया और अब हम ८३ करोड़ रु० देने जा रहे हैं। आखिर यह सदन सरकार से पूछने का अधिकार रखता है कि यह घोषणा की गई थी कि सन् १९६२ के बाद पाकिस्तान को पानी देना बन्द कर दिया जायेगा, तो उस घोषणा का क्या हुआ। या तो वह घोषणा गलत थी या आज की संधि गलत है। अगर दोनों ठीक हैं, तो समझना चाहिये कि कहीं कोई गलती जरूर है।

राजस्थान को नहर का पानी देने के सम्बन्ध में जो प्रतिक्रिया रक्खी गई है, उस का प्रधान मंत्री जी ने कोई समाधान नहीं किया है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पाकिस्तान को इतना पानी देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, और इतना पानी आज पाकिस्तान अपने काम में भी नहीं ला सकता। हम अगर चाहते तो पाकिस्तान को इस से कुछ नीची शर्तों पर आने के लिये तैयार कर सकते थे। मगर प्रैजिडेंट अयूब खां कहते हैं कि संधि तो होती नहीं, अगर भारत के प्रधान मंत्री उसमें दखल नहीं देते। इतना आगे आने पर भी मामला बिगड़ जाता। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गतिरोध था जो दोनों देशों के अफसरों के बीच में था और हमारे प्रधान मंत्री ने उस में हस्पक्षेप किया और वह मुसीबत टल गई। कौन सी बात थी? और अगर प्रधान मंत्री जी भविष्य की बात करते हैं और दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि मित्रता और सद्भावना स्थापित करने का यह तरीका नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई गलत बात कहता है, गलत मांग रखता है, तो उसका विरोध होना चाहिए और अगर उससे सम्बन्ध बिगड़ते हैं, तो आप पाकिस्तान से कभी अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते। अच्छे सम्बन्धों का आधार न्याय और तर्क के ऊपर कायम की हुई चीजों को मानने से ही हो सकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यह सन्धि की गयी और जिस तरह से पाकिस्तान से समझौते किए गए हैं, उनके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाता। यह ठीक है कि सरकार को सन्धि करने का अधिकार है, लेकिन वैधानिक स्थिति से अलग होकर, इस संसद् को भी तो विश्वास

में लिया जाना चाहिए कि सरकार क्या करने जा रही है, क्योंकि सरकार के निर्णय केवल प्रशासनिक ही नहीं होते, उनका देश की सुरक्षा से और देश की आर्थिक स्थिति से भी सम्बन्ध है ।

अभी एक रेल चलाने के बारे में समझौता कर लिया गया और सदन के सामने आकर घोषणा कर दी । बेरूबाड़ी का समझौता कर लिया और नहरी पानी समझौता कर लिया । इस संसद् की बैठक चल रही थी मगर इस संसद् को विश्वास में नहीं लिया गया । कानून की दृष्टि से यह ठीक हो सकता है, लेकिन जब भारत में लोकतंत्र का विकास हो रहा है तो हमें ऐसी परम्पराएं डालनी चाहिएं कि शासन इस प्रकार के निर्णय करने से पहले संसद् को और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में ले, नहरी पानी संधि भारत के हित में नहीं है, पाकिस्तान को हमने अनुचित कीमत देने की कोशिश की है । उसके बाद भी पाकिस्तान की धिक्कता हमें मिलेगी यह कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता । इस संधि में अवधि बढ़ाने का सवाल है और दूसरी और भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं । पुराने पानी के लिए पाकिस्तान से रुपया वसूल करने का सवाल और जो पुराने हिसाब हैं उनके चुकता किए जाने के सवाल को भी इसमें जोड़ देना चाहिए ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : भारत और पाकिस्तान के नहरी पानी के विवाद को निपटाने के लिए जो समझौता हुआ है उस से सम्बंन्धित वाद-विवाद को मैंने सुना है । दुर्भाग्य से मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सभी आवश्यक विषयों पर कुछ कह सकूं । इस कारण मैं केवल एक ही आवश्यक बात को लेकर स्थिति की व्याख्या करूंगा ।

सिंध, जेहलम तथा चेनाब नामक नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आयी हैं । इनके जल प्रवाह की मात्रा १६८० लाख एकड़ फुट है ।

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : तीनों पश्चिमी नदियों के जल प्रवाह की मात्रा १३५० लाख एकड़ फुट है और तीनों पूर्वी नदियों के जल प्रवाहकी मात्रा ३५० लाख एकड़ फुट है ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : खैर इन छ : नदियों के कुल जल प्रवाह की मात्रा १६८० लाख एकड़ फुट है । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा जिससे यह विवाद समाप्त हो जायगा कि चूंकि भारत के हिस्से में केवल ३५० लाख एकड़ फुट जल प्रवाह आया है, इस लिये भारत के साथ अन्याय हुआ है । वास्तविक स्थिति यह है । सिन्धु नदी तिब्बत से निकल कर, काश्मीर में आती है और पहाड़ों में होती हुई पाकिस्तान में बहती है । काश्मीर के पहाड़ी इलाके में ही यह बहती है । जेहलम नदी काश्मीर से निकल कर पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है । चेनाब नदी पंजाब से निकल कर हिमाचल प्रदेश से काश्मीर होती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है । इस से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्योंकि जेहलम और सिन्ध नदियां काश्मीर के पर्वतीय से प्रदेश में बहती हैं जहां बड़े पैमाने के सिंचाई कार्यों का निर्माण करना असंभव है, इस कारण उन नदियों से जल की प्राप्ति करना बड़ा कठिन कार्य है । वैसे संधि के आधीन बिजली पैदा करने या उद्योगों के प्रयोजन के लिए उनके पानी को हम प्रयोग कर सकते हैं । किन्तु जब हम सिंचाई के लिए उन क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर ही नहीं सकते थे इस कारण इन नदियों से जल लेना भी बेकार ही था ।

जहां तक काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, संधि के अनुसार जितना पानी हम इन पश्चिमी नदियों से प्राप्त कर सकते हैं वह विद्यमान और भावी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है । हम उस प्रयोजन के लिए ७०–१०० एकड़. फुट तक पानी ले सकते हैं । इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है । जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

[हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

निर्माण कार्य ही नहीं कर सकते तो हमें ज्यादा और अधिक हिस्सा मांगने की आवश्यकता ही क्या थी। यद्यपि ऊपर से ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा पानी आया है और हम से अन्याय हुआ है परन्तु वास्तविक बात यह है कि हम ज्यादा जल का उपयोग ही नहीं कर सकते थे। हमारी सारी भूमि को इतना पानी काफी है जितना हम ले रहे हैं।

†सरदार इकबाल सिंह : संधि में यह भी है कि भारत अपना सिंचाई क्षेत्र ४ लाख एकड़ तक जेहलम के अन्तर्गत और ७०,००० एकड़ तक सिंध के अन्तर्गत बढ़ायेगा।

†हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम : उस सब का हिसाब लगा लिया गया है।

इसके बाद ८३ करोड़ रुपये की अदायगी का प्रश्न था ताकि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में स्थानापन्न जल मार्गों की व्यवस्था कर सके। माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि इस रकम की अदायगी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि भारत के जिम्मे यह भार नहीं पड़ना चाहिए। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ८३ करोड़ रुपये की रकम का अनुमान न तो विश्व बैंक ने तैयार किया है और न ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने। यह अनुमान हमारे अपने ही इंजीनियरों ने तैयार किया है। पाकिस्तान ३०० करोड़ रुपये की रकम चाहता था।

संधि होने से पूर्व ही इस सभा में श्री पाटिल ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हमने विश्व बैंक को वचन दिया है कि हम पाकिस्तान को स्थानापन्न नहरें बनाने के लिये समय देंगे और इसके अलावा इन नहरों की उचित लागत भी दी जायगी।

स्थानापन्न नहरों की लागत के विभिन्न अनुमान तैयार किये गये थे। बैंक ने तो मुख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था ; अर्थात् पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के हिस्से में होंगी और पूर्वी नदियां भारत के तथा स्थानापन्न नहरों की लागत की आदायगी भारत करेगा। विवश बैंक की १९५४ की प्रस्थापनाओं की यही रूपरेखा थी और उसे पहले भी सभा के समक्ष रखा जा चुका है।

अब लागत के प्रश्न पर व्यौरात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। पाकिस्तानी योजना के अनुसार ३५० करोड़ रुपये की लागत आती थी। हमें वह अत्यधिक लगती थी। किन्तु हमने अपनी योजना रखी। हमारे इंजीनियरों के अनुमान के अनुसार ८३ करोड़ रुपये की लागत बैठती थी। इसी अनुमान पर हम सहमत हुए हैं।

†अध्यक्ष महोदय : हम ८३ करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्या यह रुपया नयी नहरें खोदने के लिए दिया जा रहा है या उन नहरों के बदले नयी नहरें खोदने के लिए दिया जा रहा है जो अब बेकार हैं ?

†हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम : यह रुपया केवल उन नहरों के निर्माणार्थ दिया जा रहा है जो उन जलमार्गों के बदले में बनायी जायेंगी जिन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता। लागत का अंदाजा भी हम ही ने लगाया है इस कारण हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। कुछ वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि लागत ६० करोड़ रुपया होगी। पता नहीं यह अनुमान सही थी या गलत। किन्तु यह अनुमान हमारे इंजीनियरों ने तैयार किया है और हम इसकी अदायगी करेंगे।

अब प्रश्न उठता है कि इस आदयगी की जिम्मेदारी हमने क्यों ली ? पाकिस्तान तो उसकी मांग अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर कर रहा है और हो सकता था कि वह इसके लिए किसी

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय की शरण लेता। पता नहीं कहां पर क्या परिणाम निकलता। किन्तु हमारी ज्यादती तो यह होती ही। भारत के विभाजन के समय भी तो उन क्षेत्रों की जनता सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करती थी। अब उन्हें इन सुविधाओं से क्यों वंचित किया जाय? भारत के विभाजन के लिए वे लोग दोषी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों से वे लोग इन का जल प्रयोग करते रहे हैं। वैसे भी कानून के अनुसार २० वर्ष के अधिकार के बाद चिरभोगाधिकार की प्राप्ति हो जाती है। वे तो वर्षों से इस जल का प्रयोग करते रहे हैं। अब हम पानी लेना चाहते हैं और उसके बदले हमें कुछ देना ही है। यह रकम स्थानापन्न नहरों के निर्माण तथा उस पानी के एवज में दी जा रही है जो हमें मिलेगा और हमारे उत्पादन में १०० करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि करेगा।

पहले इस जल का प्रयोग पाकिस्तान में होता था। किन्तु अब वह पानी भारत में आयेगा और भारत उसका प्रयोग करेगा। परिणामस्वरूप भारत में १०० करोड़ रुपये वार्षिक उत्पादन की वृद्धि होगी। उसी के लिये हमने ८३ करोड़ रुपये देने स्वीकार किये हैं। यह हमारे देश के लाभ के लिए है। अब उस पानी से भारत लाभ उठायेगा। भारत का उत्पादन बढ़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ८३ करोड़ रुपये की अदायगी के बावजूद भी हमें उस पानी को प्रयोग करने के लिए और खर्च करना पड़ेगा।

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम** : पानी की मात्रा १२० लाख एकड़ फुट होगी। पहले इस पानी को पाकिस्तानी प्रयोग करते थे। अब भारत के लोग प्रयोग करेंगे। इस से भारत के वार्षिक उत्पादन में १०० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह रुपया हमने व्यर्थ ही में जाया नहीं किया है। इससे देश को लाभ ही पहुंचेगा। मान लो झगड़ा बना रहे तो उस पानी को पाकिस्तान ही इस्तेमाल करता रहेगा और हमें फायदा न होगा। इस कारण फायदा स्पष्ट है।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : इन ६ नदियों में इतना जल है कि दोनों देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी बच रहता है। पर फालतू जल पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है?

†**हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम** : अभी मैंने सिन्धु और जेहलम नदियों की बात कही थी। सिन्धु नदी केवल काश्मीर में से गुजरती है और वह पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों ही से यह नदी पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है। काश्मीर के थोड़े से ही हिस्से में भारत का हक है। पर इतने से ही वहां की आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। न केवल काश्मीर ही की, बल्कि हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब की आवश्यकताएं भी वहीं से पूरी होंगी। इन तीन राज्यों में सिंचाई के बिना एक एकड़ भूमि भी न बचेगी।

राजस्थान को भी पानी मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य एक दो मिनट और बैठें। अभी राजस्थान की नहर तैयार नहीं हुई है। तभी तो हम उसमें पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। दो वर्ष पूर्व हमने उस नहर का काम शुरू किया था। अभी तीन वर्ष बाद में जाकर कहीं उस नहर में पानी छोड़ने की हालत पैदा होगी। फिर केवल नहर ही काफी नहीं। जब तक इधर उधर चारों तरफ रजवाहे नहीं निकाले जायेंगे तब तक सिंचाई का काम शुरू न होगा। इस निर्माण कार्य में काफी अर्सा लग जायगा। संधि के अनुसार पांच वर्ष की समाप्ति के बाद हम पश्चिमी नदियों से और ज्यादा जल प्राप्त कर सकेंगे। यदि यह नहर १९६५ तक भी तैयार

†मूल अंग्रेजी में

[हाफिज मुहम्मदइ ब्राहीम]

हो तो भी हम काफी पानी प्राप्त कर सकते हैं। हां, यदि यह तैयार होती तो स्थिति निस्संदेह ही दूसरी होती। अभी हम उस पानी का प्रयोग नहीं कर सकते किन्तु आवश्यकता के समय हमें पानी मिल ही जायगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।

इस कारण जहां तक राजस्थान की नहर का सम्बन्ध है, मैं आश्वासन देता हूं कि राजस्थान की नहर बनायी जायगी और उसे पूरा पानी भी मिलेगा और राजस्थान के लिए सिंचाई की यथोचित व्यवस्था की जायगी। इस संधि के कारण राजस्थान का किसी प्रकार से अहित न होगा। हमने अपने अधिकारों को नहीं छोड़ा है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६०/१० अग्रहायण, १८८२ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६०

९ अग्रहायण, १८८२ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१५०१—२६
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
५६८	प्रशासनिक सुधार	१५०१—०४
५६९	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	१५०४—०९
५७०	लंका में भारतीय	१५०९—११
५७१	चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	१५११—१३
५७३	यूरेनियम	१५१३—१४
५७४	पाकिस्तान के साथ व्यापार	१५१४—१७
५७५	कोयला क्षेत्रों को पानी पहुंचाना	१५१७—१८
५७६	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	१५१८—२२
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
१.	बड़े आकार के टायरों का चोर बाजार	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५२६—७८
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
५६७	भारत सेवक समाज	१५२६
५७२	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार	१५२६—२७
५७७	कपड़े का निर्यात	१५२७
५७८	सरकारी क्षेत्र में उद्योग	१५२८
५७९	भारत-पाकिस्तान सीमा	१५२८
५८०	प्रति व्यक्ति आय	१५२८—२९
५८१	शंघाई (चीन) से निकाले गये भारतीय	१५२९
५८२	लाइसेंस देने की प्रक्रिया	१५२९—३०
५८३	विशेष रक्षित निधि	१५३०
५८४	नारियल जटा के कारखाने	१५३०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५८५	कच्चे माल की कमी	१५३०–३१
५८६	कलकत्ते में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	१५३१
५८७	हस्तिनापुर में पुनर्वास	१५३१–३२
५८८	औद्योगिक बस्तियां	१५३२
५८९	राज्यहीन भारतीयों द्वारा छिपकर जहाजों में यात्रा	१५३२–३३
५९०	औद्योगिक विवाद अधिनियम	१५३३
५९१	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	१५३३–३४
५९२	कर्मचारियों की शिक्षा	१५३४
५९३	मसालों के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्	१५३४–३५
५९४	गंगटोक में गिरफ्तार चीनी	१५३५
५९५	ग्यान्तसे में भारतीय व्यापार एजेंसी का भवन	१५३५
५९६	निर्यात करने वालों को ऋण की सुविधायें	१५३६
५९७	भूटान में तिब्बती शरणार्थी	१५३६
५९८	चीन के साथ व्यापार	१५३६–३७
५९९	ओखला में औद्योगिक बस्ती	१५३७
६००	"स्विंग क्रेडिट" सीमा	१५३७
६०१	काश्मीर	१५३७–३८
६०२	निर्यात व्यापार	१५३८
६०३	खादी की बिक्री	१५३८–३९
६०४	आसाम में उर्वरक का कारखाना	१५३९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०१४	पंजाब में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	१५३९
१०१५	केन्द्रीय श्रम संस्था	१५३९
१०१६	डीज़ल इंजन	१५४०
१०१७	बाइसिकलों का उत्पादन	१५४०–४१
१०१८	सिलाई की मशीनें	१५४१
१०१९	हरीकेन लालटेनें	१५४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०२०	रेगमाल	१५४२-४३
१०२१	सान रखने के चक्के	१५४३-४४
१०२२	बिजली के ट्रांसफार्मर	१५४४-४५
१०२३	बिजली के मीटर	१५४५
१०२४	रेडियो सेटों का निर्माण	१५४५-४६
१०२५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी	१५४६-४७
१०२६	महाराष्ट्र में अम्बर चर्खा	१५४७
१०२७	अशोक होटल में पद	१५४७-४८
१०२८	पंजाब में मध्यम आय वर्ग के लिये आवास योजना	१५४८
१०२९	पश्चिम पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन	१५४८
१०३०	औद्योगिक सहकारी समितियां	१५४८-४९
१०३१	हिमाचल प्रदेश में हथकरघे का बिना बिका माल	१५४९
१०३२	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	१५४९
१०३३	मंगला बांध	१५४९
१०३४	ब्रिटेन में एक भारतीय की फर्म	१५५०
१०३५	चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिये आण्विक विकिरण का उपयोग	१५५०-५१
१०३६	दिल्ली में भूमिखण्ड	१५५२
१०३७	भुसंडपुर बस्ती में अस्पताल	१५५२-५३
१०३८	उड़ीसा में राज सहायता प्राप्त आवास योजना	१५५३
१०३९	यूरेनियम के निक्षेप	१५५३
१०४०	ब्रह्मांड किरण अनुसन्धान केन्द्र	१५५३-५४
१०४१	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऊनी खादी की वर्दियां	१५५४
१०४२	पूर्वी अफ्रीका को कृत्रिम रेशम का निर्यात	१५५५
१०४३	पाकिस्तान को पथरिया गांवों का हस्तांतरण	१५५५
१०४४	भूमि सुधार	१५५५-५६
१०४५	इन्डोनेशियाई सरकार द्वारा प्रतिकर की अदायगी	१५५६
१०४६	स्नातकों की रोजगारी का सर्वेक्षण	१५५६
१०४७	कार्यकुशलता संहिता	१५५६-५७
१०४८	भविष्य निधि योजना	१५५७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०४६	न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र	१५५७
१०५०	हीरा काटने के औजारों की फैक्टरी	१५५७
१०५१	हिन्दुस्तानी साल्ट कंपनी लिमिटेड	१५५७-५८
१०५२	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	१५५८
१०५३	केरल में उद्योग	१५५८
१०५४	विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालेज	१५५६
१०५५	सीरिया को निर्यात	१५५६
१०५६	कोयला खनिकों में अनुपस्थिति	१५५६
१०५७	कुरसिया का प्रादेशिक अस्पताल	१५५६—६०
१०५८	भारतीय चीनी उत्पादिता दल	१५६०
१०५६	विशाखापटनम पत्तन में हड़ताल	१५६०
१०६०	चाय का उत्पादन	१५६०—६१
१०६१	प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि	१५६१
१०६२	भारत में विदेशी छात्र	१५६२
१०६३	वायदा बाजार आयोग	१५६२
१०६४	खान में विस्फोट	१५६२—६३
१०६५	निर्यात	१५६३
१०६६	आकाशवाणी से शास्त्रीय संगीत का प्रसारण	१५६३—६४
१०६७	चाय का निर्यात	१५६४
१०६८	अखबारी कागज़	१५६४
१०६६	ज़िरकोनियम	१५६४
१०७०	झौपड़ियों में रहने वालों के लिये सस्ते मकान	१५६५
१०७१	सिक्किम	१५६५
१०७२	अमरीका से वस्तु विनिमय सम्बन्धी समझौता	१५६५
१०७३	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	१५६५—६६
१०७४	उर्वरक फैक्टरियां	१५६६—६७
१०७५	पंजाब में कागज़ का कारखाना	१५६७
१०७६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी	१५६७—६८
१०७७	अहमदाबाद में स्कूटर का कारखाना	१५६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०७८ स्वचालित करघे . . १५६८–६९
१०७९ सूडान को कपड़े का निर्यात . १५६९–७०
१०८० तम्बाकू का निर्यात . १५७०
१०८१ सरदार पटेल के लेख . . . १५७०
१०८२ वृत चित्र १५७०–७१
१०८३ जम्मू प्रान्त मे बेन नदी के निकट बम विस्फोट . . १५७१
१०८४ प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा लंका का दौरा . . . १५७१–७२
१०८५ भारतीयों का विमान में यात्रा करने से रोका जाना . . १५७२
१०८६ फिल्मों का निर्यात . . . १५७२–७३
१०८७ सिंदरी उर्वरक कारखाना . १५७३–७४
१०८८ लाजपत राय मार्केट . . . १५७४
१०८९ मकानों के लिये प्लाट . . . १५७४
१०९० महिलाओं के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली . १५७४–७५
१०९२ श्रम आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी के पत्र . १५७५
१०९३ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् . . १५७५
१०९४ केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के प्रकाशन १५७६
१०९५ प्रकाशन १५७६
१०९६ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी निदेशालय . १५७७
१०९७ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायरमैन . . . १५७७
१०९८ दिल्ली में कार्मिक संघ १५७७–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७८–७९

(१) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा २ के खंड (क) के उप-खण्ड (११) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की एस० ओ० २२३२ ।

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ सितम्बर, १९६० की एस० ओ० २२३३ ।

विषय पृष्ठ

(तीन) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८–क के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक ८ नवम्बर, १९६० की एस० ओ० २६९५ ।

(२) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) जिला शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में रोज़गार की संभावनाओं का निदेशक अध्ययन, १९५९ ।

(दो) जिला शाहाबाद (बिहार) के डुमरांव (दक्षिण) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में निदेशक अध्ययन ।

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० ११९९ ।

(दो) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४१ ।

(तीन) दिनांक १९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३६० ।

(चार) दिनांक २६ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १४०४ ।

राज्य सभा से सन्देश १५७९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने २८ नवम्बर, १९६० की अपनी बैठक में ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक—सभा पटल पर रखा गया . १५७९

सचिव ने ब्रिटिश संविधि (भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक, १९६० को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १५७९

तिहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १५७९

रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १५८०–८१

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने हाल ही में रावलपिंडी में हस्ताक्षर किये गये भारत-पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी करार की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . १५८२—८६

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने हाल ही में कांगो में भारतीय सैनिकों के साथ हुई घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . १५८६—१६०४

समवाय (संशोधन) बिधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंडवार चर्चा जारी रही और समाप्त हुई । विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . . . १६०५—२६

सरदार इकबाल सिंह ने सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा उठाई । सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने वाद विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६०/१० अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

समवाय (संशोधन) विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1500 (Ai) LSD—23-12-60—115